लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 26 फरवरी, 1969/7 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 8, Wednesday, February 26, 1969/Phalguna 7, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
181. भारत बर्मा सीमा का सीमांकन	Indo-Burma Border Demarcation	..	1—3
182. विद्रोही नागा	Rebel Nagas	..	4—11
183. अफगानिस्तान को भारत निर्मित विमानों की सप्लाई	Supply of India made Aircrafts to Afghanistan	..	11—14
184. मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई	Mazagon Docks Ltd., Bombay	..	14—18
185. नेपाल को सहायता	Aid to Nepal		18—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
186. रक्सोल से नेपाल में हिथोदा तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line from Raxaul to Hithoda in Nepal	..	23
187. राज्यों को सहायता	Assistance to States	..	23—24
188. पूर्वी क्षेत्र की नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता	Indo-Pak Agreement on Division of River Waters of Eastern Sector	..	24
189. वैमानिकी संबंधी समिति	Committee on Aeronautics		24
190. आकाशवाणी का स्पाट लाइट कार्यक्रम	Spotlight Programme of AIR	..	24—25

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
191. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के प्रारूप के बारे में राज्यों के साथ विचार-विमर्श	Discussion with States Re: Draft Plans of States/Union Territories ..	25—26
192. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिरक्षा व्यवस्था	Defence Arrangements in Andaman and Nicobar Islands ..	26
193. अखबारी कागज सलाहकार समिति	Newsprint Advisory Committee ..	26
194. बैरुत हवाई अड्डे पर इसरायली हमला	Israeli Attack on Beirut Airport ..	27
195. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण	Broadcast of Important Programmes ..	27
196. भारतीय प्रेस परिषद्	Press Council of India ..	28
197. दैनिक समाचारपत्रों पर नियन्त्रण	Control over Daily Newspapers ..	28—29
198. मिग विमानों की तुलना में अधिक अच्छे काम देने वाले विमान	Aircrafts with better Performance than MIGs ..	29
199. छापामार युद्ध का प्रशिक्षण	Training in Guerilla Warfare ..	29
200. नई दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने तिब्बती शरणार्थियों का प्रदर्शन	Demonstration by Tibetan Refugees outside Chinese Embassy in New Delhi ..	29—30
201. विद्रोही नागाओं का शिविर	Naga Hostile Camp ..	30
202. विद्रोही नागा	Naga Hostiles ..	30—31
203. किलटान द्वीप (लक्ष द्वीप) द्वीप समूह में पुलिस चौकी पर आक्रमण	Attack on a Police Post at Kiltan Island (Laccadives) ..	31
204. साम्प्रदायिक लेख	Communal Writings ..	31—32
205. अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय	Indians Residing in African Countries ..	32—33
206. सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात जवानों तथा सैनिक अधिकारियों को सुविधाएं	Amenities to Jawans and Officers Posted in Border Areas ..	33

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
207. सेना में 'अदर रैंक' को महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा की सुविधाएं	D. A. and Medical Facilities to other Ranks in Army ..	33
208. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा मछली पकड़ने वाली विदेशी नाव को छोड़ना	Release of Foreign Fishing Boats by Andaman and Nicobar Islands Administration ..	33—34
209. नागाओं के साथ मुठभेड़	Encounters with Nagas ..	34—35
210. दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का योगदान	Role of India in South East Asia ..	35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1160. पूना छावनी बोर्ड	Cantonment Board, Poona ..	35—36
1161. पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्ति	Indian Properties in E. Pakistan ..	36
1163. राष्ट्रीय आय का वितरण करने के बारे में आंकड़े	Data regarding Distribution of National Income ..	36—37
1164. जम्बिया और उगांडा में भारतीय	Indians in Zambia and Uganda ..	37
1166. गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Gujarat ..	37
1167. आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली में चौकीदार	Chowkidars in AIR, Delhi	38
1168. आकाशवाणी में चौकीदारों के लिये छुट्टियां	Holidays for Chowkidars in AIR ..	38
1169. चौकीदारों तथा स्टूडियो गार्डों के कर्तव्य	Duties of Chowkidars and Studio Guards ..	38—39
1170. प्रतिरक्षा मंत्रालय के बारे में आयोगों के प्रतिवेदन	Reports of Commissions, etc., relating to Ministry of Defence ..	39
1171. सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के साथ भेंट (इन्टरव्यू)	Interview given by the Minister of Tourism and Civil Aviation to the Ceylon Broadcasting Corporation ..	39

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1172. ओखा पत्तन में पकड़ी गई पाकिस्तानी नौकाएं	Pak. Boats Captured at Okha Port ..	40
1173. गुजरात में रासायनिक विस्फोटक कारखाने की स्थापना	Establishment of a Chemical Explosive Factory in Gujarat	40
1174. लन्दन में मैसूर के व्यापार प्रतिनिधि	Trade Representative of Mysore in London ..	40
1175. भारत चीन सीमा पर चीनी सेना का जमाव	Concentration of Chinese Army on Indo-China Border ..	41
1176. नौकरियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय कोटा	Indian Quota for UN Jobs ..	41—42
1177. कीनिया में रहने वाले भारतीयों के काम तथा रिहायश के परमिटों को रोक लिया जाना	With-holding of work and Residence Permits from Kenya Indians ..	42
1178. पाकिस्तान द्वारा भारतीयों के लिये वीसा दिया जाना	Grant of Visas for Indians by Pakistan	43
1179. पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Cease Fire Violations by Pakistan ..	43
1180. फरीदाबाद में भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों द्वारा दंगे	Rioting by I.A.F. Personnel at Faridabad ..	44
1181. हिन्दी समाचार कतरन	Hindi Press Clippings ..	44—45
1182. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और समाचार भारती को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to PTI and Samachar Bharati ..	45
1183. वैदेशिक सेवाओं में हिन्दी प्रसारण	Hindi Broadcasts in External Services ..	45—46
1184. फिल्म सेंसर नियमों संबंधी जांच समिति	Enquiry Committee on Films Censor Rules ..	46
1185. आकाशवाणी पत्रिकाएं	Akashvani Magazines ..	46—47
1186. स्वेज नहर का बन्द होना	Closure of Suez Canal ..	47
1187. हाइड्रोजन बम विस्फोट के परिणामस्वरूप रेडियो धर्मिता में वृद्धि	Radio Activity Fall out as a Result of Hydrogen Bomb Explosions ..	47—48

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1188. वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegations Sent Abroad by Ministry of External Affairs ..	48
1189. योजना आयोग द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegations Sent Abroad by the Planning Commission ..	48—49
1190. हैदराबाद में यूरेनियम आक्साइड का अधिक उत्पादन करने के लिये संयंत्र	Plant to Produce Rich Uranium Oxide Fuel in Hyderabad ..	49
1191. इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	Indian Rare Earths Ltd.	49
1192. भारतीय विमानों द्वारा इसराइल में रुके बिना यूरोप की उड़ान	Flight of Indian Aircrafts to Europe without Touching Israel ..	49—50
1193. स्वेज के साथ-साथ तेल पाइप लाइन बिछाने के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य से वार्ता	Talks with UAR Regarding the Laying of Oil Pipe Line along Suez ..	50
1194. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चीन से नागा विद्रोहियों की वापसी	Return of Naga Hostiles from China after Training ..	50—51
1195. जम्मू और काश्मीर के बारे में श्री सी. राजागोपालाचारी का सुझाव	Shri C. Rajagopalachari's Suggestion Re: Jammu and Kashmir	51
1196. आकाशवाणी में नियुक्ति के नियम	Appointment Rules in AIR	51
1197. दिल्ली और मद्रास से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcast from Delhi and Madras	52
1198. इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में लाइसेंसों का दिया जाया	Licensing in Electronics Field	52—53
1199. रुड़की में ईसाई स्कूलों का निर्माण	Construction of Christian Schools at Roorkee	53—54
1200. प्रागा टूल्स लिमिटेड	Praga Tools Limited	54—55
1201. संस्कृत में समाचारों का प्रसारण	Broadcast of News in Sanskrit	55

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1202. आकाशवाणी केन्द्र, बड़ौदा	AIR Station, Baroda ..	55
1203. वैम्पायर जेट विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था	Replacement of Vampire Jets	56
1204. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त से ब्रिटिश चिह्न का हटाया जाना	Removal of British Symbols from the Indian High Commission in London ..	56
1205. विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन	Allocation of Work Among Various Ministers	57
1206. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff ..	57
1207. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को लाभ	Benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees ..	57—58
1208. आयुध कारखानों में कर्मचारी	Employees in Ordnance Factories ..	58
1209. कलकत्ता में अथवा उत्तर प्रदेश में अणु अनुसंधान केन्द्र	Atomic Research Centre at Calcutta or in U.P. ..	59
1211. ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों द्वारा झूठे दावे प्रस्तुत करना	False Claims Submitted by Indian Migrants to U.K. ..	59—60
1212. सिंकियांग में चीन का आयुध डिपो	Chinese Arms Depot in Sinkiang ..	60
1213. गत आम हड़ताल में पदच्युत भारतीय वायुसेना में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees of Indian Air Force Discharged during the last General Strike ..	60
1214. परम्परागत हथियारों में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Conventional weapons ..	60—61
1215. नये आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in New Ordnance Factories ..	61
1216. रेडियो सेटों के निर्यात के लिये राजसहायता	Subsidy on Export of Radios	61
1217. पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-India Propaganda by Pakistan ..	62

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1218. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	Refugees from East Pakistan ..	62
1219. कच्छ निर्णय	Kutch Award	63
1220. विश्व चलचित्र मेला	World Film Festival ..	63
1221. चीनियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागा	China Trained Naga Rebels	63—64
1222. आकाशवाणी का मद्रास केन्द्र	A.I.R. Madras Station	64
1223. गीत और नाटक प्रभाग	Song and Drama Division ..	64—65
1225. तिब्बत में प्रवेश की सुविधाओं के लिये चीन से बात चीत	Negotiations with China for Facilities to enter Tibet ..	65
1226. चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय	Central Sector Outlay for the Fourth Plan..	65
1227. चीनी अधिकारियों द्वारा एक पाकिस्तानी विमान में भारतीय वायु सीमा में उड़ान	Over Flight by Chinese Officials in a Pak. Aircraft ..	66
1228. पाकिस्तानी यात्रियों की गुरदासपुर जिले में कादियान की यात्रा	Pak Pilgrims' visit to Qadian in Gurdaspur District ..	66
1229. सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation ..	66—67
1230. चीन और पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian Territorial Space by China and Pakistan ..	68—69
1232. संयुक्त राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग से सहायता	Aid from UN Repatriates Commission	69
1233. विदेशों द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये प्रक्षेपणास्त्र	Missiles Supplied to Pakistan by Foreign Countries ..	69
1234. कनाडा जाने वाले भारतीय प्रव्रजक	Indian Immigrants for Canada ..	70
1235. चीन द्वारा नागाओं की सहायता	Chinese Help to Nagas ..	70
1236. कच्छ पंचाट	Kutch Award ..	71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1237. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निमंत्रण पत्रों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi on Invitation Cards issued by I.B. Ministry ..	71
1238. चीन के परमाणु संकट पर विचार करने के लिये एशियाइ राष्ट्रों का सम्मेलन	Conference of Asian Nations to Consider Chinese Nuclear Menace ..	71—72
1239. दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station, Darbhanga	72
1240. दक्षिण क्षेत्र में रडार अनुसंधान केन्द्र	Radar Research Station in Southern Region ..	73
1241. सीमावर्ती सड़कें	Border Roads ..	73
1242. पिल्ले समिति की सिफारिशें	Pillai Committee's Recommendations ..	73—74
1243. आर्थिक प्रस्तावों के अध्ययन के लिये सचिवालय स्तर पर कार्य प्रणाली में परिवर्तन	Functional Changes at Secretariat Level for Study of Economic Proposals ..	74
1244. गुड़गांव में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि	Land Acquired for Defence purposes ..	74—75
1245. कलकत्ता में प्रधान मंत्री का उद्योगपतियों के साथ सम्मेलन	Conference of Prime Minister with Industrialists at Calcutta ..	75—76
1246. पश्चिम बंगाल में भूमि अर्जन	Land acquired in West Bengal ..	76
1247. सेना में काम करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों के लिये भूमि	Land for Landless Persons Serving in Army ..	76—77
1248. काश्मीर के मीरवायज का उत्तराधिकारी	Succession to Mirwaiz of Kashmir	77
1249. राष्ट्रीय एकता के लिये जन प्रचार माध्यम	Mass Media for National Integration	77—78
1250. विदेश नीति आयोजन सम्बन्धी अभिकरण	Agency of Foreign Policy Planning	78
1251. टेलीविजन का विस्तार	Expansion of Television ..	78—79
1252. मंत्रालयों का पुनर्गठन	Reorganisation of Ministries ..	79—80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1253. चौथी योजना के लिये संसाधनों के बारे में मतभेद	Difference of Opinion Regarding Resources for the Fourth Plan ..	80
1254. टेलीविजन सेवा का विस्तार	Expansion of T. V. Service ..	80
1255. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	81
1256. भारत के प्रति अल्बानिया का रवैया	Albania's Attitude towards India ..	81
1258. राणा प्रताप सागर बांध पर तापीय बिजलीघर	Thermal Power Station at Rana Pratap Sagar Dam ..	81—82
1259. ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan through Iran ..	82
1260. फारस की खाड़ी से ब्रिटेन द्वारा सेना का हटाया जाना	British Withdrawal of Forces from Persian Gulf ..	82—83
1261. पाकिस्तानी प्रचार	Pak-Propaganda ..	83
1262. समाचारपत्रों में प्रकाशित भारतीय वायु सेना की क्षमता का समाचार	Publication of Indian Air Force Strength in News papers ..	83—84
1263. पाकिस्तान की जेल से श्री त्रिलोक चन्द की रिहाई	Release of Shri Trilok Chand from Pak Custody ..	84
1264. राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States	84—85
1265. सैनिक अधिकारियों को सप्लाई किया जाने वाला 'किट'	Kit supplied to Officers ..	85
1266. भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य सम्पर्क	Military Liaison between India and Ceylon ..	85
1267. चौथी योजना में भूमि, श्रम तथा कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता	Idle Capacity of Land, Labour and Plant in the Fourth Plan ..	86
1268. गणराज्य दिवस के अवसर पर पत्रकारों के लिये लोक नृत्यों का प्रदर्शन	Republic Day Folk Dances show for the Press ..	86—87
1269. राष्ट्रमंडल के देशों के लोगों के ब्रिटेन में आप्रवास के बारे में द्विपक्षीय बातचीत	Bilateral Talks on Commonwealth Immigration to UK ..	87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1270. कलकत्ता में साइक्लोट्रान का निर्माण	Construction of a Cyclotron in Calcutta ..	87
1271. गणतन्त्र दिवस, 1969 के समारोह के लिये निमंत्रण पत्र	Invitation Cards for Republic Day, 1969 Celebrations ..	87—88
1272. आकाशवाणी के लिपिकों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Clerical Staff of AIR ..	88
1273. प्रधान मंत्री की लातीनी अमेरिका की यात्रा पर व्यय	Expenditure on Prime Minister's Latin American Tour ..	89
1274. स्वर्गीय श्री अन्नादुरै के बारे में आकाशवाणी से समाचार	A.I.R. News about the Late Shri C. Annadurai ..	89
1275. मणिपुर के दैनिकपत्र के लिये सहायता	Aid for Manipur Daily ..	90
1276. भारत के मार्ग से पाकिस्तान और नेपाल के बीच व्यापार	Pak-Nepal Trade through India ..	90—91
1277. भारतीय वायुसेना के विमानों के निर्माण के लिये विदेशी तकनीकी सहायता	Foreign Technical Assistance for Manufacture of IAF Aircrafts ..	91
1278. वियतनाम के सम्बन्ध में राष्ट्रपति निक्सन की नीति	President Nixon's Policy on Vietnam ..	91
1279. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड बंगलौर, कानपुर तथा मिग उद्योग समूह के लिये पृथक-पृथक अध्यक्षों की नियुक्ति	Appointment of Separate Heads of HAL Bangalore, Kanpur and MIG Complex ..	92
1280. सेनाअध्यक्षों की सेवा अवधि में वृद्धि	Extension of Service to Chiefs of Staff ..	92—93
1281. केरल के लिये अधिक शक्ति-वाला ट्रांसमीटर	High Power Transmitter for Kerala ..	93
1282. पश्चिम पाकिस्तान में साधु-बेला की यात्रा करने की अनुमति	Permission to visit Sadhubela in West Pakistan ..	93—94
1283. अध्य सेवा नियमित कमीशन (टैक्निकल) तथा स्थायी कमीशन (टैक्निकल) प्रदान करने के लिये अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया	Procedure for the Selection of Officers for Grant of SSRC (Tech.) and PC (Tech.)..	94—95

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1284. टेलीविजन उपग्रह केन्द्र	T. V. Satellite Station ..	95
1285. नागालैंड की स्थिति	Situation in Nagaland ..	96
1286. गुजरात में धूबरन परियोजना का विस्तार	Expansion of Dhuvaran Project in Gujarat..	97
1287. दीव हवाई अड्डा	Diu Aerodrome ..	97
1288. भारतीय नौसेना द्वारा पोलि-एथिलीन आक्साइड का उप-योग	Use of Polyethylene Oxide by the Indian Navy ..	98
1290. ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों का ज्ञापन	Memorandum of Indian Migrants in U.K.	98
1291. व्यापारिक प्रसारण के लिये राष्ट्रीय सेवा	National Service for Commercial Broad-cast ..	99
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	99—100
उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उद्घोषणा का निरसन	Revocation of Proclamation in Relation to Uttar Pradesh ..	100
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
44वां प्रतिवेदन	Forty-Fourth Report ..	100
संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) विधेयक—	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill—	
(एक) संयुक्त समिति का प्रति-वेदन	(i) Report of Joint Committee	100
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee ..	100—101
(तीन) संयुक्त समिति के अध्ययन की टिप्पणियां	(iii) Study Notes of Study Groups of Joint Committee ..	101
पदएकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार-प्रथा विधेयक—	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill—	
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee ..	101
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee ..	101

उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Strike by U.P. Degree College Teachers—	
डा० वी०के०आर०वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	101
कार्यमंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
उन्तीसवां प्रतिवेदन	Twenty-Ninth Report	102
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	102—108
बिहार के बारे में उद्घोषणा का प्रतिसंहरण	Revocation of Proclamation in Relation to Bihar ..	109
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member—	
(श्री वासुदेवन नायर)	(Shri Vasudevan Nair)	109
रेलवे आय व्ययक सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1969-70 General Discussion ..	109, 110—133
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai ..	110—114
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chaterji ..	114—116
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ..	116—119
श्री नि० रं० लास्कर	Shri N. R. Laskar ..	119—121
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	121—124
श्री पी० एन्थनी रेड्डी	Shri P. Antony Reddy ..	125—127
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ..	127—129
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary ..	129—131
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra ..	131—132
श्री न० नि० पटेल	Shri N. N. Patel ..	132—133
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	133—137
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	133—134
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde ..	134—137

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 फरवरी, 1969/7 फाल्गुन, 1890 (शक)
Wednesday, February 26, 1969/Phalguna 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चेकोस्लोवाकिया के संसदीय शिष्टमंडल का दौरा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देते हुए अति प्रसन्नता होती है कि चेकोस्लोवाकिया संसदीय शिष्टमंडल फेडरल असेम्बली के प्रेसीडियम के उपाध्यक्ष और चेकोस्लोवाकिया के फेडरल असेम्बली के हाउस आफ नेशंस के अध्यक्ष महामहिम प्रो० डा० डलीबोर हेन्स, जो कि हमारे निमंत्रण पर भारत के दौरे पर हैं, इस समय विशेष बाक्स में बैठे हुए हैं, हम अति प्रसन्न हैं क्योंकि हमारा निमंत्रण चेकोस्लोवाकिया ने स्वीकार किया है और एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में दौरे पर भेजा है, हम उनका पूरे हृदय से स्वागत करते हैं।

श्री नाथ पाई : हम इस अवसर पर सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को देंगे।

भारत बर्मा सीमा का सीमांकन

\+

* 181. **श्री न० कु० सांघी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बर्मा सीमा के सीमांकन कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सीमांकन कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत-बर्मा सीमा के प्रथम 240 मील में भू-सीमांकन करने का जो कार्य 1 दिसम्बर, 1968 को शुरू किया गया था, वह कार्यक्रम के अनुसार आगे चल रहा है।

(ख) अभी जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे यही उम्मीद की जाती है कि यह 1973-74 तक पूर्ण हो जाएगा।

श्री न० कु० सांघी : हमें यह मालूम है कि सीमांकन कार्य बहुत कठिन है क्योंकि भारत-बर्मा का भू-प्रदेश बहुत दुर्गम है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भारत, चीन और बर्मा के त्रिसंगम स्थित दिपहू दर्रा के उत्तर में भारतीय सीमा के सीमांकन सम्बन्धी कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हम दक्षिण से सीमा का सीमांकन कार्य आरम्भ कर रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह दुर्गम भू-प्रदेश है अतएव इसमें कुछ समय लगेगा। हमारा अनुमान है कि यह कार्य 1973-74 के करीब पूरा हो जायेगा। जब दर्रे का कार्य आरम्भ होगा तब हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए।

श्री न० कु० सांघी : मैं देखता हूं कि प्रदेश के सीमांकन से इस देश के लिए बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मुझे मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि भारत और बर्मा के उत्तरी सीमा के सीमांकन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। बर्मा के साथ सीमांकन के सम्बन्ध में हुए समझौते में एक खंड त्रिसंगम के उत्तरी क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में जोड़ा गया है। बर्मा की सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया है कि यह चीन और भारत का मामला है और वे इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। मैं जान सकता हूं कि भारत, बर्मा और चीन के त्रिसंगम के विशेष भाग के सीमांकन के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

श्री दिनेश सिंह : बर्मा और हमारे बीच इस सीमा के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख है और दोनों पक्ष इसमें सहमत हैं। प्रश्न खंभे लगाने का है। और क्या वहां सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या कोई दर्रे में जा सकता है या नहीं यह सब वहां की शर्तों पर निर्भर रहेगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : यह विदित है कि यह भूप्रदेश संकट से परिपूर्ण है और 870 मील सीमा का सीमांकन करना है। दक्षिणी भाग का भूप्रदेश इतना खराब नहीं है और यह दक्षिण भाग करीब 240 मील है। मैं जान सकता हूं कि सीमांकन कार्य कहां तक हुआ है और कब तक इसके पूरा होने की आशा है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दक्षिण क्षेत्र के 240 मील का सीमांकन कार्य मार्च, 1969 तक पूरा हो जायेगा। हमारी सीमा की कुल लम्बाई 906 मील है और न कि 870 मील।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि त्रिसंगम के सीमा का सीमांकन हमारे लाभ के लिए नहीं हुआ है जबकि चीन और बर्मा दोनों ने सीमांकन कार्य कर लिया है और हमें इसकी सूचना नहीं दी गई ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने अभी कहा है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है बर्मा और हमारे मध्य प्रदेश सम्बन्धी कोई विवाद नहीं हैं प्रश्न खम्भे लगाने का है। जब उस पर कार्य आरम्भ होगा तो हम देखेंगे कि उस दर्रे में क्या किया जाये।

श्री बीरभद्र सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे भारतीय प्रदेश का कोई भाग स्थानान्तरित कर दिया गया है अथवा भूसीमांकन के परिणामस्वरूप बर्मा को यह स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : इन ऐतिहासिक सीमाओं की स्पष्ट व्याख्या की गई है तथा स्वीकार की गई है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : जब यह प्रश्न एक वर्ष पूर्व संसद् में आया था तो यह कहा गया था कि बर्मा और भारत तथा चीन और बर्मा के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह एक त्रिसंगम स्थिति है। उस समय मैंने जो प्रश्न उठाया था और अब उठा रहा हूं वह यह है, अगर भारत और बर्मा तथा बर्मा और चीन सहमत हो जाते हैं तो भारत और चीन के बीच मतभेद कैसे हो सकता है ? क्या वे त्रिसंगम स्थल के इस प्रश्न को सुलझा सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : अगर माननीय सदस्य नक्शे में देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उस क्षेत्र के सम्बन्ध में बर्मा और हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। चीन ने एकतरफा दावा किया है। इस मामले में बर्मा अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

Shri Shiv Chandra Jha: I want to know from the Hon. Minister whether it is correct that the work of demarcation between the boundaries of India and Burma is going on or has it crossed the scheduled time ? If it is correct then at present how much area is under dispute so far as demarcation is concerned ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे दुबारा कह सकता हूं। प्रथम 240 मील का सीमांकन कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और मार्च, 1969 तक समाप्त हो जाने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 182.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि इसके साथ प्रश्न संख्या 201, 202 और 209 को भी लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे सब नागाओं से संबंधित हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इतने प्रश्नों को मिला नहीं सकते हैं।

Rebel Nagas

*182. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of rebel Nagas out of those who returned from China after receiving training, arrested so far by Government and of those shot dead ;

(b) the number of those rebel Nagas who have been arrested or shot dead by the Government of Burma ;

(c) whether it is is a fact that rebel Nagas are now trying to enter into Nagaland via Pakistan by sea-route and not through the border of Burma ; and

(d) if so, the steps taken by Government to stop them from entering into Nagaland ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार चीन में प्रशिक्षित एक छिपा नागा पकड़ा गया है और दो मारे गए हैं ।

(ख) बर्मा सरकार ने अपने प्रदेश में क्या कार्रवाई की है, इसकी हमें कोई सीधी जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ). छिपे नागाओं ने इधर पूर्व पाकिस्तान जाने की कोशिशें की हैं लेकिन हमारी सुरक्षा सेनाओं ने उनकी ये कोशिशें नाकामयाब कर दी हैं । यह सम्भव है कि चीन से लौटने वाले जो नागा अब तक बर्मा होकर नहीं घुस पाये हैं वे पाकिस्तान होकर घुसने की कोशिश करें । हमारी सुरक्षा सेनाएं इस सम्भावना की ओर से सजग हैं और ये गिरोह चाहे जिस रास्ते से आने की कोशिश करें उन्हें रोकने का बराबर प्रयत्न करती रहेंगी ।

Shri Om Prakash Tyagi : We have diplomatic relations with the Government of China and the China Government are giving training to Nagas rebels regularly. They bring weapons from there and send to Pakistan on their vessels to pass on here. I want to know whether the Government of India have ever made any complaint to China Government that why they are giving co-operation to the rebels of our country in this way ? If the complaint has been made then what is the reply of China ?

Shri Surendra Pal Singh : We made complaint but no reply has been received from that side.

Shri Om Prakash Tyagi : The last elections of Nagaland have proved that majority of Nagas are with Indian Government and want to remain in Indian Union and not with Phizo groups. Many rebel Nagas accept to remain in Indian Union. I want to know whether it is correct that the Governor of Assam has declared that if rebel Naga leader Phizo, who is still with China and is not prepared to give up the slogan of Independent Nagaland, wants to accept Indian Citizenship, then he can come to India ? Secondly, if it is correct then why the Governor has made such declaration ? Thirdly, why not a clause has been added in it that he can only come to India when he gives up the Anti-India feeling. Fourthly, I want to know what the Government of India finds advantage in calling the Phizo rebel, whose authority has ended ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में समस्त नागा नीति को उठाया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हम इस पर अभी चर्चा कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी समस्त नीति पर चर्चा होने की अनुमति नहीं दूंगा, चर्चा से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न का ही उत्तर दिया जा सकता है न कि फिजो और अन्य बातों का ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आसाम के राज्यपाल ने फिजो के भारत आने के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने इतना ही कहा है कि अगर श्री फिजो ब्रिटेन की नागरिकता को छोड़ने को तैयार हैं और वह वापिस भारत आना चाहते हैं तो वे हमारी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके मामले पर हमारे कानून के अनुसार विचार किया जायेगा । यही उन्होंने कहा । श्री फिजो का हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वे विदेशी नागरिक हैं और हम नहीं चाहते कि वे हमारे मामलों में हस्तक्षेप करें ।

Shri Om Prakash Tyagi: May I know the reason why the invitation has been given on ground of citizenship ? Has the fact of being a rebel been ignored ? Why no condition has been laid down that he can come only if he gives up his rebellious attitude ?

Shri Dinesh Singh : Every Indian Citizen has the right to come to India. What he will utter after coming here is a different question that may arise.

श्री रा० बरुआ : मंत्री महोदय के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अगर श्री फिजो भारत वापिस आना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध मामलों को वापिस ले लिया जाये ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु बाद में इसकी पुष्टि की जा सकती है और मैं समझता हूं कि स्थिति यह है कि जिस समय वे विदेशी नागरिक बन गए और भारतीय नागरिक नहीं रहे तो स्वत: ही उसके विरुद्ध सभी मामले वापिस ले लिए गए हैं और हम श्री फिजो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । मैं कहता हूं कि इसकी पुष्टि बाद में की जा सकती है ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : मंत्री महोदय ने कहा है कि चीन से वापिस आने वाले भूमिगत नागा समुद्री-मार्ग और साथ ही साथ पाकिस्तान से होते हुए भी वापस घुस सकते हैं और सुरक्षा सेनाएं चौकस हैं । परन्तु हमारे विचार में सुरक्षा सेनाओं का कार्य-क्षेत्र स्थल ही है । अतएव वे कैसे घुसपैठिये अथवा समुद्री मार्ग से आने वालों को रोक सकते हैं ? क्या मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न तभी उठता है जब वे पाकिस्तान से भारत आने का प्रयत्न करें और यह स्थल-मार्ग से ही हो सकता है ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : अगर वे समुद्री मार्ग से आयें तो क्या हम उन्हें नहीं रोकेंगे ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने श्री फिजो के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने के बारे में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर वह हमारी भारतीय नागरिकता स्वीकार कर लें और यहां वापिस आयें तो सरकार मामलों को वापिस ले लेगी ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें । श्री फिजो के विरुद्ध कुछ मामलों पर अभी निर्णय होना है और अगर वे ब्रिटिश नागरिकता त्याग कर भारत आना स्वीकार करते हैं और बातचीत में भाग लेते हैं तो मैं जान सकता हूं कि क्या श्री फिजो के विरुद्ध अनिर्णित मामलों पर कार्यवाही की जाएगी अथवा उनको वापिस ले लिया जायेगा ? मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : वस्तुत: यह प्रश्न तब उठेगा जब श्री फिजो भारतीय नागरिकता लेंगे और यहां आयेंगे और इसका एकदम उत्तर देना मेरे लिए तकनीकी मामला है, परन्तु मैं कहूंगा कि हम अपने कानूनों के अन्तर्गत उनके साथ कार्यवाही करेंगे ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने सुरक्षा सैनिकों द्वारा विद्रोहियों को वापिस आने से रोकने में सफलता के बारे में कहा है । परन्तु हमें मालूम हुआ है कि सरकार का सेमा गुट से समझौता हुआ है । इस समझौते के अन्तर्गत सेमा सरकार को माओ समर्थक अंगामी दल के घुसपैठ के आक्रमण को रोकने तथा अंगामी विद्रोहियों को नागालैंड में आने से रोकने में सहायता देंगे । मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है । मैं क्या यह भी जान सकता हूं कि जिन थोड़े से व्यक्तियों को भारत आने की अनुमति दी गई है और जो सेमा गुट से सम्बन्ध रखते हैं उनको यहां आने की अनुमति इस समझौते के परिणामस्वरूप दी गई ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम सब भूमिगत नागाओं को भारत वापिस आने में रोक रहे हैं चाहे वे किसी भी दल अथवा गुट से सम्बन्ध क्यों न रखते हों ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार का सेमा गुट से कोई समझौता हुआ है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है ।

Shri Randhir Singh: What the news about the situation in Nagaland published and the situation at present bear a great difference. There is a sizable section among rebel Nagas who do not want to have quarrel with India. May I know whether the Indian Government think over their policy that not only military action is to be taken but more importance should be given to talks with public ? The Members of Parliament of all parties should be sent there and that area may be developed and specially the industries may be set up there. The production may be increased and more roads may be constructed.

Shri Dinesh Singh : It is the policy. There is no need of change in it.

श्री स्वैल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं के दो दल आपस में एक दूसरे से अलग-अलग हैं और क्या यह सच है कि नागालैंड में तथा मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में ये मुठभेड़ें काफी बार होती रहती हैं ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कभी इन मुठभेड़ों में हस्तक्षेप किया है और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार नागालैंड में स्थिति को पूर्णतया विप्लव की स्थिति में आने से रोकने के लिये हस्तक्षेप करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें ज्ञात है कि छुपे नागाओं में प्रमुख दो दल हैं। उनमें पारस्परिक विरोध है तथा उनमें छोटे-मोटे झगड़े भी हुए होंगे। उनमें कोई बड़े स्तर पर झगड़ा भी हुआ है, इसका हमें पता नहीं है। जब किसी परिस्थिति में कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठेगा हम उसका उसी रूप में सामना करेंगे।

श्री बसुमतारी : यह एक प्रमाणित तथ्य है कि श्री फिजो भारत विरोधी मिशन पर बाहर गए और उन्होंने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र और अमरीका में जितना वह कर सकते थे वह किया। उन्होंने इंगलैंड की नागरिकता ग्रहण कर ली है। इन सब बातों को जानते हुए भी सरकार इन मामलों का निर्णय सामान्य कानून के अन्तर्गत करना क्यों चाहती है ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसे विशिष्ट मामला मानकर इस पर विचार करेगी तथा सामान्य कानून के मुताबिक इस पर कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री फिजो को राष्ट्रीयता देने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब यह प्रश्न आयगा उसका समाधान अपने कानूनों के अनुसार ही हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल के मध्यावधि चुनावों से पहले कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि नागालैंड में विद्रोही नागा चुनावों को सफलतापूर्वक पूर्ण होने में सम्भवतः रुकावटें डालें। यदि ऐसी कोई मंशा थी तो भी बहुसंख्यक नागाओं ने पूरे विश्वास के साथ चुनावों में भाग लिया तथा चुनाव कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। नागाओं ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक रीति से विकास करने की इच्छा व्यक्त करने के लिये जो प्रदर्शन किया था क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में यह निर्धारित किया है कि इस कार्य से विद्रोही नागाओं के कार्यकलापों पर कोई सद्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; अथवा वह पूर्णतः स्वतन्त्र घटना है तथा उसका उन पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : हमें आशा है कि इस घटना का उन पर प्रभाव पड़ेगा। नागालैंड सरकार को शपथ लिए थोड़ा ही समय हुआ है और उसे भी इस तथ्य की जानकारी है। हमें आशा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इन कठिनाइयों को दूर करना सम्भव होगा।

श्री चेंगलराया नायडू : प्रतीत होता है कि लगभग 500 नागाओं ने चीन में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था तथा वे लोग भारत आने को सीमा पार करने के लिए बरमा में अवसर

की प्रतीक्षा कर रहे हैं । क्या सरकार सदन को यह विश्वास दिलाएगी कि वह इन 500 नागाओं को भारत में आने से रोकेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सरकार की ओर से यह कहा जा चुका है कि हमने इन लोगों को भारत में प्रवेश न करने देने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिये हैं ।

Shri S. M. Joshi : At the time of Angamian Government they liked to live with India accepting her Constitutional set up. At that time we were of the opinion that they should be well equipped. Now when there has been formed a Government of Bukisho Sema, if we make such statements in respect of Mr. Phizo then, will it not mean that we are paying much importance to the under-ground Nagas and we are giving less importance to those who are connected with us and believe in the Constitutional way ?

Shri Dinesh Singh : No much value is being given to them. We are stating that these matters could be looked into more properly by the Government which have been formed there and we have not yet started any negotiation in the matter.

Shri Sheo Narain : Mr. Phizo went out of our country and he has accepted the U. K. citizenship. Why he is being so much flattered ? Should we not strengthen the newly formed Government there ? I want to know the policy of our Government clearly.

Shri Dinesh Singh : The policy of the Government is quite clear.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस समय नागालैंड में फिजो समर्थक दल का ह्रास हो रहा है तथा साटू समर्थक दल सक्षम होता जा रहा है तथा यह प्रधान मंत्री जी से बातचीत शुरू करना चाहता है ? और यदि हां तो क्या सरकार उन लोगों से बातचीत शुरू करना चाहती है जिनसे बहुत बार विचार-विमर्श किया था तथा बाद में अचानक बातचीत करना बन्द कर दिया था ? तथा दूसरे, श्री फिजो को, जोकि भारतीय न्याय से भागकर इंगलैंड चले गए हैं, आसाम और नागालैंड के राज्यपाल ने यह क्यों कहा है कि यदि वह इंगलैंड की नागरिकता छोड़ दें तो उन्हें भारत में पुनः आने दिया जाएगा ? साथ ही जैसाकि विद्रोही नागाओं के एक गुट ने मांग की है, क्या श्री फिजो के विरुद्ध जो हत्या, आगजनी और लूटपाट के अनिर्णीत मामले पड़े हैं उनको फिर उठाया जाएगा ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है हमने बातचीत करना बन्द नहीं किया । किन्तु हम समझते हैं कि अभी बातचीत प्रारम्भ करने का समय नहीं आया है । नागालैंड में नई सरकार बन चुकी है । हम उससे परामर्श करेंगे तथा देखेंगे कि क्या किया जाय । जहां तक श्री फिजो का प्रश्न है, सदन को मालूम है कि हमने उनके विरुद्ध लगे मामलों को वापस नहीं लिया है । नागालैंड के राज्यपाल ने यह कहा है कि यदि श्री फिजो ने भारतीय राष्ट्रीयता अर्जित की थी तो वह भारत में आ सकते हैं । यहां उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए यह प्रश्न नितांत अलग है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Instead of answering the question raised just now that so long as Mr. Phizo does not ensure that he has given up the hostile attitude against India, why should his proposal of obtaining Indian citizenship be accepted, the Hon. Minister has simply stated that every citizen of India has got the right to come back. I request that his Indian citizenship should be withdrawn in view of the fact that he has accepted the British citizenship. Therefore, his proposal for accepting Indian citizenship should be accorded only when he ensures that he has given up the feelings of hostality against India. Hon. Deputy Minister has said that no action can be taken against him until he becomes a citizen of India. I want to know whether he is being invited for the purpose of taking some action against him ?

Shri Dinesh Singh: There are certain rules under which the citizenship of this country is granted. If any person applies for the citizenship of this country, the action will be taken in the matter according to these rules and it involves the legal aspect of the case whether or not citizenship will be conferred upon him.

Shri Hukam Chand Kachwai: Has the Governor stated it after consulting the Central Government ?

श्री बलराज मधोक : राज्यपाल महोदय ने अनधिकृत रूप से यह वक्तव्य किस आधार पर दिया कि श्री फिजो को नागरिकता के लिए आवेदन दिया जाय ? (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय ! कृपया यदि आप कल इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दें तो मैं सभी बातों को अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या करने का अवसर पा जाऊंगा ।

Shri Shiv Narain: The Governor should be called for an explanation.

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा । यदि आप समझते हैं कि प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर असंतोषजनक है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री शिव नारायन : आप इस सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं । अत: अवश्य ही आपको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए तथा सरकार से हमें उपयुक्त उत्तर दिलवाने चाहिएं ।

Shri K. N. Tiwari: I want to know as to how many criminal cases are registered against Mr. Phizo. In his statement, Governor has pointed out something relating to a Major Policy. The question whether or not he had consulted the Central Government before he made that statement. As Hon. member, Shri Joshi has asked, whether the impact on the people, who want to co-operate with the Central Government, has been ascertained ?

Shri Dinesh Singh: The cases registered against Mr. Phizo have been repeatedly shown to the House in details..... (**Interruption**)

Shri Onkar Lal Berwa: Hon. Minister has stated that they had sent a letter to China but China had not replied to it. In the circumstances, will the Government like to train the Tibetan refugees in guerilla warfare and to send them back equipped with the necessary arms and ammunitions so that they may create rebellious conditions there ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगाजी आपके प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है ।

Shri Onkar Lal Berwa : China has not replied to our letter which shows that it is inciting people there. In these circumstances why we should not send Tibbetese-Refugees after giving them training in Guerilla warfare ?

श्री रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार को पहले से ही इस बात से अवगत कराया जा चुका है कि कुछ समय पूर्व जब हमें नागालैण्ड की भूतपूर्व सरकार से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो उस समय उन्होंने हमें बताया था कि सरकार के कुछ निकटतम सहयोगी अथवा सम्भवत: सरकार के ही कुछ सदस्य उनसे कोई विचार-विमर्श किये बिना लन्दन में श्री फिजो से मिले थे, तथा इस बात को देखते हुए क्या सरकार अब श्री बी० के० नेहरू द्वारा सुझाई गई कोई ऐसी पहल करने से पहले नागालैण्ड की वर्तमान सरकार से विचार-विमर्श करेगी ? हमारे दूसरे विकसित राज्यों में 'बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक' शासन से उत्पन्न असन्तोषजनक अनुभव को देखते हुए, क्या सरकार उस मंत्रालय और राज्यपाल से भी विचार करेगी कि क्या यह उचित नहीं होगा कि विपक्षी आव-समर्थक लोगों, सेमा और अंगामियों से वर्तमान सरकार के प्रति सम्मिलन और सहयोग देने के लिए अनुरोध करें ताकि सम्पूर्ण जनजातियों में विद्यमान वृत्तियों को सरकार के साथ सहयोग करने में लगाया जाय ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है हम नागालैण्ड सरकार को ध्यान में रखेंगे और आवश्यकतानुसार उनसे विचार-विमर्श करेंगे, और ऐसा करते रहेंगे । किन्तु संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को कुछ अधिकार प्रदान करे हुए हैं जिनके अनुसार निर्णय करने पड़ते हैं । परन्तु जैसा मैंने कहा कि हम नागालैण्ड सरकार को ध्यान में रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं । जहां तक वहां वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है, वह समग्ररूप से नागालैण्ड की सरकार है और मैं नहीं समझता कि वहां.....

श्री रंगा : आप मेरे आशय को समझें । क्या आप वर्तमान मंत्रालय से इस बात की पुष्टि करायेंगे कि क्या वह नागालैण्ड-सरकार की राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में सहायता देंगे यदि वे विपक्षी नेता श्री आओं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री को सरकार के सहभागी बनने में सहयोग देने के लिये बुलाएं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा आशय यही था । जहां तक श्री आचार्य जी के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, नागालैण्ड सरकार वहां के लोगों की सयुंक्त सरकार है और वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित है । वे यह कैसे मानते हैं कि वहां की जनजातियों के साथ विचार-विमर्श का निश्चय उन्हीं पर निर्भर करता है ।

श्री रंगा : वह तो इसकी कल्पना भी नहीं करता है । इसके लिए और अधिक सन्तोष-जनक प्रयास होना चाहिए ।

श्री नाथपाई : जब कभी भी वार्ताओं की आवश्यकता हो तो हम उनके विरुद्ध नहीं हैं ।

परन्तु क्या प्रधान मंत्री जी हमें इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे की नागालैण्ड की वैध और न्यायसंगत सरकार की पूर्व सम्मति के बिना तथाकथित नागा विद्रोहियों के साथ न तो कोई समझौता किया जायेगा और न कोई बातचीत ही होंगी। हम सुनते हैं कि सुखाई साटो और दूसरे दलों के साथ बहुधा बातचीत आरम्भ करी जाती हैं। हम ऐसी बातचीत के विरोध में नहीं हैं परन्तु ये नागालैण्ड की वैध और न्याय-संगत सरकार की पूर्व सहमति से होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): जैसा कि प्रो० रंगा का संकेत है इस समस्या को अनेक अवसरों पर सदन के सम्मुख उठाया गया है। नागालैण्ड सरकार का पक्ष लेने का तो विल्कुल ही प्रश्न नहीं है। इस प्रकार मैं पहले प्रश्न के लिए दिए गये उत्तर में भी यह बात जोड़ने का अवसर चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि नागालैण्ड की यह समस्या कितनी कठिन और नाजुक है। यदि नागालैण्ड-सरकार को किसी अन्य दल का सहयोग मिले तो मुझे विश्वास है कि वे और हम भी इसका स्वागत करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the underground Nagas are mostly of Sukhai group. Whether it is a fact that Mr. Sukhai has expressed his desire in black and white or other wise to see Prime Minister for talks with her ? If so, what is the reaction of Government towards this ?

My second question is concerned with the restrictions imposed on permits etc. With a view to establish trade and Industry in this part of India, and in order to liberalize this what steps Government desire to take ?

Shri Dinesh Singh : So far as the question of Shri Sukhai is concerned, the Hon. Member has stated that Mr. Sukhai wants to initiate talks, is correct. He wants to have talks and ordinarily we do not refuse any body from talks. But in view of the present conditions prevailing in Nagaland we do not think advisable that any talk should be entertained. New Government has come there into being. We have to see them first of all.

So far as the Commerce and Industry there are concerned, we are constantly trying to see that Commerce and Industry in Nagaland also should flourish as in other parts of the country and Nagaland Government is also trying for this.

अफगानिस्तान को भारत-निर्मित विमानों की सप्लाई

+

*183. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री बल राज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान ने भारत से कानपुर में निर्मित भारतीय विमान देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विमान कब तक दे दिये जायेंगे और अफगानिस्तान द्वारा भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह सच नहीं है कि, बाजार में मांग न होने के कारण, कानपुर में मंझले-दर्जे के वायुयान बनाने के कारखाने में पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसे वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि यह सच है तो किस आधार पर इस मंझले दर्जे के वायुयान का उत्पादन और इसकी सम्भाव्य मांग 1959 में 150 तक आंका गया था ? क्या मैं इसकी वर्तमान मांग के विषय में जान सकता हूं और इस समय इसकी मांग में कमी क्यों है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह अपनी क्षमता से कम काम नहीं कर रही है । वस्तुस्थिति यह है कि हम इण्डियन एयर लाइन्स और भारतीय वायुसेना की मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं । इस समय इण्डियन एयर लाइन्स की 23 वायुयानों की मांग है । भारतीय-वयुसेना की मांग को मैं बताना नहीं चाहता ।

श्री नि० रं० लास्कर : 1959 सन में सर्वप्रथम इस कारखाने के उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण 150 तक किया था । मैं अब यह जानना चाहता हूं कि अब यथार्थ रूप में कितनी मांग है ।

श्री ल० ना० मिश्र : इण्डियन एयर लाइन्स की मांग का हवाला मैंने दे दिया है और भारतीय वायु सेना की मांग के विषय में मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता ।

Shri Narayan Swarup Sharma : It should be made clear whether the production there has exceeded the consumption in the country and that is why it is being exported ?

Secondly, what would be the terms of payment with Afghanistan ? Whether payment would be made to us in rupee currency or in foreign exchange ?

Shri L. N. Mishra : The question of its export does not arise. As I said earlier that there is no such demand from Afghanistan. There was an enquiry, the information of which have been sent to them so far as the demand of our country is concerned we have enough demand and we are trying to manufacture them in order to fulfil the obligation.

Shri R. S. Vidyarthi : I want to know from the Hon. Minister whether it is a fact that there is a demand from Afghanistan for H.S.748 air craft and keeping this in view the Ministry did not try to increase its production capacity ? They also wanted the provision of maintenance of the Air Crafts, to be supplied to them in Bombay which you did not permit them and as a result supply could not be made ?

Shri L. N. Mishra : There was a request not from Afghanistan Government but from Afghan Air lines through Indian Air lines, for information regarding structure and workmanship of H.S.-748 Air Craft. We sent them required details in November, 1968. There is no demand from them as yet. We shall think over the supply only after the demand is received from them.

Shri R. S. Vidyarthi : Was not there any dispute over maintenance issue ?

Shri L. N. Mishra : No ; sir.

Shri Bharat Singh Chauhan : I want to know whether the air craft manufac tured in the Factory at Kanpur are the fighter air crafts. What is the production cost of fighter Air Crafts manufactured in Factory at Kanpur and which are the planes utilised in Air Force ?

Shri L. N. Mishra : H.S.-748 are not fighter planes, they are transport planes and we sell them to Indian Air lines @ Rs. 83 lakhs each.

श्री बलराज मधोक : अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मित्रदेश है तथा भारत के साथ उचित रूप में व्यापार तथा अन्य चीजों के बारे में अफगानिस्तान जो भी कार्यवाही करना चाहता है पाकिस्तान उस पर हर प्रकार के प्रतिबन्ध लगाता रहा है और उसमें रुकावटें पैदा करता आ रहा है। इस दृष्टि से अफगानिस्तान भारत से और अधिक परिवहन सुविधायें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है और इसीलिये उसने सुझाव दिया है कि भारत सरकार कुछ और परिवहन विमान दे अथवा भारतीय विमान भी माल ढोयें। मेरे विचार से यह सुझाव इसलिये दिया गया है कि थल के सभी मार्ग बन्द कर दिये गये हैं तथा उन्हें सारा मार्ग समुद्र के रास्ते ही तय करना पड़ता है । अतः यदि सरकार इस समय कानपुर में निर्मित विमान नहीं दे सकती, तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा असैनिक उड्डयन मंत्रालय अफगानिस्तान को भारत में माल भेजने हेतु तथा यहां से माल ले जाने हेतु और अधिक विमान देगा ताकि व्यापार के सम्बन्ध में आई यह कठिनाई दूर की जा सके तथा भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध और अधिक सुधर सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि अफगानिस्तान के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए हमें उनकी सहायता करने के भरसक प्रयास करने चाहिये परन्तु मूल रूप से प्रश्न तो उनके द्वारा यहां से परिवहन विमान खरीदने की उनकी इच्छा के बारे में था और मेरे सहयोगी ने इसका उत्तर दे दिया है। यदि बाद में अफगानिस्तान सरकार की ओर से वैमानिक अथवा अन्य परिवहन सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई आवेदन आता है, तो मुझे विश्वास है कि हम इस पर बड़ी सहानुभूति से विचार करेंगे ।

Shri Shri Chandra Goel : It is a matter of happiness and pride that today our planes are in demand in foreign countries also. I want to know whether we would make efforts for creating more prospects for such demands. Further I want to know what is our total production at present and what steps are being taken by the Government to increase it, so that we be able to sell our planes to foreign countries and earn foreign exchange ?

Shri L. N. Mishra : I can not disclose the present production but as I said earlier we have to supply 23 planes to the Indian Air lines and a large number of planes have been

supplied to the Indian Air Force. We want to increase our production by 1 1/2 times next year.

Shri Hardayal Devgun : I want to know that if Afghanistan places an order whether the capacity at Kanpur will be capable to meet her demand or we will have to increase our capacity ? Further I want to know whether our present production is insufficient to meet our own requirements or it is more or less ?

Shri L. N. Mishra : I have already replied this question and I once again say that we have not received any request from Afghanistan. They had, however, made some inquiries and we have furnished them the requisite information. We will consider whether to give or not on receipt of their demand.

मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई

\+

*184. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में मजगांव डाक्स लिमिटेड के कार्यसंचालन का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग). पिछले 5 वर्षों में मजगांव डाक्स लिमिटेड बम्बई का कृत्य विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से जैसे कि वित्तीय रिपोर्ट, मासिक तथा त्रिमासिक रिपोर्टों द्वारा जो कि सरकार को उपकरण द्वारा भेजी गई थीं, समय-समय पर निर्धारित किया गया था । इसके अतिरिक्त कम्पनी का उत्पादन कृत्य का रक्षा उत्पादन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है । जैसाकि नीचे दिये उत्पादन, लाभकरता, विदेशी मुद्रा के अर्जनों और घोषित डिविडेण्डों से देखा जा सकता है कम्पनी उत्तरोत्तर प्रगति करती रही है :

लाख रुपयों में

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
1. उत्पादन	454.94	386.63	390.91	501.27	692.84
2. करदान से पूर्व लाभ	25.88	14.66	17.98	24.90	40.71
3. करदान के पश्चात् लाभ	15.88	6.86	8.23	17.59	40.71

			लाख रुपयों में		
4. वित्तीय मुद्रा अर्जन	88.00	112.00	66.54	107.00	149.00
5. डिविडेण्ड	—	4.57 (4½%)	5.82 (4½%)	9.93 (5%)	14.33 (5%)

इस अवधि में किसी विशेष अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री क० लकप्पा : मजगांव डाक्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी है, जोकि नये युद्धपोतों का निर्माण करती है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है "कि इस अवधि में किसी विशेष अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली है।" मैं जानना चाहूंगा कि इस अवधि में कौन-सी सामान्य अनियमितताओं की सूचना मिली है ?

श्री नम्बियार : सामान्य तथा विशेष में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अब इसे स्पष्ट करेंगे।

श्री ल० ना० मिश्र : लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कुछ छोटी-मोटी अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया था तथा हमने उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अभी तक कोई बड़ी अनियमितता नहीं हुई है।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय जानबूझ कर सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने जांच के दौरान पता लगी कुछ अनियमितताओं को छिपाया है। एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई को चोरी अथवा माल के कम पाये जाने के कारण कोई घाटा नहीं हुआ है परन्तु एक ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गई विशिष्ट विवरण से घटिया किस्म की लकड़ी को स्वीकार करने के कारण कम्पनी को 24,380 रुपये की हानि हुई थी। इस मामले में कई ठेकेदारों का हाथ है तथा वे उन भ्रष्ट अधिकारियों से मिले हुए हैं जोकि हिसाब-किताब में गड़बड़ करते रहते हैं। इस कम्पनी में बड़े पैमाने पर काफी अनियमिततायें हो रही हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कम्पनी में हुई अनियमितताओं की अग्रेतर जांच के लिये कोई जांच समिति नियुक्त करेगी या फिर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं एक बार फिर कहूंगा कि कोई गम्भीर अनियमितता नहीं हुई है। जहां तक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपने का प्रश्न है सो उसे इस बारे मे पहले ही से मालूम है तथा सरकारी उपक्रम समिति मजगांव डाक्स लिमिटेड, के मामलों पर विचार कर रही है।

श्री क० लकप्पा : मैंने उनसे एक विशिष्ट प्रश्न किया था परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अनियमितताओं को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके उत्तर को नहीं समझे हैं विशिष्ट रूप से उत्तर दिया गया है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री लोबो प्रभु : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस एक मामले में तो एक सरकारी उपक्रम को लाभ हुआ है—इसने 5 प्रतिशत का लाभ दिखाया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह लाभ असैनिक क्षेत्र में हुआ है अथवा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि हमारी प्रतिरक्षा के लिये सीमित धनराशि ही उपलब्ध है, क्या यह सही है कि इस कम्पनी द्वारा निर्मित युद्धपोत की लागत हमारे द्वारा खरीदे गये युद्धपोत की यहां पहुंचने पर कीमत मूल लागत से दुगुनी है तथा हमने 50 प्रतिशत पुर्जों पर ही पूरे युद्धपोत के मूल्य से अधिक राशि खर्च कर दी है। अपनी सीमित धनराशि को देखते हुए हम इतने अधिक मूल्य पर अपने पोतों का निर्माण नहीं कर सकते। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इस युद्धपोत के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें नहीं आई हैं! यह इतनी अक्छी किस्म का भी नहीं है जितना कि विदेश से खरीदा हुआ एक युद्धपोत है।

श्री ल० ना० मिश्र : यह पांच प्रतिशत लाभ मुख्य रूप से असैनिक क्षेत्र में हुआ है तथा वह भी विदेशी तथा भारतीय जहाजरानी निगम आदि के जहाजों की मरम्मत में हुआ है। यह सच है कि यह पहला युद्धपोत विदेशी युद्धपोतों की तुलना में कुछ अधिक लागत पर निर्मित हुआ है। परन्तु हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बेशक हम इस समय अधिक धन खर्च कर रहे हैं परन्तु हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर होना है और इसीलिये हम सोचते हैं कि विदेशों से खरीदने के स्थान पर अपने देश में युद्धपोत बनाना अधिक अच्छा है।

Shri George Fernandes : First of all, I want a clarification from the Hon. Minister. In this statement the profit before providing for taxes during the last year has been shown as Rs. 40.71 lakhs and even after providing for taxes it has shown to be the same. May I know where a mistake has been committed.

You have started building frigates in Mazagon Docks and as per this statement the Mazagon Docks earned about Rs. 1½ crores on repairing of foreign ships, during last year. May I know whether the Government have any plans to increase the repairing and manufacturing capacity of Mazagon Docks Ltd.? You should provide the capital required for it.

Shri L. N. Mishra : Shri Fernandes is connected with Mazagon and he is aware that we have invested Rs. 8 crores for its expansion which will be completed by this year. The work of repairing foreign ships, particularly from Central Asian countries is already being done there.

Shri George Fernandes : You have not clarified the figure of Rs. 40 lakhs.

Shri L. N. Mishra : Profit before tax is Rs. 24,90,000 and after deduction of tax it is Rs. 17,59,000. Add up both.

Shri George Fernandes : In 1967-68, profit before tax is Rs. 40.71 lakhs and it remains the same even after paying the tax. I want to know whether you have paid the tax or not or you have got tax exemption ?

Shri L. N. Mishra : We have paid the tax.

Shri George Fernandes : I do not follow it at all. If you have paid the tax then how the profit remains the same ?

श्री ल० ना० मिश्र : कर देने के बाद यह राशि 40,71,000 रुपये है । वर्ष 1967-68 में 692 लाख रुपये आये । इसलिये पहले के 24 लाख रुपये के स्थान पर अब यह राशि 40.71 लाख रुपये है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : प्रारम्भ में लागत अधिक होने पर भी मजगांव डाक्स का विस्तार करना तथा स्वयं युद्धपोतों का निर्माण करना मेरे विचार से एक सही निर्णय है । विदेशी मुद्रा द्वारा कल-पुर्जों का क्रय किया जाना भी न्यायसंगत हो सकता है । अमरीका जैसे देश भी युद्ध-पोतों के निर्माण हेतु विदेशी मुद्रा से कल-पुर्जों का क्रय करते हैं । इस बारे में 30 प्रतिशत खर्च भी न्याय-संगत माना जा सकता है । परन्तु उत्पादन की दर शायद एक प्रतिवर्ष है । क्या इसे बढ़ाना सम्भव है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में विस्तार की क्षमता निर्धारित कर दी गई है । लगभग पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने युद्धपोत बनाये जायेंगे ।

श्री ल० ना० मिश्र : 1971 के बाद 5 युद्धपोत, एक युद्धपोत प्रतिवर्ष ।

श्री स० कुण्डू : मुझे बताया गया है कि मजगांव डाक्स की युद्धपोत, अन्य कल-पुर्जों तथा अन्य नौवहन-साज-सामान बनाने की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । यदि इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये तो उत्पादन दुगुना हो जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात सच है ? दूसरे, क्या अन्य छोटे पत्तनों में, विशेष रूप से कम विकसित राज्यों में निर्माण कार्य करने की प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग की कोई योजना है ।

श्री ल० ना० मिश्र : हम पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं । जहां तक छोटी नावों के निर्माण का प्रश्न है, हमने मछली पकड़ने वाली छोटी नावों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय ।

श्री स० कुण्डू : वह इतनी जल्दी बोल रहे थे कि मैं समझ नहीं सका । मेरे समझने से पूर्व ही वह बैठ गये । क्या वह अपने उत्तर को दोहरायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कहा है कि हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं । हम क्षमता से कम कार्य नहीं कर रहे । हमने मजगांव डाक्स में मछली पकड़ने वाली छोटी नावों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया है ।

श्री स० कुण्डू : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ? क्या आपका कार्यक्रम युद्धपोतों, जलयानों तथा कल-पुर्जों के निर्माण-कार्य को अन्य पत्तनों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में भी फैलाने का है ? कृपया "हां" अथवा "नहीं" कहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय इस सुझाव पर विचार कर रहा है ? मुझे युक्तिसंगत उत्तर दीजिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What percentage of the components used in building of the frigates in this company is procured from other factories and what percentage of components is manufactured by themselves. Is it a fact that the cost of components procured from other industries is very high and if we make them here in this undertaking itseif, the cost will be very much less ?

Shri L. N. Mishra : As regards components we purchase them from different industries there and also from foreign countries since everything cannot be made here itself.

Shri Hukam Chand Kachwai : What percentage of components do we purchase from outside ?

Shri L. N. Mishra : 19 per cent are made indigenously and 81 per cent are procured from abroad. But gradually we will start to manufacture 33 per cent of them here itself and the rest will have to be imported.

Shri Hukam Chand Kachwai: It will be cheaper to make them here instead of purchasing from abroad.

नेपाल को सहायता

+

*185. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री शशि भूषण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में अनेक औद्योगिक परियोजनाएं चालू करने के लिये नेपाल सरकार की सहायता करने के लिए भारत योजना बना रहा है;

(ख) क्या नेपाल में विकास कार्यक्रम के लिए सहायता के बारे में गत दिसंबर में नेपाली आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल से कोई बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या भारत-नेपाल व्यापार करार के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में नेपाल के साथ अधिमानात्मक व्यवहार किया जाता है, नेपाल द्वारा तृतीय देश नियम के कथित उल्लंघन के बारे में भारत से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नेपाल में औद्योगिक परियोजनाओं में भारत पहले से ही मदद दे रहा है ।

(ख) भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बारे में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 से 28 दिसंबर तक विचार-विमर्श हुआ था ।

(ग) इस बात की समाप्ति पर जारी की गई सम्मिलित विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 141/69]**

(घ) काठमांडू में 15 से 19 नवम्बर 1968 तक मंत्रि-स्तर की जो सम्मिलित बातचीत हुई थी, उसमें इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है जो 19-11-1968 को इस सदन की मेज पर रखा गया था।

संयुक्त विज्ञप्ति

भारत सरकार के निमंत्रण पर नेपाल की महामहिम की सरकार के वित्त मंत्री डा० भेख बी० थापा के नेतृत्व में एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए 23 दिसंबर 1968 को नई दिल्ली आया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव श्री वी० एच० कोइल्हो ने किया।

2. यह बातचीत दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विदेश मंत्रालय में 24 से 28 दिसंबर, 1968 तक हुई। इस बातचीत में अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें पहले की बातचीत की समीक्षा, वर्तमान कार्यों की प्रगति और क्रियान्विति और आर्थिक क्षेत्र में भारत की ओर से भविष्य में पड़ने वाली जरूरतों के विषय में नेपाल के आकलन के बारे में अनौपचारिक विचार-विमर्श भी शामिल था।

3. इस ओर ध्यान दिया गया कि पिछली बातचीत में जो निर्णय लिए गए थे वे संतोष-जनक ढंग से क्रियान्वित किए गए हैं।

4. जिन वर्तमान योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया उनमें यह भी शामिल हैं: पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहायता, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का रख-रखाव, विशेष सहायता कार्यक्रम और क्षेत्र नहरों का पूरा किया जाना। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के आर्थिक विकास के इन अधिकांश सम्मिलित कार्यक्रमों की प्रगति की हृदय से सराहना की।

5. भारतीय पक्ष ने दीर्घकालिक योजना में आर्थिक विकास की दिशा में नेपाल की सहयोग की भावना और उसके प्रयासों की सराहना की। इस सिलसिले में नेपाली पक्ष ने नेपाल में रेल लाइनें विकसित करने और परिवहन तथा संचार की सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने में तथा सिंचाई और बिजली के विकास में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने नेपाली पक्ष को यह आश्वासन दिलाया कि भावी आर्थिक सहयोग की इन योजनाओं और इसके दूसरे पक्षों के आयोजना और क्रियान्वयन में भारत ज्यादा से ज्यादा सहयोग देगा।

6. नई दिल्ली में डा० थापा उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई, वाणिज्य मंत्री, श्री दिनेश सिंह, योजना आयोग के उपप्रधान, श्री डी० आर० गाडगिल, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बी० आर० भगत से तथा भारत सरकार के उच्च अधिकारियों से मिले और उन्होंने आर्थिक तथा संबद्ध क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के बारे में विचार-विमर्श किया ।

7. नेपाली प्रतिनिधिमंडल के नेता, डा० थापा ने अगली समीक्षा वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को कांठमाडू आने का निमंत्रण दिया । भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता, श्री वी० एच० कोइल्हो ने इस निमंत्रण के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया ।

श्री रा० की० अमीन : मंत्री महोदय ने सभा-पटल पर संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति रखी है । यदि आप इसे पढ़ें तो आप देखेंगे कि यह इतनी अस्पष्ट है कि हमें इसमें आर्थिक सहयोग के स्वरूप के बारे में किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं उपलब्ध होता, जो कि हम नेपाल के साथ करने जा रहे हैं । विशेष रूप से यहां एक स्थान पर कहा गया है—

"·····आर्थिक क्षेत्र में भारत की ओर से भविष्य में सहयोग की नेपाल की आवश्यकताओं के बारे में नेपाल का अनुमान·····"

परन्तु वह अनुमान क्या है, यह हम नहीं जानते । जब आप किसी पड़ोसी देश से ऐसा आर्थिक सहयोग करते हैं, जिसमें कि विदेश नीति की बात भी आती है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह सहयोग काफी दिन चले तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो । अतः ऐसा सहयोग आर्थिक मामलों के बारे में सहायक होना चाहिये । संयुक्त विज्ञप्ति में ऐसी कोई गारंटी नहीं है वे स्वयं को अर्थव्यवस्था के अच्छे पहलुओं तक ही सीमित रखेंगे तथा अर्थव्यवस्था के प्रतियोगितात्मक पहलुओं को अधिक महत्व नहीं देंगे । हमें उनके साथ ऐसी परियोजनाओं को भी चलाना चाहिये, जो कि भारत में पहले ही सफल हो चुकी हैं तथा असफल परियोजनाओं को न आरम्भ करने का प्रयत्न करना चाहिये । जब प्रतिनिधिमंडल आया था । तो वे लोग वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री से मिले परन्तु फेड्रेशन आफ चैम्बर्ज आफ कामर्स अथवा ऐसे किसी अन्य संगठन से नहीं मिले जिनके क्षेत्र में अधिकतम परियोजनायें सफल हुई हैं । आप जानते ही हैं कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें असफल हुई हैं । हम असफल परियोजनाओं को वहां नहीं भेजना चाहते । क्या मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन पा सकता हूं कि हम अर्थव्यवस्था के केवल अच्छे पहलुओं पर ही सहयोग करेंगे तथा केवल उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे जहां हम सफल रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि हमें केवल अच्छे पहलुओं को ही लेना चाहिये तथा जो परियोजनायें असफल हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये । परन्तु विकासशील देशों के विकास के बारे में आप यह नहीं कह सकते वे उन उद्योगों को न चलायें जो शायद लाभदायक न हों लेकिन उनके अपने विकास के

लिये आवश्यक हों। इस प्रकार हो सकता है कि जो उद्योग उनकी आवश्यकताओं के लिये अनिवार्य हों परन्तु वे लाभप्रद न हों मगर नेपाल में विकास किये जाने योग्य हों। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जिन वस्तुओं का निर्माण करने में हम यहां सफल नहीं हुए उन तजुर्बों को नेपाल में फिर से न दोहराया जाये परन्तु उन कुछ चीजों के नेपाल में निर्मित किये जाने से लाभ हो सकता है जो कि भारत में नहीं बनाई जा सकीं। अतः इस शर्त पर सिद्धान्त रूप में विचार करते हुए, मैं माननीय सदस्य की बात को मानने को तैयार हूं।

श्री रा० की० अमीन : यह सब जानते हैं कि नेपाल और भारत के मध्य भारी स्तर पर तस्करी हो रही है। कुछ समय पूर्व कहा गया था कि विदेशी टेरीलीन भारत में बने कपड़े से भी सस्ती बिक रही है।

नेपाल का व्यापारी वर्ग तस्करी के माल का वितरण पटना में कर रहा है। विचार-विमर्श से अथवा मंत्री महोदय द्वारा दिए गए ब्योरों से मुझे यह पता नहीं लगता कि माल की इस तस्करी को रोकने के बारे में कोई चर्चा की गई है और कोई कार्यवाही की गई है ताकि नेपाल और भारत के बीच इस तस्करी को रोका जा सके। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : तस्करी को रोकने के लिए नेपाल सरकार से हमने समझौता करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, परन्तु हमने उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है ताकि तस्करी को रोका जा सके। प्रेस विज्ञप्ति में इसका उल्लेख है।

Shri Meetha Lal Meena : Mr. Speaker, as there is an agreement with Nepal regarding customs duty, I want to know whether Government is aware of the loss of Customs Duty being suffered by us on account of the smuggling of foreign goods into India through Nepal ?

Secondly, as the foreign goods smuggled through Nepal are cheaper than the indigenously manufactured goods, has any assessment been made to find out the loss suffered by our factories ?

Thirdly, the visiting Nepalese Delegation had discussions with the representatives of Public Sector only and not with those of Private Sector. Will it be ensured in future that such delegations meet the representatives of the private sector as well ?

Shri Dinesh Singh : So far as the first part of the question is concerned, the figures about smuggling can be furnished only if we know the extent of smuggling. If you are better informed you should pass on the information to us so that we may try to check it.

श्री एन० शिवप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस मैत्रीपूर्ण समझौते की आड़ में, जो भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है, और जिसके अन्तर्गत भारत में आयात किये गये नेपाली माल को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, हमारा व्यापारी वर्ग और कुछ धूर्त विदेशी लोग अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं न कि

नेपाल सरकार अथवा वहां के निवासियों के हितों के लिए ? पिछले दो वर्षों में मंत्री महोदय और सरकार से बारबार अनेक लिखित शिकायतें की गई हैं । तत्कालीन सम्बन्धित मंत्री श्री ब० रा० भगत नेपाल गये थे और नेपाल सरकार से इस बारे में विचार विमर्श किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर कोई विशेष समझौता हुआ है और क्या इस समस्या के समाधान तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार चोरी-छिपे व्यापार न हो, कोई प्रयास किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : विदेशी कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री नेपाल गए थे, तो उन्होंने इस बारे में विचार-विमर्श किया था और किया गया निर्णय सदन को बताया गया था ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत के कुछ निर्यातक भारत से नेपाल को माल भेंजते रहे हैं और वहां से इसका दूसरे देशों को पुनः निर्यात किया जा रहा है जिससे भारत सरकार निर्यात शुल्क से वंचित रह जाती है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, नेपाल सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है और उन्होंने इसे रोकने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए कहा है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have been trying to make Government understand since August about the agreement concluded with Nepal .....(interruptions)..... In the month of January I posted two letters and drew the attention of Government to the two points. Nepal is producing five to six times more quantity of cloth as compared to that agreed to be exported by Nepal to India under the agreement concluded in November last. This cloth is being smuggled into India. I had given the figures of the same. On the basis of information furnished by him regarding the import of nylon yarn.

Secondly, the Indian goods exported to Nepal are being re-exported to other countries thus depriving India of Foreign Exchange. I have quoted various such instances before Government. I want to know the concrete action taken on these two issues raised in the two letters sent by me?

Shri Dinesh Singh: If the Hon. Member takes the trouble to see the Press Communique about agreement concluded in November, he will find that both the issues were discussed with the Nepalese Government. So far as the question of excess production of goods in Nepal with raw material procured from outside is concerned, they have said that the limit of procurement which was fixed last year would be adhered to and more quantity would not be procured and produced. Regarding the re-export of Indian goods to other countries through Nepal, they have offered their full cooperation to check this. Perhaps some licences have been issued wrongly and both the Governments have agreed to check them. After that, the question for its early implementation arises. The Nepalese Government and our Government are making efforts to implement them at the earliest.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रक्सोल से नेपाल में हिथोदा तक बड़ी लाइन

*186. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री अदिचन :
श्रीमती सुशीला नैयर :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री समर गुह :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने रक्सोल से नेपाल में हिथोदा तक 60 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए संभाव्यता सर्वेक्षण करने का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कितना धन व्यय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग). जी हां । लेकिन नेपाल की सरकार ने समस्तीपुर से रक्सोल तक के मीटर-गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के भारत के कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और इस रेल लाइन को नेपाल में हिथोदा तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है । नेपाल को उसके आर्थिक विकास में सहायता देने की अपनी नीति के अनुसार भारत सरकार इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सहमत हो गई है । नेपाल के महामहिम की सरकार से सविस्तार तकनीकी प्रार्थना आने पर रक्सोल से हिथोदा के बीच रेल लाइन डालने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण अक्तूबर, 1969 में करने का विचार है ; हिथोदा और रक्सोल के बीच करीब 80 किलो-मीटर का फासला है । सर्वेक्षण के काम में 12 महीने लग जाने की उम्मीद है । सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही यह ठीक-ठीक बताया जा सकता है कि इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी ।

राज्यों को सहायता

*187. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कुछ राज्यों द्वारा अपनाये गये विशेष सूत्रों, यथा केन्द्रीय ऋणों के सम्बन्ध में राज्यों का अदायगी दायित्व, संसाधन जुटाने में असमर्थता, औद्योगिक पिछड़ापन आदि को ध्यान में रखते हुए योजना की मोटी रूपरेखा निश्चित करने के लिए कोई सूत्र निर्धारित किया है ; और

(ख) क्या बड़ी सिंचाई, विद्युत तथा कृषि-औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने के इच्छुक राज्यों को कोई विशेष प्राथमिकता देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद शीघ्र ही चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करने जा रही है ।

Indo-Pak Agreement on Division of River Waters of Eastern Sector

*188. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in concluding an agreement with Pakistan for the sharing of water of rivers in the eastern sector ; and

(b) the terms of the agreement, if any, concluded in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Negotiations are going on with Pakistan under the cooperative approach on the question of the exchange of technical data concerning the relevant projects on the Eastern Rivers. The next meeting is scheduled for March 18 at Islamabad.

(b) Does not arise.

Committee on Aeronautics

*189. **Shri C. K. Chakrapani :**
Shri K. M. Abraham :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri Nambiar :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Committee on Aeronautics has submitted its report ;

(b) if so, the main recommendations thereof and Government's reaction thereto ; and

(c) if not, when the Committee is likely to submit its report and the reasons for delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The studies undertaken by the Aeronautics Committee were wider in range and depth than estimated earlier. The Committee is now expected to submit its report by the end of March, 1969 or shortly thereafter.

'Spotlight' Programme of A.I.R.

*190. **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of times persons or jonrnalists belonging to 'Patriot' and other newspapers

were invited during 1967 and 1968 for 'Spotlight' programme of All India Radio and the amount of remuneration paid to them ;

(b) whether more persons were invited from Patriot in proportion to others ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1142/69.]**

(b) The number of persons from the 'Patriot' who were invited to participate in the 'Spotlight' programmes was not larger than those invited from some other papers. But the total number of bookings of these persons was larger than that of persons from any other newspaper.

(c) The 'Spotlight' is a forum of discussion in which all points of view are freely expressed. The selection of persons for participating in this programme depends on the controversial nature of topics and the availability of persons who can express different points of view irrespective of the newspapers to which they belong.

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के प्रारूप के बारे में राज्यों के साथ विचार/विमर्श

*191. **श्री जनार्दनन :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री कुशोक बकुला :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री रवि राय :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री एम० मेघचन्द्र :**
श्री मोलहू प्रसाद : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री सोमचन्द सोलंकी :**
डा० रानेन सेन : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वासुदेवन् नायर : **श्रीमती तारा सप्रे :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ योजना आयोग ने इस बीच विचार-विमर्श पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो (1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के परिव्यय, (2) केन्द्रीय सहायता तथा (3) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के बारे में किये गये विचार विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्यों की चौथी योजनाओं के मसौदों पर मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया

था । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार किये जाने के बाद परिव्यय, केन्द्रीय सहायता, राज्यों के साधनों आदि के ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

Defence Arrangements in Andaman and Nicobar Islands

*192. **Shri M. L. Sondhi :**
Shri P. M. Sayeed ;
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have completed their defence arrangements in respect of the entire Andaman-Nicobar group of Islands ;

(b) if not, the time by which the said arrangements are expected to be completed ;

(c) whether in view of the strategic importance of the Andaman-Nicobar Group of Islands, Government would consider the matter of maintaing a Naval fleet over there permanently ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). The defence of the Andaman and Nicobar Group of Islands is covered in the overall plans for the defence of the country. Necessary steps, including provision of naval facilities, have been taken.

अखबारी कागज सलाहकार समिति

*193. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के लिए अखबारी कागज नियत करने के लिए अखबारी कागज सलाहकार समिति द्वारा क्या प्रस्ताव किये गये हैं ; और

(ख) कम मूल्य के दैनिक तथा छोटे समाचार पत्रों की अखबारी कागज की कठिनाइयां कम करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : (क) 1969-70 के लिए समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन के बारे में कुछ सुझावों पर अखबारी कागज सलाहकार समिति की 8 जनवरी, 1969 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी । जो मुख्यत: (1) 1968-69 की औसत खपत के आधार पर अखबारी कागज के कोटे के नियतन और (2) दैनिकों और पत्रिकाओं के लिए अनुज्ञेय पृष्ठों की संख्या में वृद्धि के विषय में थे । ये सुझाव विचाराधीन हैं ।

(ख) छोटे समाचार-पत्रों, जिनका मूल्य आम तौर पर कम होता है, को अखबारी कागज के आवंटन के मामले में उदार नीति बरती जा रही है । इन पत्रों की विशेष कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

बैरूत हवाई अड्डे पर इसराइली हमला

*194. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री नंजा गौडर : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री महेंद्र माझी : **डा० कर्णी सिंह :**
श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरुत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल के इसराइली हमले के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या पश्चिम एशिया की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत ने कोई प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बेरूत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसराईल के आक्रमण करने से स्थिति काफी बिगड़ गई है ।

(ख) और (ग). भारत सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के संकल्प का बराबर समर्थन कर रहा है और इसे लागू करने का प्रयत्न करता है । उसने बेरूत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसराईली का आक्रमण संबंधी सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में भी मत दिया ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण

*195. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के प्रसारण स्टेशनों से प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देने वाला कोई भी साहित्य सुलभ नहीं है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रकाशित 'आकाशवाणी' पत्रिका की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार का विचार उसमें ऐसी सामग्री शामिल करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) इस प्रकार का साहित्य मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परन्तु इच्छुक व्यक्ति इस जानकारी को विदेशी प्रसारण संगठनों द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों से हासिल कर सकते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आकाशवाणी की पत्रिकाओं का काम अन्य प्रसारण संगठनों के कार्यक्रम का प्रचार करना नहीं है ।

भारतीय प्रेस परिषद

*196. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष समाचार-पत्रों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के विरुद्ध भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष कितनी शिकायतें आईं ;

(ख) क्या भाषण तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय के अधिकार की गारन्टी देने वाले अनुच्छेद 19 (1) (क) के उपबन्धों के अनुरूप 'जर्नलिस्टिक एथिक्स एण्ड एथिकल कैनन्स आफ न्यूजपेपर प्रैक्टिस' की यथार्थ रूप से व्याख्या करने, संहिताबद्ध करने तथा उसे कानून का रूप देकर पारित करने का कार्य कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रेस परिषद के समक्ष वर्तमान कानून के किन विशिष्ट उपबन्धों के अधीन सामयिक पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों को पत्रकारिता-नीति शास्त्र की अस्पष्ट तथा संदिग्ध परिभाषाओं के आधार पर प्रताड़ना दी गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) इकत्तीस ।

(ख) यद्यपि ठीक-ठीक संहिताबद्ध तथा अधिनियिमित व्याख्यायें नहीं हैं, परन्तु कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो पत्रकारों और समाचार-पत्रों द्वारा मौन रूप से अपने व्यवसाय के लिए उल्लिखित नीति शास्त्र के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। ये सिद्धान्त इस बात का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि क्या चीजें पत्रकारिता नीति का उल्लंघन करने वाली है या जनरुचि के विरुद्ध अपराध है ;

(ग) प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 13 (1) के अनुसार परिषद को यह अधिकार है कि वह उन समाचार-पत्रों की शिकायतों की जांच करे जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और परिषद के पास इस बात पर विश्वास करने के लिए कारण हैं कि समाचार-पत्र ने पत्रकारिता के स्वीकृत स्तर या जनरुचि के विरुद्ध अपराध किया है ।

दैनिक समाचारपत्रों पर नियन्त्रण

*197. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र कुछ 'समाचार-पत्र एकाधिपतियों' के अधिकार में आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्रों की विभिन्न श्रृंखलाएं कौन-कौन सी हैं ;

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) समान स्वामित्व के अन्तर्गत समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ।

(ख) विभिन्न समान स्वामित्व एककों की सूचियां तथा उनके समाचार-पत्रों की संख्या और खपत का ब्योरा प्रेस इन इण्डिया'—1968 भाग 1 (पृष्ठ 87 से 104) में दिया हुआ है। जिसकी एक प्रति 28 अगस्त, 1968 को सदन की मेज पर रख दी गई थी।

'मिग' विमानों की तुलना में अधिक अच्छे काम देने वाले विमान

*198. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे विमानों का पता लगाया है, जो 'मिग' विमानों की तुलना में अधिक अच्छा काम दे सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे विमान कौन से हैं तथा किस देश में बनाये गये हैं ; और

(ग) 'मिग' विमानों की तुलना में उनका काम कहां तक अच्छा होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार का यह निरन्तर प्रयास है कि संक्रियात्मक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए आई० एफ० को समय-समय पर विमानों की अच्छी किस्मों से सुसज्जित किया जाय। अधिक विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Training in Guerilla Warfare

*199. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether Government have chalked out any programme to impart training to the Indians in the guerilla warfare keeping in view the fact that the Chinese and Pakistani armies are trained in the guerilla warfare ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : Yes, Sir.

नयी दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने तिब्बती शरणार्थियों का प्रदर्शन

*200. **श्री नायक :**
श्री नंजा गौडर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दिनकर देसाई :
श्री स० कुन्दू :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में 30 दिसम्बर, 1968 को चीनी दूतावास के सामने सैकड़ों तिब्बती शरणार्थियों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों तथा चीनी दूतावास के अधिकारियों के बीच कोई संघर्ष हुआ था और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या चीन की सरकार ने इस बारे में कोई विरोध-पत्र भेजा हैं और यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें लिखी हैं ; और

(घ) भारत सरकार ने उस विरोध-पत्र का क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 30 दिसम्बर, 1968 को नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास के बाहर करीब 150 व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया था जिनमें बहुत से तिब्बती थे ।

(ख) कुछ प्रदर्शनकारियों ने चीनी राजदूतावास के बाहर पुलिस का घेरा तोड़ कर चीनी राजदूतावास के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके थे । चीनी कर्मचारियों ने भी अपने राजदूतावास की इमारत में पीछे हटते हुए आगे बढ़ती हुई भीड़ पर कुछ पत्थर फेंके थे ।

(ग) जी हां । चीन के 3 जनवरी, 1969 के विरोध-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 143/69]

(घ) इसका यथासमय उपयुक्त उत्तर भेज दिया जायगा ।

विद्रोही नागाओं का शिविर

*201. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में कोहिमा के निकट छेदिमा में फिजो समर्थक उपद्रवी नागाओं के केम्प पर हाल ही में कैटो समर्थक नागाओं ने कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और क्या विद्रोही नागाओं का नेतृत्व हाल में कैटो समर्थकों के हाथ में चला गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). हमारी सूचनाओं के अनुसार छिपे नागाओं के कथित जुंगती दल ने कोहिमा के पास छेदिमा केम्प पर कब्जा कर लिया है जिस पर पहले फिजो-समर्थक दल का नियन्त्रण था । ऐसा बताया जाता है कि जब जुंगती दल ने इस कैंप में प्रवेश किया तो वह खाली था । छिपे नागाओं के दलों में सत्ता के लिये संघर्ष जारी है । सरकार स्थिति पर ध्यान रखे हुए है ।

विद्रोही नागा

*202. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं के मुख्यालय पर जिस पर अभी हाल तक उग्रवादियों अथवा फिजो समर्थक नागाओं का कब्जा था, नरम दल वाले विद्रोही नागाओं, जिसके नेता श्री सुखई हैं, ने अपना नियन्त्रण कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नरम दल वाले नागा लोग केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत जारी रखने के लिये उत्सुक हैं ; और

(ग) क्या सरकार को उनसे इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार छिपे नागाओं के श्री सुखयी समर्थक दल ने चेदेमा कैम्प पर अधिकार कर लिया है जिस पर पहले फिजो समर्थक वर्ग का नियन्त्रण था । श्री सुखयी के अनुयायियों ने इस पर कब्जा जब किया उस समय कैम्प खाली था ।

(ख) और (ग) भारत सरकार को श्री सुखयी के वर्ग से बात-चीत फिर शुरू करने का संदेश मिला है । सरकार का यह मत है कि वर्तमान परिस्थिति में आगे बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है । सरकार राज्य की कानूनन बनाई गई सरकार से निकट सम्पर्क बनाये है ।

किलटान द्वीप (लक्ष द्वीप समूह) में पुलिस चौकी पर आक्रमण

*203. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 दिसम्बर, 1968 को लक्ष द्वीप द्वीपसमूह के किलटान द्वीप में 300 व्यक्तियों ने पुलिस चौकी पर आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर पाकिस्तानी तत्व बहुत सक्रिय हैं और वे वहां पर गड़बड़ी पैदा करने के लिये प्रयत्नशील हैं ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्री का गत सत्र में दिया गया आश्वासन, कि सब कुछ ठीक है, गलत सिद्ध हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिससे कि बाद में लक्ष-द्वीप द्वीपसमूह की रक्षा करना कठिन न हो जाये जहां कि पाकिस्तानी तत्व सक्रिय हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस द्वीप समूह की सुरक्षा निश्चित करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है, और इस सम्बन्ध में उसने उचित पग उठाये हैं ।

साम्प्रदायिक लेख

*204. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1968 में सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में किया गया यह

निर्णय मान लिया है कि देश में साम्प्रदायिकता भड़काने वाले समाचार-पत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : (क) और (ख). समाचार-पत्रों में साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले लेखों के प्रश्न पर हाल ही में सूचना मन्त्रियों के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलनों में चर्चा की गई थी। सम्मेलन इस बात पर एकमत थे कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें समाचार-पत्रों में छपने वाले साम्प्रदायिक प्रचार के लेखों की कड़ी जांच करती रहे। न मानने पर, अभ्यस्त, दोषी समाचार-पत्रों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाना होगा। यह स्वीकृत हुआ था कि इस प्रकार के मामलों में सरकारी विज्ञापन देने में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण रखा जाये।

अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय

*205. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि कुछ अफ्रीकी देश भारतीयों को अपने देश से निकाल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ देशों की सरकारों ने भारतीयों का व्यापार तथा उद्योग अपने हाथ में ले लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). जहां तक सरकार को मालूम है अफ्रीकी देशों की सरकारों ने न तो अभी भारतीय राष्ट्रिकों को वहां से भगाया है और न भारतीयों के व्यापार और उद्योगों को ही छीना है। परन्तु कुछ पूर्व अफ्रीका के देशों में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विदेशियों की भूमिका को सीमित करने के बारे में वैधानिक और अन्य उपाय बरते जा रहे हैं। कुछ अपवादों के साथ ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्तियों को ही इससे नुकसान हुआ है या होने की सम्भावना है। इसलिये यूनाइटेड किंगडम की सरकार की मुख्यत: जिम्मेदारी है फिर भी भारत सरकार भारत मूलक ऐसे व्यक्तियों को सभी सम्भव सुविधाएं मानवीय एवं

दयनीय आधार पर दे रही है और देती रहेगी जिन्हें अपने निवास के देश छोड़ने के लिये बाध्य किया गया है ।

Amenities to Jawans and Officers Posted in Border Areas

*206. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amenities other than salary, provided to the Jawans and Officers posted in border areas ;

(b) the allowances paid to the Jawans and Officers separately who do not reside with their families on these borders ;

(c) the expenditure incurred by Government on boarding and lodging of each Jawan and Officer separately ; and

(d) whether any scheme is being formulated by Government to extend more facilities to the Jawans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-144/69.]**

सेना में "अदर रैंक्स" की महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा की सुविधाएं

*207. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो महंगाई भत्ता और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं असैनिकों को उपलब्ध हैं, वे सेना के जवानों को उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन्हें समान स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) जी नहीं । सेना के अवर श्रणी सैनिक असैनिक दर का 80 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं, जो द्रव्यों में, कई रियायतों के साथ या उनके बदले नकद भत्तों के साथ कि जो अवर श्रेणी सैनिकों को देय हैं, असैनिकों को देय महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति करता है । इसी प्रकार अवर श्रेणी सैनिक सशस्त्र सेनाओं के हस्पतालों और दन्त चिकित्सा केन्द्रों में हर प्रकार का प्राप्य उपचार प्राप्त करते हैं, और कई विशिष्ट हालतों में असैनिक और निजी हस्पतालों में भी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा मछली पकड़ने वाली विदेशी नाव को छोड़ना

*208. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री ज० अहमद :

श्री बदरुद्दुजा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह

के प्राधिकारियों द्वारा सिंगापुर को मछली पकड़ने वाली नाव के पकड़े गये कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है ;

(ख) उनको किन परिस्थितियों में पकड़ा गया था और उन्हें किन शर्तों पर छोड़ा गया था ;

(ग) क्या पहले भी अन्य राष्ट्रों की मछली पकड़ने वाली नावों को पकड़ने के ऐसे ही मामले हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। चालक वर्ग के सभी सदस्यों पर 15 जनवरी, 1969 को पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था और दोषी ठहराकर उन सबको 4-4 महीने की सजा दी गई थी।

(ख) मछली पकड़ने वाली नाव भारत के प्रादेशिक समुद्र के भीतर, नरकोडम द्वीप के पास भारतीय नौसेना के एक जहाज द्वारा पकड़ी गई थी। यह नाव विदेशी अधिनियम की धारा 14 विदेशी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश, 1963 के पैरा 3 के साथ पठित के अन्तर्गत पकड़ी गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन विदेशी अतिक्रमणकारी जलयानों की सूची दी गई है जिन्हें इसी क्षेत्र में 1958-1968 के बीच देखा या पकड़ा गया था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 145/69]**

नागाओं के साथ मुठभेड़

*209. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में चीन और पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य स्थानों की सीमा पर विद्रोही नागाओं के साथ हुई मुठभेड़ों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विद्रोही नागाओं को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से कोई सैनिक सहायता न मिले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पिछले तीन महीनों में भारत-पाकिस्तान अथवा भारत-बर्मा सीमा के आस-पास हमारी सुरक्षा सेनाओं और छिपे नागाओं के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। लेकिन असम के उत्तर कच्छार क्षेत्र में दिसम्बर, 1968 में छिपे नागाओं का एक गिरोह को रोककर तितर-बितर कर दिया गया था। यह गिरोह पूर्व-पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था।

(ख) हमारी सुरक्षा सेनाएं छिपे नागाओं के चीन और पाकिस्तान को आने-जाने से रोकने के लिये घना गश्त लगा रही हैं। चीन से लौटने वाले छिपे नागा, जो कि अगस्त, 1968 से सीमा पर हैं हमारी सुरक्षा सेनाओं की चौकसी की वजह से अभी तक भारत में नहीं घुस पाए हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का योगदान

*210. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के योगदान के सम्बन्ध में मलयेशिया के विदेशी मामलों के सचिव के विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः मलयेशिया के वैदेशिक कार्यों के स्थायी मंत्री तथा श्री मुहम्मद गाजली बिन शफी के एक भाषण का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने 16 दिसम्बर, 1968 को 'सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान' में दिया था। सरकार ने इस भाषण की रिपोर्ट देखी है।

(ख) भारत इस ओर से पूरी तरह सजग है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में उसका क्या महत्व है और उसकी क्या स्थिति है।

पूना छावनी बोर्ड

1160. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना छावनी बोर्ड के कमान्डेन्ट ने सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित कर के असैनिक क्षेत्र समिति को उसके राजस्व से वंचित कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्ड ने 29 अक्तूबर, 1968 के अपने संकल्प संख्या 4 में कमान्डेट द्वारा की गई इस ज्यादती का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) दिनांक 29-10-1968 का संकल्प सिविल एरिया कमेटी का है, और उक्त कमेटी द्वारा निर्माण के प्रार्थनाओं पर दी गई सहमति के जी० ओ० जी० द्वारा स्वीकृति स्थान के विरुद्ध आपत्ति करता है।

(ग) उक्त मामले "पुरानी ग्रांटों" के अधीन धारण की गई भूमियों से सम्बन्धित हैं। "पुरानी ग्रांटों" के अधीन भूमि धारण करने वालों से भूमि के पट्टे के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सरकार प्रार्थना का निरीक्षण करती है, और यदि कोई आपत्ति न हो तो प्रीमियम

और किराये सहित उचित शर्तों पर उसे प्रदान कर देती है ऐसे कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन है।

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्ति

1161. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय लोगों के रुई के कारखानों, चाय बागानों, सिनेमाघरों तथा अन्य सम्पत्तियों की संख्या कितनी है तथा उनका अनुमानित मूल्य कितना है ; जिन्हें "शत्रु सम्पत्ति" घोषित किया गया है और जिनको पूर्वी पाकिस्तान सरकार नीलाम करना चाहती है।

(ख) हमारी सरकार ने किस प्रकार का विरोध किया है और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई बदले की कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने "शत्रु सम्पत्ति" कहकर जितनी भारतीय संपत्ति पर कब्जा किया उसकी संख्या और अनुमानित मूल कीमत, जहां तक सरकार को मालूम है, सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी०** 146/69]

(ख) भारत सरकार ने इस तरह गैर-कानूनी रूप से सम्पत्ति पर कब्जा कर लेने और उसकी नीलामी करने के इरादे के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और उनसे कहा है कि इस प्रकार की सम्पत्ति परस्पर वापस सौंपने के बारे में विचार-विमर्श करें। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन विरोधियों का कोई उत्तर नहीं आया।

(ग) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय आय का वितरण करने के बारे में आंकड़े

1163. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत की विभिन्न वर्गों की जनता में राष्ट्रीय आय के वितरण के आकड़े सरकार के पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 और 1968-69 में कुल राष्ट्रीय आय में (एक) कारखानों के श्रमिकों, (दो) श्रमिकों से भिन्न कर्मचारियों (तीन) स्वतंत्र श्रमिकों, (चार) लाभ, (पांच) किराया, (छः) ब्याज और (सात) कृषि श्रमिकों का क्या-क्या भाग रहा है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े एकत्र करने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़े अर्थ-व्यवस्था के कृषि, खनन तथा पत्थर खनन जैसे बड़े और छोटे पैमाने के विनिर्माणकारी उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों के अनुसार संकलित किये जाते हैं, प्रश्न के भाग (ख) में सूचीबद्ध वर्गीकरण के आधार पर नहीं ।

(ग) और (घ). आय वितरण एवं जीवन स्तर विषयक समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की जायेगी ।

जम्बिया और उगान्डा में भारतीय

1164. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** । क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रधान मंत्री हाल ही में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये लन्दन गई थीं, तो क्या उन्होंने जम्बिया तथा उगांडा में रहने वाले भारतीयों के प्रश्न पर सम्बद्ध नेताओं से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) जी हां ।

(ख) जाम्बिया और उगांडा के राष्ट्रपति, इस मामले की सहानुभूतिपूर्वक जांच करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1166. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में रेडियो स्टेशन में लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : गुजरात राज्य में आकाशवाणी के केन्द्रों में लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी ने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

गुजरात राज्य में आकाशवाणी के केन्द्रों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या			**गुजरात राज्य में आकाशवाणी के केन्द्रों में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या**		
लिपिक	चतुर्थ श्रेणी	योग	लिपिक	चतुर्थ श्रेणी	योग
8	26	34	5	15	20

आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली में चौकीदार

1167. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली में चौकीदारों तथा स्टूडियो गार्डों के कितने पद हैं ;

(ख) उनमें से कितने पद रिक्त हैं ; और

(ग) आकाशवाणी में चौकीदारों को पदोन्नति के क्या अवसर प्राप्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चौकीदारों के 115 पद तथा स्टूडियो गार्डों के 21 पद ।

(ख) चौकीदारों के 6 पद तथा स्टूडियो गार्ड का एक पद ।

(ग) चौकीदारों की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है ।

आकाशवाणी में चौकीदारों में लिए छुट्टियां

1168. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के चौकीदारों को राजपत्रित वैकल्पिक छुट्टियां तथा समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकारी आदेशों के अनुसार, आकाशवाणी के चौकीदार तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के हकदार हैं, अन्य किसी राजपत्रित छुट्टियों और वैकल्पिक छुट्टियों के नहीं । उन्हें सरकारी आदेशों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

चौकीदारों तथा स्टूडियो गार्डों के कर्तव्य

1169. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय स्टूडियो गार्डों तथा चौकीदारों के कर्तव्य समान हैं परन्तु उनके वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चौकीदारों को स्टूडियो गार्ड के पद पर पदोन्नति के अवसर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। स्टूडियो गार्डों तथा चौकीदारों के कर्तव्य भिन्न-भिन्न हैं। उनके वेतनमान भी अलग-अलग हैं क्योंकि स्टूडियो गार्डों की अहर्तायें ऊंची हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Reports of Commissions etc. Relating to Ministry of Defence

1170. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the names, dates of publication, languages in which published, price and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and its attached and subordinate offices and establishments during the last 20 years ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : Labour and effort in collecting this information will not be commensurate with the result.

सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के साथ भेंट (इन्टरव्यू)

1171. **श्री रा० की अमीन :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री द० रा० परमार :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० कर्णी सिंह :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री ने हाल में सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को एक इन्टरव्यू दिया था ;

(ख) क्या इस इन्टरव्यू के दौरान पाकिस्तान और काश्मीर का भी कुछ उल्लेख हुआ था ;

(ग) क्या उसको प्रसारण से निकाल दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) काश्मीर और पाकिस्तान के बारे में प्रश्नोत्तरों का जिक्र वास्तविक प्रसारणों में नहीं है ; वह सम्भवतः श्री लंका की सरकार की नीति के अनुसार है जिसके, भारत और पाकिस्तान, दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओखा पत्तन में पकड़ी गई पाकिस्तानी नौकाएं

1172. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे अधिकारियों द्वारा कुछ समय पूर्व ओखा पत्तन में पकड़ी गई पाकिस्तानी नौकाओं को पाकिस्तान को वापिस कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जनवरी-फरवरी, 1968 के दौरान जो 30 पाकिस्तान जलयान पकड़े गए थे उनमें से 27 जलयान दिसम्बर, 1968 में छोड़ दिए गए थे और पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे क्योंकि वे किसी प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाइयों में शामिल नहीं पाए गए थे ।

गुजरात में रासायनिक विस्फोटक कारखाने की स्थापना

1173. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिये टाल्यूइन, बुनियादी कच्चा माल है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह में टाल्यूइन के 14,000 मीटरी टन के उत्पादन को देखते हुए गुजरात राज्य में एक रासायनिक विस्फोटक कारखाना स्थापित करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) टी० एन० टी० के निर्माण के लिए टोलून खान पदार्थों में से एक है ।

(ख) गुजरात में इस समय कोई केमिकल एक्सप्लोसिव फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Trade Representative of Mysore in London

1174. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken regarding the future of Office of Trade Representative of Mysore in London ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). No, Sir. The matter is still under consideration.

Concentration of Chinese Army on Indo-China Border

1175. **Shri M. L. Sondhi :**
Shri P. M. Sayeed :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the concentration of the Chinese army and their activities have unusually increased recently on the Indo-China Border ;

(b) if so, the object of China behind this concentration of her arm as viewed by Government ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Chinese troops continue to remain in strength across our Northern border. There has, however, been no significant change in their activities recently.

(b) Does not arise.

(c) A close watch is kept across our borders in the interests of safe guarding our territorial integrity.

नौकरियों के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय कोटा

1176. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री क० लकप्पा :
श्री समर गुह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौकरियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय कोटे के बारे में कुछ रोष प्रकट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र प्रधान सचिव ने महासभा को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके अनुसार 31 अगस्त 1968 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के व्यावसायिक और कार्यकारी वर्गों के 65 पदों पर भारतीय कार्य कर रहे थे जबकि उनके लिए 26 से 31 तक पद निर्धारित हैं। इसी तरह कई और सदस्य राज्यों का भी

'अधिप्रतिनिधित्व' इसमें है और इसकी वजह से 'न्यून प्रतिनिधित्व' वाले सदस्य राज्यों ने कुछ प्रतिकूल टीका-टिप्पणी की है ।

भारत के तथाकथित 'अधिप्रतिनिधित्व' कारण बहुत हद तक ऐतिहासिक है । संयुक्त राज्य की जब स्थापना की गई थी, तब इसके सचिवालय की स्थापना उन संस्थापक सदस्यों को करनी पड़ी थी जिनके पास पर्याप्त मात्रा में योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी थे जिन्हें वे दे सकते थे । भारत उन सदस्य देशों में था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को प्रशिक्षित जन दिये जिनकी उसे जरूरत थी । संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में सभी सदस्य राज्यों का न्यायोचित प्रतिनिधित्व हो और धीरे-धीरे, इस तरह यह काम हो भी रहा है जिससे कि संगठन की कार्यकुशलता पर बुरा असर न पड़े ।

कीनिया में रहने वाले भारतीयों का काम तथा रिहायश के परमिटों को रोक लिया जाना

1177. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड ।
श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० वें० नायक :
श्री सीता राम केसरी :
श्री बलराज मधोक :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया सरकार ने ब्रिटिश पारपत्र रखने वाले भारतीयों के काम तथा रिहायश के परमिटों को रोक लेने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से कितने भारतीयों पर कुप्रभाव पड़ेगा ;

(ग) इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस मामले में ब्रिटेन सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ग) और (घ). ऐसे ब्रिटिश पासपोर्टधारियों की पहली जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की सरकार की है । जहां तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम की सरकार का प्रश्न है, ऐसे लोगों को फिर से बसाने के बारे में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के बीच प्रबंध पहले ही किया जा चुका है जिन्हें कीनिया छोड़ने पर बाध्य किया जाये और जो भारत आना चाहते हों ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीयों के लिए वीसा दिया जाना

1178. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० वें० नायक :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० की अमीन :
श्री समर गुह :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जे० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को वीसा जारी करना बन्द कर दिया है जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

1179. **श्री गु० चं० नायक :**
श्री दे० अमात :
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 के दौरान पाकिस्तान ने कितनी बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस अवधि में पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर में 1949 के युद्धविराम समझौते के 1471 उल्लंघन किए हैं ।

(ख) 1480.

(ग) इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक पर्यवेक्षकों को युद्धविराम उल्लंघनों की शिकायतें कर दी गई हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यक प्रतिकारी उपाय भी किये गये हैं ।

Rioting by I. A. F. Personnel at Faridabad

1180. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Baburao Patel : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some I. A. F. personnel were arrested by the Police for creating disturbances in Faridabad (Haryana) on the 7th January, 1969 and they were handed over to Army authoritics ; and

(b) if so, the action taken by the army authorities against them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) One Seargent and four other airmen were arrested by the Civil Police on the 7th January, 1969 for creating disturbances in Faridabad. They were later taken over by the Air Force Police.

(b) A Court of Inquiry was ordered to inquire into the said incident and the report is under examination.

Hindi Press Clippings

1181. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Molahu Prasad :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4955 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the names of English and Hindi dailies from which Press clippings are taken in the Press Information Bureau at present ;

(b) whether it is a fact that the number of Hindi clippings sent to the various Ministries is far less than those of English clippings while there is enormous scope and necessity of taking out more clippings from Hindi Newspapers ; and

(c) the strength of staff employed for taking out English clippings and Hindi clippings separately and their pay scales ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) List of English and Hindi newspapers from which clippings are taken in the Press Information Bureau is attached. **[Placed in Library. See No LT-147/69]**

(b) The number of clippings supplied to various Ministries/Departments etc., of Government at present from Hindi newspapers/ periodicals is smaller, but it has been found to be adequate by and large for the present.

(c) Designation	Staff Employed on English Clippings	Staff Employed on Hindi Clippings	Scale of Pay
Assistant Information Officer	1	1	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800
Information Assistant	5	2	Rs. 270-10-290-15-410-EB-15-485
Assistant/U.D.C.	4 Asstt.	1	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.
UDC			Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-280
LDC	1	—	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175 5-180
Daftry	12	2	Rs. 75-1-85-EB-2-95
Peon	1	—	Rs. 70-1-80-EB-1-85

Financial Assistance to P. T. I. and Samachar Bharati

1182. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4959 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether the question of paying the second instalments to the P. T. I. and Samachar Bharati has since been considered ;

(b) if so, when the instalments were paid and the amounts thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which they are likely to be paid ;

(d) whether the question of giving loan to the Hindustan Samachar for purchasing the equipment has since been considered ; and

(e) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). Financial sanctions for the release of the second loan instalment of Rs. 12 lakhs to the P. T. I. and of Rs. 75,000 to the Samachar Bharati have already been issued, authorising their General Managers to draw the respective amounts from the Treasury.

(d) and (e). The matter is under consideration.

Hindi Broadcasts in External Services

1183. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 820 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the reason for which much less time has been allotted for Hindi broadcast as compared to English broadcast in external services of All India Radio ;

(b) whether Government propose to allot equal time for Hindi and English broadcasts; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The primary function of the External Services is to reach the listeners in foreign countries in their own languages. The General Overseas Service in English is AIR's only global service, and it is intended for all English knowing listeners in foreign countries. The programmes in Hindi, and for that matter in other Indian languages, are intended for Indians and people of Indian origin residing in foreign countries which is altogether a separate category of listeners so far as External Services are concerned. The time allotted to broadcasts in English and in Hindi has to be decided on different criteria and a comparison between the two is not meaningful.

(b) No, Sir.

(c) As stated against (a) above.

Enquiry Committee on Films Censor Rules

1184. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1023 on the 3rd April 1968 and state :

(a) the time by which the Enquiry Committee to go into the question of censorship of films would submit their report ; and

(b) the criteria adopted for making the selection of members to this committee ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Enquiry Committee on Film Censorship expects to submit its report by 31st May if not earlier.

(b) The criteria of selection were acknowledged eminence in (a) the knowledge of public affairs, (b) education, (c) the arts, and (d) film.

आकाशवाणी पत्रिकाएं

1185. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 तथा 1968 में भाषावार 'आकाशवाणी' से कितनी पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं तथा उनकी लागत क्या है ;

(ख) उन वर्षों में उनकी कुल कितनी बिक्री हुई ;

(ग) भाषावार कितनी पत्रिकायें बिना बिक्री पड़ी रहीं ; और

(घ) इस कारण हुई हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्वेज नहर का बन्द होना

1186. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त माल भाड़ा होने के कारण भारत को अधिक व्यय करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो 1968 में कितना अतिरिक्त माल भाड़ा खर्च हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1968 में जो अतिरिक्त माल भाड़ा खर्च हुआ, उसे बताना सम्भव नहीं है।

हाइड्रोजन बम विस्फोट के परिणामस्वरूप रेडियो धर्मिता में वृद्धि

1187. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार विस्फोट परमाणु होने के कारण, जिसमें चीन और फ्रांस के हाइड्रोजन बमों के पिछले विस्फोट भी सम्मिलित हैं ; भारत के ऊपरी वायुमंडल में रेडियो धर्मिता में वृद्धि हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम अनुमान क्या हैं ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत में अथवा इस देश के आस-पास के क्षेत्र में कोई रोग या महामारी फैली है ;

(घ) इस प्रकार के विस्फोटों के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिये किस प्रकार के उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) चीन और फ्रांस को इस प्रकार के परमाणु परीक्षण न करने के लिये राजी करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के वायुमंडल में विद्यमान रेडियोऐक्टिवता की मात्रा के नवीनतम अध्ययनों से पता लगा है कि वह सन् 1963 से कम होती रही है तथा उसका वर्तमान स्तर लगभग नगण्य है । चीन द्वारा किए गए परमाणु बम के अन्तिम विस्फोट के परिणामस्वरूप भारत में रेडियो-ऐक्टिवता की मात्रा में अब तक कोई परिमेय वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) परमाणु परीक्षणों के बारे में भारत सरकार के विचार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में सार्वजनिक रूप में व्यक्त किए जा चुके हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

1188. **श्री क० लकप्पा :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने गत दो वर्षों में विदेशों में कितने प्रतिनिधिमण्डल भेजे ;

(ख) उन प्रतिनिधिमण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल ने कितनी धनराशि व्यय की ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चालीस ।

(ख) से (ग). संलग्न विवरण में इनके ब्योरे दिए गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 148/69]

योजना आयोग द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

1189. **श्री क० लकप्पा :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने गत दो वर्षों में कितने प्रतिनिधिमण्डल विदेशों में भेजे ;

(ख) उन प्रतिनिधिमण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). गत दो वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा दो प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित किये गये। इनमें से एक प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर,1967 में थाईलैंड को तृतीय एशियाई आयोजक सम्मेलन और क्षेत्रीय योजना समन्वय तथा आर्थिक सहयोग के लिए एकेफ द्वारा संयोजित अन्तर सरकारी परामर्श सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया। दूसरा प्रतिनिधिमण्डल सितम्बर/अक्तूबर, 1968 में रूस को वहां की योजना की वर्तमान पद्धतियों के अध्ययन और व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में-भारत और रूस के सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिये गया। थाइलैंड जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल पर 16,550 रुपये की राशि और रूस जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल पर 34,100 रुपये की राशि खर्च की गई।

(घ) तृतीय एशियाई आयोजक सम्मेलन ने योजनाओं के कार्यान्वित करने में सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और बाधाओं की जिनमें कृषि क्षेत्र और निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी नीतियों और स्कीमों की विशेष समस्यायें भी शामिल थीं, समीक्षा की। योजना समन्वय सम्मेलन में एकेफ क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और योजना समन्वय की रीतियों के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया।

Plant to Produce Rich Uranium Oxide Fuel in Hyderabad

1190. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the progress made so far in regard to setting up of plants to produce rich uranium oxide fuel elements in Hyderabad ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : The detailed design and lay-out of the plant are being worked out.

Indian Rare Earths Limited

1191. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the project formulated for extracting different elements from rare earth in the Indian Rare Earths Ltd., factory during the Fourth Plan, the names of elements along with their quantity which are likely to be extracted and the demand for these elements within and outside the country ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : Indian Rare Earths Limited have immediate plans during the next 15 months for the manufacture of Cerium Oxide, Lanthanum Nitrate and Yttrium Oxide. The indigenous and export demand for these has yet to be tested.

Flight of Indian Aircrafts to Europe without Touching Israel

1192. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian aircrafts bound for Europe do not fly through

Israel because India's foreign policy is in favour of U. A. R. and they do not want to incur their displeasure ; and

(b) if not, what are the other reasons, therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) The existing routes and facilities available to Indian aircraft bound for Europe have proved to be adequate.

Talks with U. A. R. Regarding the Laying of Oil Pipe Line along Suez

1193. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of U. A. R. held any talks with the Government of India in regard to the oil pipe line being laid by them along side the Suez Canal ; and

(b) if so, whether this is likely to benefit India ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चीन से नागा विद्रोहियों की वापसी

1194. **श्री हेम बरुआ :** **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बाल्मीकि चौधरी : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोवू अंगामी के नेतृत्व में चीन में प्रशिक्षित 1000 नागा विद्रोही अब तक नागालैंड में दाखिल हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या उनके पास से चीनी शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कई महीनों की अवधि में चीन में प्रशिक्षित छिपे नागा किसी तरह छोटे-छोटे दलों में नागालैंड में घुस आने में सफल हो गए हैं। लेकिन मोवू अंगामी और उसके गिरोह के ज्यादातर लोग भारतीय सीमा के दूसरी तरफ ही हैं ; हमारी सुरक्षा सेनाओं की चौकसी की वजह से उनके लिए इधर घुस आना बहुत मुश्किल हो रहा है ।

(ख) गैर-कानूनी तरीके से चीन और पाकिस्तान में चले जाने और बाहर से हथियार लाने की कार्रवाई बंद रखने से संबद्ध करार का गंभीर उल्लंघन है । हमारी सुरक्षा सेनाएं विदेशी हथियारों और उन अड्डों की खोज करती रही हैं जहां से चीन से लौटने वाले गिरोह कार्रवाई करते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जो छिपे नागा नागालैंड में घुस आए हैं उन्हें बराबर खदेड़ा जाता रहता है ।

(ग) चीन में प्रशिक्षित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई में, चीन के बने कुछ हथियार और गोला बारूद हमारी सुरक्षा सेनाओं के हाथ लगे हैं।

जम्मू और काश्मीर के बारे में श्री सी० राजगोपालाचारी का सुझाव

1195. **श्री हेम बरुआ :** **श्री देवेन सेन :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री किकर सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रामचन्द्र जे० अमीन :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री सी० राजगोपालाचारी द्वारा दिये गये सुझाव की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और काश्मीर राज्य को दस वर्ष तक विश्व की तीन बड़ी शक्तियों के नियंत्रण में रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है। अतः इसे विदेशी नियंत्रण में देने का प्रश्न नहीं उठता।

Appointment Rules in A. I. R.

1196. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri J. B. Singh : **Shri Balraj Madhok:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 817 on the 18th December, 1968 and to lay a copy of rules laid down for making appointments of personnel for managing the "Vividh Bharati" Programme on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : A copy each of the set of rules for recruitment of the following staff who are directly concerned with 'Vividh Bharti' Programmes of All India Radio is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-149/69]**

1. Programme Executive.
2. Producer/Assistant Producer.
3. Script Writer.
4. Announcer.

दिल्ली और मद्रास से व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

1197. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री बाबू राव पटेल :
श्री अदिचन :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के दिल्ली तथा मद्रास केन्द्रों के विविध भारती कार्यक्रम में व्यापार सम्बन्धी प्रसारण आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में पहले आरम्भ किये गये व्यापार सम्बन्धी प्रसारण की योजना से सरकार ने मुनाफा कमाया है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक कितना मुनाफा हुआ है तथा यह योजना कहां तक सफल रही है ; और

(घ) यह योजना अन्य केन्द्रों में कब तक आरम्भ की जायेगी तथा उन केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1 नवम्बर, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक बम्बई, पूना-नागपुर वाणिज्यिक सेवा से खर्चा निकालने के बाद शुद्ध मुनाफा 33,13,301 रुपये हुआ । कलकत्ता सेवा जो 15 अक्तूबर, 1968 से चालू हुई थी, के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । योजना सफल रही है क्योंकि उपलब्ध समय से मांगें ज्यादा हैं और सरकार को लाभ हो रहा है ।

(घ) देश में अन्य केन्द्रों पर भी इस सेवा के विस्तार क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार दिया जाएगा । इसका ब्योरा अभी तक तय नहीं किया गया है ।

इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में लाइसेंसों का दिया जाना

1198. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में फिर लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कितने नये कारखाने स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) मुख्यतया किन वस्तुओं के लिए नये लाइसेंस जारी किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र में लाइसेंस देना किसी भी समय निलम्बित नहीं हुआ । तदपि प्रायोजित विकास के लिए कुछ संघटकों के लिए प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाता रहा था ।

1973 तक की इलैक्ट्रानिकी संघटकों की आवश्यकताएं अब निर्धारित कर ली गई हैं, और उद्यमकर्ताओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं । नई-नई एस्टेब्लिशमेंटों की संख्या, कि जो स्थापित की जाएंगी प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर निर्भर होगी । जिन मदों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं, वह हैं :—

(1) सेमी कण्डक्टर्ज ।

(2) कार्बन रिजिस्टर्ज ।

(3) पोटेन्श्योमीटर्ज ।

(4) थर्मामीटर्ज-वारिस्टर्ज ।

(5) इलेक्ट्रोलिटिक ।

(6) प्लास्टिक फिल्म तथा स्टाईरोफ्लेक्स ।

(7) सीरामिक कैपिसिटर्ज ।

(8) गैंग कण्डेन्सर्ज ।

(9) ट्रिमर्ज ।

(10) लाउड स्पीकर ।

(11) बैंड चैंज स्वीच ।

Construction of Christian Schools at Roorkee

1199. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a few army officers posted at Rookee employed soldiers for construction of buildings for christian schools in Roorkee and army machinery was also used for the purpose during the last four years ;

(b) whether an enquiry will be conducted by Government ; and

(c) whether any complaint has been received by Government in this connection ; if so, the contents of the complaint and the action taken against the persons at fault ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Engineer troops with some machinery participated in the construction of three schools at Roorkee. These schools

comprised of the Central School, a Regimental School and St. Anne's Convent. This was done by the Bengal Engineer Group and Centre primarily with the object of giving training to Engineer tradesmen of the Army on live building projects and is permissible according to regulations. No complaint appears to have been received by the Government in the matter and no further enquiry is indicated.

प्रागा टूल्स लिमिटेड

1200. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रागा टूल्स लिमिटेड को इसकी स्थापना के समय से (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्थकक में कमी (4) आग अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). प्रागा टूल्स लिमिटेड सर्व प्रथम निजी क्षेत्र में 1943 में एक लिमिटेड कम्पनी के तौर पर स्थापित की गई थी, और वह 1958-59 में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आई । कम्पनी द्वारा अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की त्रुटियां, अग्निकांडों या अन्य ऐसे कारणों वश उस वर्ष से वहन किया गया ह्रास, यदि कोई हो, तो उसके विषय में इस प्रावस्था पर सूचना प्राप्य नहीं है । जहां तक 1958-59 से पश्चात् की अवधि का संबंध है, प्रागा टूल्स लिमिटेड को अनियमितताओं, चोरी अग्निकाण्डों या अन्य ऐसे किन्हीं कारणों से अभी तक कोई हानि नहीं उठानी पड़ी । इस अवधि में स्टाक में त्रुटियों के कारण कम्पनी को हुई हानि के विस्तार इस प्रकार हैं :—

वर्ष	स्टाक में त्रुटियों के कारण हुई हानि
1958-59 से 1960-61	कुछ भी नहीं
1961-62	2658.00 रुपये
1962-63	2332.00 रुपये
1963-64	953.00 रुपये
1964-65 से 1965-66	कुछ भी नहीं
1966-67	32,794.00 रुपये
1967-68	कुछ भी नहीं

स्टाक में त्रुटियां उपरोक्त हानि के कारण थीं मुख्यत: क्लर्की गलतियां और चूकों के कारण रिकार्ड में कमियां । इस बात का कम्पनी को सन्तोष है कि इन सभी वर्षों में

कमियों का प्रतिशत अति उपान्त था। इन कमियों को नियन्त्रित और निवृत्त करने के लिए कम्पनी अपने एकाउंट विभाग में स्टोर कार्डों और विन कार्डों में अन्दराजों के निरीक्षण और पुष्टीकरण का तरीका अपनाए हुए हैं।

संस्कृत में समाचारों का प्रसारण

1201. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत परिषद् नामक संसद् सदस्यों की एक संस्था ने मांग की है कि संस्कृत में समाचारों का प्रसारण करने के लिये कुछ समय नियत किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) संस्कृत भाषा में नियमित समाचार बुलेटिन चालू करना आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि इनके सुनने वालों की संख्या बहुत ही सीमित होने की सम्भावना है। तथापि, आकाशवाणी के बम्बई, पटना, भोपाल, इन्दौर, रांची, पूना और जयपुर केन्द्रों से समाचार समीक्षायें संस्कृत में महीने में दो बार प्रसारित की जाती हैं।

आकाशवाणी केन्द्र बड़ौदा

1202. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के बड़ौदा शहर में आकाशवाणी के नये केन्द्र की इमारत के लिये स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, तथा इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इसके लिए भारतीय विद्या भवन के निकट मकरपुरा रोड पर 3.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा रही है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

वैम्पायर जेट विमानों के स्थान पर अन्य विमानों की व्यवस्था

1203. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० वे० नायक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री मुत्तुस्वामी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री न० कु० सोमानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना में वर्ष 1948 से प्रयुक्त हो रहे वैम्पायर जेट विमानों के स्थान पर भारत में निर्मित एच० जे-टी 16 विमान प्रयोग में लाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो एच० जे-टी—16 विमानों की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) वैम्पायर जेट विमानों की तुलना में यह कैसा कार्य करता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). वैम्पायर फाईटर, फाईटर स्क्वैडर्न में सेवा में रहे हैं और वैम्पायर ट्रेनर, फाईटर प्रशिक्षण सकन्ध की सेवा में। एच० जे० टी-16 एक जेट ट्रेनर विमान है और इसलिए स्क्वैड्रर्न सेवा में वैम्पायरों का स्थान नहीं लेगा। प्रशिक्षण कृत्य में एच० जे० टी-16 उस प्रशिक्षण के लिए अभिप्रेत है जो इस समय हार्वर्ड विमान द्वारा दी जाती है।

लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय से ब्रिटिश चिह्न का हटाया जाना

1204. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 4 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय से ब्रिटिश चिह्न तथा शिलालेख को हटाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब यह हटाया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक हटाये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इसके स्थान पर भारतीय चिह्न अंकित किया जायेगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। शिलालेखों को हटाने और उनके स्थान पर उपयुक्त भारतीय प्रतीकों को रखने के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। यह बात महत्वपूर्ण है कि यह काम ऐसे किया जाना चाहिये कि इस भवन का वास्तुकला सौंदर्य किसी तरह कम न हो; इसमें खर्च भी होगा। इनकी पूरी तरह जांच की अपेक्षा है। ऐसा सोचा जाता है कि वर्तमान शिलालेखों के स्थान पर अशोक चक्र और त्रिसिंह मूर्तियां लगाई जाएंगी।

Allocation of Work among various Ministers

1205. **Shri Molahu Prasad:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4989 on the 18th December, 1968 and state:

(a) the names of the Ministers along with the subjects assigned to them in various Ministries for which they are finally responsible; and

(b) whether a copy of the Order on the basis of which division of work in the Ministries and Departments is decided for the disposal by State Ministers and Deputy Ministers will be laid on the Table?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). As stated in reply to Unstarred Question No. 4989 on 18th December, 1968, the responsibility for the transaction of business allotted to a particular Ministry or Department rests primarily with the Minister-in-charge of the Ministry or Department. The distribution of work is not governed by any formal orders and is a purely internal matter. Therefore it is not possible to furnish any details sought by the Hon. Member.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Staff

1206. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 496 on the 13th November, 1968 and to state:

(a) whether the information with regard to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and non-Scheduled Castes employees in the Ministry has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for inordinate delay?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (c). In fulfilment of the assurance given by the Minister of Information and Broadcasting in answer to Lok Sabha unstarred question No. 496 dated the 13th November, 1968, the information has already been laid on the Table of the House.

Benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees

1207. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the benefits admissible to Government servants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of fixation of seniority in accordance with Home Ministry's Office Memoradum No. 9/45/60-Establishment (D), dated the 20th April, 1961 have not been extended to the Civilian employees of Army Ordnance Corps, who are controlled by Record Officer, Secunderabad, and are paid from Defence Estimates Fund;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, category-wise, who have benefited up to December, 1968?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) Yes, Sir.

(b) This Memorandum of Ministry of Home Affairs has been implemented in respect of civilian employees of the Armed Forces Headquarters (including Inter-Services Organisations) and in respect of Class I and Class II employees in the lower formations under this Ministry.

The general principles contained in the Memorandum could not be adopted for fixation of seniority of Class III and Class IV employees in the lower formations under this Ministry, as these would adversely affect the seniority of ex-servicemen re-employed in civilian posts and surplus civilian employees in Defence installations absorbed in alternative employments under the scheme of adjustment of surpluses and deficiencies. Consequently, the Government Memorandum dated 20-4-1961 could not be implemented in respect of Class III and Class IV employees in the lower formations, including the civilian employees of the Army Ordnance Corps who are controlled by the Record Officer, Secunderabad and who are paid from Defence Estimates Fund.

(c) Does not arise.

Employees in Ordnance Factories

1208. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4160 on the 11th December, 1968 regarding Ordnance Factories and to state :

(a) whether the information in respect of employees belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other castes working in the Ordnance Factories has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). The information as on 1-1-'68 is furnished in the attached statement. Similar information as on 1-1-'69 is being collected.

Statement

Number of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Communities Employees in the Ordnance and Clothing Factories as on Ist January, 1968

Category	Number of Employees belonging to		
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Communities
(i) Class I ..	12	2	546
(ii) Class II ..	1	—	142
(iii) Class III ..	1,833	40	32,198
(iv) Class IV ..	20,142	2,277	63,861
Total ..	21.988	2,319	96,747

कलकत्ता में अथवा उत्तर प्रदेश में अणु अनुसंधान केन्द्र

1209. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री दे० अमात :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता में अथवा कलकत्ता के आस-पास अथवा उत्तर प्रदेश में एक अणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक परिवर्ती ऊर्जा-साइक्लोट्रान कलकत्ता में बनाया जा रहा है ।

(ख) इस साइक्लोट्रान के बनने से नाभिकीय भौतिकी क्षेत्र के परिष्कृत कार्य करने तथा जैव एवम् कृषि उत्पादों का नियंत्रित सीधा किरणन करने के बारे में अनुसंधान करने की आधुनिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी । इस किस्म के साइक्लोट्रान में किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होने के कारण इसमें विभिन्न किस्मों के ऐसे आइसोटोप उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका उत्पादन परमाणु भट्टी में नहीं किया जा सकता ।

(ग) इस प्रायोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है ।

ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों द्वारा झूठे दावे प्रस्तुत करना

1211. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 'वाच डाग' समिति में सर्वदलीय अध्यक्ष तथा ब्रिटिश संसद् (हाउस आफ कामन्स) के सदस्य श्री जान क्वाड-कारपेंटर द्वारा 6 दिसम्बर, 1968 को हाउस आफ कामन्स में सरकारी व्यय के बारे में दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में भारत तथा पाकिस्तान के प्रवासियों ने अपने आश्रितों के बारे में झूठे विवरण प्रस्तुत करके ब्रिटेन की सरकार को 20-28 मिलियन पौण्ड की राशि के करों से वंचित किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जहां तक भारतीय नागरिकों का संबंध है इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिये जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो पूरे मामले का वास्तविक विवरण क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । वास्तव में भारत सरकार द्वारा अर्थपूर्ण जांच-पड़ताल करना संभव नहीं है क्योंकि ये आरोप यूनाइटेड किंगडम में आप्रवासियों द्वारा कर बचाने के आरोप हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्यांग में चीन का आयुध डिपो

1212. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान हाल में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चीन ने अपने सिक्यांग स्थिति आयुध डिपो को सुदृढ़ बनाया है ताकि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को, गिलगित-सिकयांग सड़क के द्वारा जिस पर कि तीन टन भार वाले ट्रक चल सकते हैं, सुविधा से हथियार सप्लाई किये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को समाचारपत्रों की रिपोर्टों का ज्ञान है, और गिलगित सिक्यांग सड़क की मंशा का भी । अपनी रक्षा की सुरक्षा के लिये उचित उपाय किए गए हैं ।

गत आम हड़ताल में पदच्युत भारतीय वायुसेना में असैनिक कर्मचारी

1213. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग स्थित वायुसेना के सभी असैनिक कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने पर सेवा से हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मंत्रिपरिषद् के 18 अक्तूबर, 1968 के निर्णय के बाद भी सेवा में वापिस नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । शिलांग में सेवा कर रहे विभिन्न वायुसेना यूनिटों के कुछ असैनिक कर्मचारी 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण एक मास के नोटिस के बदले एक मास के वेतन और भत्तों सहित सेवा से डिस्चार्ज किये गए थे ।

(ख) और (ग). उन डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों के मामलों पर पुनरीक्षण हो रहा है ।

परम्परागत हथियारों में आत्मनिर्भरता

1214. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा के लिये परम्परागत हथियारों के बनाने के मामले में

आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). छोटे हथियारों, उनके लिये गोली बारूद और हल्के आर्टिलरी आयुधों और उनके लिये गोला बारूद जैसी कई मदों के संबंध में हम आत्मनिर्भर हैं। अन्य मदों के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य है एक आत्मनिर्भर देशीय उत्पादन बेस की स्थापना। इस ओर पग उठाए जा रहे हैं।

नये आयुद्ध कारखानों में उत्पादन

1215. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी नये आयुध कारखानों ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस विलम्ब का एक कारण वित्तीय कठिनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पांच नई आर्डनेंस फैक्टरियों में से वरगांव और तिरुचिरापल्ली की फैक्टरियों ने पहले से ही उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि चांदा की फैक्टरी ने सीमित तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया है। अम्बाझारी और जबलपुर की फैक्टरियां अभी विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं। इनके अतिरिक्त हजरतपुर, आगरा की एक्सेलरेटिड फ्रीज ड्रायिंग फैक्टरी ने अक्तूबर, 1968 में उत्पादन शुरू कर दिया था।

(ख) चांदा और अम्बाझारी में विलम्ब के मुख्य कारण हैं पुनःसंगठन की आवश्यकता और यू० के० तथा यू० एस० ए० की सरकारों द्वारा सैनिक सहायता स्थगित कर देने के फल-स्वरूप आयात संयन्त्र और मशीनों की प्राप्ति में विलम्ब। इसलिए विलम्ब सीधे वित्तीय कठिनाई के कारण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो सेटों के निर्यात के लिये राजसहायता

1216. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो उद्योग से रेडियो सेटों के निर्यात पर अधिक राजसहायता दिये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). रेडियो के निर्यात के लिये रेडियो उद्योग ने कई अतिरिक्त प्रोत्साहनों की मांग की है, जैसे कि बढ़ी हुई नकद सबसीडी, अधिक निर्यात अधिकार और निर्यात अधिकार के विरुद्ध कई विशिष्ट मदों और संघटकों के आयात की मंजूरी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Anti-India Propaganda by Pakistan

1217. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that anti-Indian propaganda from Radio Pakistan has been accelerated after Tashkent Agreement ;

(b) if so, whether any measures have been devised to stop it ; and

(c) if not, the steps contemplated to counter the effects of this venomous propaganda ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Anti-Indian propaganda by Radio Pakistan has continued at a high pitch in spite of the signing of the Tashkent Declaration.

(b) and (c). Several protest notes have been sent to the Government of Pakistan pointing out that such anti-Indian propaganda is in contravention of the Tashkent Declaration and the Nehru-Liaquat Pact and hinders normalisation of relations between the two countries.

The Government have contradicted the false allegations made by Radio Pakistan, through the Ministry's official spokesmen, and our Missions abroad. The All India Radio has also been contradicting the false allegations made by the Pakistani Radio.

Refugees from East Pakistan

1218. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Hindus in large numbers and some non-Muslims also arrived in India from East Pakistan during the last year ;

(b) if so, whether they gave any narrative to Government of the cruelties and injustice being inflicted on the Hindus in East Pakistan ;

(c) if so, whether Government have obtained information at their own level in this regard ; and

(d) whether Government propose to raise this important issue in the United Nations Organisation ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) According to available information, 11,521 Hindus and 34 Christians migrated to India from East Pakistan during the year 1968.

(b) and (c). Yes, Sir. The Government are aware that the minorities in East Pakistan are suffering from a sense of insecurity and are subjected to all kinds of harrassment.

(d) No, Sir.

Kutch Award

1219. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri B. K. Daschowdhury :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Yogendra Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri George Feanandes :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the implementation of Kutch Award ;

(b) whether it is a fact that Pakistan has occupied some areas even before the implementation of the award ; and

(c) if so, the reaction of the Indian Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) So far 163 boundary pillars, covering approximately 80 kilometres of the boundary, have been erected.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

विश्व चलचित्र मेला

1220. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रस्तावित विश्व-चलचित्र मेले के आयोजन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघ से सलाह कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो मेले के स्थान के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) मेले के लिये क्या तिथियां नियत की गयी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । इंटरनेशनल फैडरेशन आफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, पेरिस की औपचारिक मान्यता ले ली गई गई है ।

(ख) और (ग). इस साल भारत में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

चीनियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागा

1221. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री बलराज मधोक : **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन द्वारा प्रशिक्षित लगभग 900 विद्रोही नागा लोग, जिनका

नेतृत्व उनके 'सेनाध्यक्ष' माऊ अंगामी कर रहे हैं, अब गत चार मास से ऊपरी वर्मा के मिचिमा क्षेत्र में फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, उन पर निगरानी रखने तथा नागालैंड में उनके प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उनके साथ कोई मुठभेड़ हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, मोवू अंगामी और उसके गिरोह का एक बड़ा हिस्सा अभी तक भारतीय सीमा के दूसरी ओर है ।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने और सुरक्षा सैनिकों ने विभिन्न उपाय बरते हैं । इनमें प्रशासनिक केन्द्रों में पुलिस की तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सेना द्वारा सघन गश्त भी शामिल है जिससे कि घुसपैठ न होने पाये । इन उपायों की वजह से सीमा की दूसरी ओर से नागाओं का नागालैंड में प्रवेश मुश्किल हो गया है ।

(ग) पिछले तीन महीनों में मोवू अंगामी के छिपे नागाओं में और सुरक्षा सैनिकों के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई है ।

आकाशवाणी का मद्रास केन्द्र

1222. **श्री ई० के० नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस वेव लैंग्थ में जिस पर आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जब भी आवश्यकता हुई स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, परन्तु वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषजनक है और परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है ।

Song and Drama Division

1223. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the amount being spent on Song and Drama Division during the current year ;

(b) the number of performances organised by it this year alongwith the purpose thereof ; and

(c) the number of officers of the Division drawing more than Rupees one thousand per month and the posts held by them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The budget estimates of the Song and Drama Division for 1968-69 are Rs. 47,74,500.

(b) 9,796 from April to December, 1968 on themes of national integration, communal harmony, Gandhi Centenary Celebrations, family planning, small savings drive, entertainment for the Jawans, etc.

(c) Two.

Negotiations with China for Facilities to Enter Tibet

1225. **Shri Kushak Bakula :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian traders, pilgrims and scholars are eager to exercise their traditional right to go to Tibet ;

(b) whether negotiations with China for providing facilities to the Indians in this behalf have been started after an indication to this effect was given by the Prime Minister in her Press Conference on New Year's day ; and

(c) if not, the time by which such negotiations will commence ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). The question of exchange of traders, pilgrims and cultural intercourse between India and Tibet was governed by the Agreement of 1954. As is well known to the House, this Agreement was violated by China and allowed to lapse in 1962. Our Prime Minister reiterated Government's willingness to talk with China on a basis consistent with India's sovereignty, territorial integrity and national honour. As there has been no response from China, no progress has been made so far.

(c) Does not arise for the present.

चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय

1226. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अपनी दिसम्बर, 1968 की एक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि चौथी योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे, का परिव्यय 8,300 करोड़ रुपये रखे गये; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना का आकार योजना के अन्य मूल पहलुओं से है विशेषत: उनसे जिनका सम्बन्ध उन प्रयासों से है जो संसाधन बढ़ाने, मूल्य स्थिर करने तथा आर्थिक आस्तियों का उपयोग करने के लिये किए जाएंगे, जो अभी अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां ।

चीनी अधिकारियों द्वारा एक पाकिस्तानी विमान में भारतीय वायु सीमा में उड़ान

1227. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री दिनकर देसाई :
श्री क० लकप्पा :
श्री समर गुह :
श्री ज० अहमद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चीनी अधिकारियों ने हाल में एक पाकिस्तानी विमान में भारतीय वायु सीमा में उड़ान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन सरकार ने भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली थी; और

(ग) क्या चीन सरकार ने पहले किसी विदेशी विमान में चीनी आकाश में उड़ान के लिये भारतीय अधिकारियों को अनुमति देने से इन्कार कर दिया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारतीय भूभाग के ऊपर उड़ने वाले पाकिस्तानी असैनिक विमानों को, मुसाफिरों के सूचीपत्र हमें नहीं देने होते। किसी चीनी मुसाफिर को ले जाने के लिए, किसी पाकिस्तानी सैनिक विमान ने, अनुमति नहीं मांगी है।

(ग) जी नहीं।

Pak Pilgrims' Visit to Qadian in Gurdaspur District

1228. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that a group of Pakistani pilgrims came to participate in the annual conference of Qadianis in Gurdaspur District in January 1969 ;

(b) the number of those pilgrims among them who were granted permission to visit the said place ; and

(c) whether all these persons have since returned to Pakistan ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b). Yes, Sir. A party of 67 pilgrims from Pakistan paid a visit to Qadian, District Gurdaspur, from 4th to 10th January, 1969.

(c) Yes, Sir.

सीमा सड़क संगठन

1229. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन ने किन-किन राज्यों तथा क्षेत्रों में सड़कें तथा पुल बनाये हैं;

(ख) राज्य क्षेत्रवार कितने किलो मीटर लम्बी सड़कें बनी हैं और राज्य क्षेत्रवार कितने पुल बने हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(घ) इस संघठन द्वारा सड़कों तथा पुलों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में किस आधार पर लिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल (मिजो पहाड़ी माला सहित), असम, नागालैंड, उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी, हिमांचल प्रदेश को आवतृत करने वाली तथा सिक्किम और भूटान में नई सड़कों का निर्माण और (पुलों समेत) वर्तमान सड़कों में सुधार, सीमा सड़क विकास बोर्ड के फोरी कार्यक्रम में शामिल हैं ।

(ख) प्रत्येक राज्य क्षेत्र में अन्त दिसम्बर, 1968 की निर्माण की गई नई सड़कों की लम्बाई इस प्रकार है :—

8 से 20 फुट चौड़ी नई सड़कों की तलकटाई

लद्दाख समेत जम्मू तथा काश्मीर	1124.00 किलो मीटर
हिमाचल प्रदेश	631.20 किलो मीटर
उत्तर प्रदेश	252.00 किलो मीटर
पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम	369.60 किलो मीटर
भूटान	630.40 किलो मीटर
असम तथा उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी	1248.00 किलो मीटर
मिजो पहाड़ियां	407.20 किलो मीटर
नागालैंड	266.40 किलो मीटर
कुल जोड़ ..	4928.80 किलो मीटर

इसके अतिरिक्त वर्तमान सड़कों की निम्न लम्बाइयों में सुधार प्रगतिशील है :—

जम्मू तथा काश्मीर और लद्दाख	746 किलो मीटर
हिमांचल प्रदेश	695 किलो मीटर
उत्तर प्रदेश	958 किलो मीटर
पश्चिमी बंगाल और सिक्किम	314 किलो मीटर
भूटान	381 किलो मीटर
असम तथा उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी	1173 किलो मीटर
मिजो पहाड़ियां	440 किलो मीटर
नागालैंड	—
कुल जोड़ ..	4707 किलो मीटर

Violation of Indian Territorial Space by China and Pakistan

1230. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of violations of Indian territory, territorial waters and air space by China and Pakistan since the 1st January, 1967 and the places where such violations took place;

(b) the number of protest notes sent by Government against such territorial violations and the dates on which they were sent ;

(c) the number of persons arrested for such violations ; and

(d) the number of soldiers and other employees and officers belonging to each country amongst such arrested persons and the action taken against them?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House:

Statement

(a) **Violations committed by Pakistani/Chinese armed personnel (excluding civilian intrusions)**

		Land	Air	Sea	Places
Pakistan	..	137	67	—	J & K, Assam, Gujarat, Punjab, Rajasthan, Tripura, West Bengal
China	..	21	1	..	Ladakh, NEFA, Sikkim

(b) **Number of protest notes sent at diplomatic level to the Governments of Pakistan and China**

Pakistan	83*	19-1-67	5-7-67	24-1-68
		16-2-67	6-7-67	13-3-68
		18-2-67(3)	9-7-67	14-3-68
		22-2-67	24-7-67	25-3-68
		15-3-67(2)	27-7-67	16-4-68
		30-3-67	7-8-67(2)	3-5-68
		15-4-67	17-8-67(2)	10-5-68
		26-4-67(2)	19-8-67	15-5-68
		16-5-67	25-8-67	22-5-68
		17-5-67	29-8-67(2)	27-5-68
		19-5-67	26-9-67	30-5-68(2)
		25-5-67(2)	27-9-67	31-5-68
		31-5-67	25-10-67	4-6-68(2)
		27-6-67(2)	17-1-68	6-6-68(2)

14-6-68(2)	24-8-68	29-11-68
15-6-68	9-9-68	3-12-68
19-6-68	2-11-68	2-1-69
9-7-68	14-11-68	7-1-69
11-7-68	19-11-68(2)	20-1-69
18-7-68	22-11-68	21-1-69(5)
14-8-68	26-11-68	25-1-69(2)
		22-2-69

*In addition, protests have been lodged at local level also.

China	4	7-9-67
		11-9-67
		27-9-68
		3-10-67

(c) and (d). Of the personnel apprehended Pakistanis were 18 and Chinese nil. Full details of action taken against those apprehended are not readily available.

Aid for U. N. Repatriates Commission

1232. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the amount of financial aid given to India by the United Nations Repatriates Commission for helping Tibetan refugees since the 1st January, 1967 ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): The United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) has given the following amounts for aiding Tibetan Refugees:—

$ 7,000 in 1967; and

$ 110,750 in 1968.

Missiles Supplied to Pakistan by Foreign Countries

1233. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain countries have given missiles to Pakistan for use during war ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has set up bases for such missiles somewhere near Indian border; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Pakistan has acquired air-to-air missiles and anti-tank missiles from certain Western countries.

(b) and (c). Pakistan's arms build up is a matter of concern to us. It has been pointed out to all friendly countries that any accretion to the armed strength of Pakistan would make it more intransigent in its attitude towards normalisation of relations with India and would accentuate tension in the sub-continent.

कनाडा जाने वाले भारतीय प्रव्रजक

1234. **श्री समर गुह :**
श्री ज० अहमद :
श्री क० लकप्पा :
श्री दिनकर देसाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा के प्रधान मंत्री ने कहा है कि कनाडा सरकार भारतीय प्रव्रजकों को स्वीकार करने के लिये तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कनाडा सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस विषय पर, कनाडा के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चीन द्वारा नागाओं की सहायता

1235. **श्री समर गुह :**
श्री ज० अहमद :
श्री क० लकप्पा :
श्री दिनकर देसाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैंड संघीय सरकार संगठन तथा उनके द्वारा साम्यवादी चीन से सहायता प्राप्त की जाने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो नागालैंड संघीय सरकार के झण्डे के नीचे नागाओं की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संगठन को मान्यता प्रदान की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सरकार के पास ऐसी सूचना है कि छिपे नागाओं को चीन से हथियार और प्रशिक्षण मिलता रहा है । सरकार द्वारा छिपे नागाओं के किसी ऐसे संगठन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता जो गैर कानूनी कार्रवाइयां करता हो । राज्य सरकार ने और सुरक्षा सेना ने नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय बरते हैं । इनमें प्रशासिक केन्द्रों को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाना और राज्य सरकार के अधीन सशस्त्र पुलिस बढ़ाना भी शामिल है ।

कच्छ पंचाट

1236. **श्री समर गुह :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री क० लकप्पा :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री जे० अहमद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने तक कच्छ पंचाट की क्रियान्विति स्थगित कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उस पंचाट को पूर्णतः क्रियान्वित करने का है अथवा आंशिक रूप में ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) कच्छ ट्रिबुनल का फैसला पूरी तरह लागू किया जाएगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निमंत्रण-पत्रों में हिन्दी का प्रयोग

1237. **श्री सेझियान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले निमंत्रण-पत्रों में हिन्दी का प्रयोग किये जाने के बारे में हाल में कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) क्या अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) निमंत्रण-पत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किये जाने के बारे में अनुदेश गृह मंत्रालय द्वारा मई, 1960 में जारी किए गए थे । जब इन अनुदेशों के अपालन के कुछ मामले इस मंत्रालय के ध्यान में आए तो इन अनुदेशों को इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में फिर से जारी किया गया ।

(ख) जी नहीं ।

चीन के परमाणु संकट पर विचार करने के लिए एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन

1238. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोड़ी दूरी तक तथा दूरगामी प्रक्षेपणास्त्रों समेत परमाणु तथा तापपरमाणु अस्त्रों और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था से शीघ्रतापूर्वक विकास के लिए चीन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से एशिया के विभिन्न देशों की, जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, सुरक्षा को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति में चीन के परमाणु अस्त्रों के दुस्साहस से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध एशियाई राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा के उपाय करने और सामूहिक जागरूकता की आवश्यकता है;

(ग) क्या चीन के परमाणु अस्त्रों के खतरे के बारे में विचार करने के लिये एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिये भारत पहल करेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब आयोजित किया जायेगा और यदि नहीं तो चीन से परमाणु खतरे के प्रति एशियाई देशों में किन अन्य साधनों के द्वारा जागरूकता लाने का भारत का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चीन द्वारा नाभिकीय और ताप नाभकीय अस्त्रों का विकास दूसरे राज्यों के लिए धमकी है ।

(ख) प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना आवश्यक समझता हो, उन्हें उठाना उसी का काम है ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) चीन की ओर से नाभिकीय अस्त्रों का जो खतरा है उससे एशिया के सारे देश सजग हैं ।

दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र

1239. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा में एक रिकार्डिंग स्टूडियो स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा और रिकार्डिंग का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में दरभंगा में मैथिल भाषा का रेडियो स्टेशन स्थापित करने के निर्णय को धन के अभाव में क्रियान्वित नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो क्या चौथी योजना में इसके लिये व्यवस्था की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दरभंगा में रिकार्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन दिनांक 22 फरवरी, 1969 को हुआ था ।

(ख) जी नहीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं की गई थी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दरभंगा में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है ।

दक्षिण क्षेत्र में रडार अनुसंधान केन्द्र

1240. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में एक रडार अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इसके लिये किसी स्थान का सुझाव दिया है ; और

(ग) उसका और ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पास रडार विकास से सम्बन्धित दक्षिणी क्षेत्र में पहले से दो प्रयोगशालाएं हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र में कोई और रडार अनुसंधान स्टेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती सड़कें

1241. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्यक्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है और लक्ष्यों की तुलना में यह काम कितना कम अथवा अधिक है ; और

(ग) इस बारे में भावी विस्तार कार्य-क्रम का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) प्राप्य संसाधनों और अन्तर्निहित परिसीमाओं का जैसे कि निर्माण के लिये सीमित मौसम, कार्यों के प्रगतिशील रहते सड़कों का निरन्तर इस्तेमाल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, निर्माण कार्यों की प्रगति प्राय: सन्तोषजनक रही है।

(ख) दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 8 से 20 फुट तक चौड़ी 3040 मील (4929 कि० मी०) सड़कों की तल कटाई की गई थी। यह बोर्ड के अगले 4-5 वर्षों के फोरी कार्यक्रम में शामिल 4342 मील (6947 कि० मी०) नई सड़कों के निर्माण के विरुद्ध है।

(ग) अगला कार्यक्रम रक्षा और विकास के लिए अधिक आवश्यकताओं के आवधिक पुनरीक्षण पर निर्भर है।

पिल्ले समिति की सिफारिशें

1242. **श्री मंगलाथुमाडोम** :

श्री यशपाल सिंह :

श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिल्ले समिति की सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर ली हैं ;

(ख) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के आर्थिक स्कन्ध को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पिल्ले समिति की सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए कितने नये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा विभाग बनाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेश सेवा समिति की अधिकांश सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। जो सिफारिशें इस मंत्रालय के प्रशासनिक सामर्थ्य में आती हैं वे क्रियान्वित की जा चुकी हैं या की जा रही हैं। दूसरी सिफारिशों पर अन्य मंत्रालयों से और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता है और उनसे परामर्श किया जा रहा है।

(ख) विदेश मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग को निर्णय लेने के और काम करने के, दोनों स्तरों पर अधिक मजबूत बना दिया गया है।

(ग) भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य से कोई भी नया अधिकारी नहीं रखा गया था और न कोई विभाग खोला गया था। उन पर कार्यवाई करने का काम विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा किया जाता है।

आर्थिक प्रस्तावों के अध्ययन के लिये सचिवालय स्तर पर कार्य प्रणाली में परिवर्तन

1243. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने सचिवालय स्तर पर कार्य प्रणाली में हाल में कुछ परिवर्तन किये हैं, जहां आर्थिक प्रस्तावों को मंत्रिमंडल में अन्तिम रूप से आने से पूर्व तीन प्रक्रमों पर अध्ययन करना पड़ता है यथा (1) प्रारम्भिक मंत्रालय में, (2) योजना आयोग में और (3) वित्त मंत्रालय में ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में क्या विशिष्ट फेर बदल किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुड़गांव में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि

1244. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों के लिए गुड़गांव के ग्रामवासियों से सरकार द्वारा कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) गांव वालों को किस दर पर मुआवजा दिया गया है और उससे उनकी वे मांगें जिनका हवाला उन्होंने इस सम्बन्ध में उन्हें (मंत्री को) दिये गये ज्ञापन में दिया था, कहां तक पूरी हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग 4757 एकड़ ।

(ख) सक्षम अधिकरणों द्वारा निर्धारित अवाप्ति मुआवजा विभिन्न दरों के अनुसार लगभग 24.53 लाख रुपये है । अधिकतम भूस्वामियों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया है, जबकि कईयों ने पंच फैसले की इच्छा प्रकट की है । जिन पक्षों ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया उनके दावे विधि के अनुसार पंच फैसले के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

कलकत्ता में प्रधान मंत्री का उद्योगपतियों के साथ सम्मेलन

1245. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री प० राममूर्ति :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1968 में जब वह पिछली बार कलकत्ता गई थीं, तो क्या उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों के एक सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या यह सम्मेलन राजभवन, कलकत्ता में आयोजित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कौन-कौन से उद्योगपति मौजूद थे और क्या गैर-उद्योगपति भी उसमें मौजूद थे और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या उस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल में आगामी मध्यावधि चुनावों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्मेलन को किस प्रयोजन से आयोजित किया गया था और किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). 23 दिसम्बर, 1968 को कलकत्ता स्थित राजभवन में कुछ उद्योगपति प्रधान मंत्री से मिले थे । कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जो उद्योगपति नहीं थे । मीटिंग में उपस्थित उद्योगपति और अन्य लोगों की एक सूचीसाथ लगी है । मीटिंग में कलकत्ता नगर और उसके विकास की समस्याओं पर बातचीत हुई थी। मध्यावधि चुनावों के बारे में प्रधान मंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं हुई ।

विवरण

23 दिसम्बर, 1968 को कलकत्ता-स्थित राजभवन कलकत्ता नगर और उसके विकास के विषय पर प्रधान मंत्री और गवर्नर के साथ बातचीत करने के लिए आयोजित मीटिंग में उपस्थित उद्योगपतियों की सूची

उद्योगपति	**अन्य लोग**
1. श्री बी० एम० बिड़ला	12. श्री जी० एल० मेहता
2. श्री के० पी० गोयनका	13. श्री बी० के० दत्त
3. श्री जी० के० भगत	14. श्री अतुल्य घोष
4. श्री एन० डी० बांगुर	15. श्री पी० सी० सेन

5. श्री भास्कर मित्तर
6. श्री प्राण प्रसाद
7. श्री आर० के० कनोरिया
8. श्री एन० एल० कनोरिया
9. श्री सी० एल० बाजोरिया
10. श्री के० के० बिड़ला
11. श्री ए० के० जैन

पश्चिम बंगाल में भूमि अर्जन

1246. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के अन्तर्गत विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में "राशपुंज" गांव में कुछ भूमि अर्जित की है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है, (दो) किस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये उसे अर्जित किया गया है, (तीन) कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, (चार) प्रतिकर की कुल कितनी राशि निश्चित की गई है, और (पांच) पूरा प्रतिकर कब तक दिया जायेगा ;

(ग) क्या प्रभावित परिवारों के लिये अन्यत्र आवास की व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). एक वायुसेना संस्थान के लिए राशन पुंज गांव में 203 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है, और उसका वास्तविक अधिकार 23 फरवरी, 1969 को प्राप्त किया गया है। इस भूमि में 899 व्यक्तियों की रुची है। अधिप्राप्ति की अवधि में देय पुनरावृत्ति मुआवजे की राशि सक्षम अधिकरणों द्वारा निर्धारित नहीं की गई, और अभी निर्धारित की गई स्थानीय राजस्व अधिकरणों द्वारा अदा कर दी जाएगी। भूमि औपचारिक रूप से अभी अवाप्त नहीं की गई और अवाप्त किए जाने के पश्चात भूमि का अवाप्ति-मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और अदा कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ). इस भूमि पर कोई आबादी नहीं थी, जब इसको हस्तगत किया गया था। दूसरे कानून के अनुसार देय मुआवजे में शामिल है अवाप्त भूमि को खाली करने का खर्च। प्रभावित व्यक्तियों के पुनरावास के प्रश्न पर साधारणतः राज्य के अधिकरण ध्यान देते हैं।

सेना में काम करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भूमि

1247. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सेना के कितने भूमिहीन लोगों ने भूमि के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) 31 जनवरी, 1969 तक उनमें से कितने लोगों को राज्य-वार, भूमि दी गई हैं ;

(ग) कितने लोगों को, राज्यवार अब तक भूमि नहीं मिली है ;

(घ) विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और कितने वर्षों से पड़े हैं ;

(ङ) उड़ीसा राज्य में तथा पुरी जिले में ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(च) उन्हें भूमि कब तक मिलेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (च). सूचना अन्तर्ग्रस्त होगी सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों से लिखा पढ़ी। सूचना इकट्ठी करने में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के संगत न होगा।

काश्मीर का मीरवायज का उत्तराधिकारी

1248. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने काश्मीर में वहां के मीरवायज के पद के लिये उत्तराधिकार विवाद के संबंध में अनावश्यक उलझने पैदा कर दी हैं ;

(ख) क्या भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान उच्चायोग के अनावश्यक हस्तक्षेप के प्रति सरकार ने अपनी अप्रसन्नता से उन्हें अवगत करवाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन और काश्मीर में कतिपय व्यक्तियों के बीच विशेष तौर पर स्वर्गीय मीरवेज युसूफ शाह की मृत्यु से संबंधित विषयों पर हुए पत्र-व्यवहार के बारे में भारत सरकार को मालूम है।

(ख) और (ग). जब कि विदेशी राजनयिकों को भारत के नागरिकों से मिलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय और विवेक बरतने की उनसे अपेक्षा की जाती है। यह बात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बता दी गई है।

राष्ट्रीय एकता के लिये जन प्रचार माध्यम

1249. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता के लिये जन प्रचार माध्यम को नया रूप देने के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है ;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन सुझाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। सरकार ने जन सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय एकता के सम्बन्धी प्रभावी प्रचार तेज करने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

(ख) और (ग). समिति ने एक प्रचार योजना तैयार की है जिसमें अनेक सिफारिशें की गई हैं। उनमें कई एक सतत और दीर्घ कालीन हैं और कई वर्तमान सूचना माध्यमों को मजबूत करने के बारे में है। इन सिफारिशों को राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति के सामने रखा जाएगा। फिलहाल इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय एकता के बारे में सम्मिलित एवं व्यापक प्रचार अभियान बराबर जारी है।

विदेश-नीति आयोजन सम्बन्धी अभिकरण

1250. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री समर गुह :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेश-नीति आयोजन सम्बन्धी अभिकरण का एकीकरण एवं सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). विदेश-नीति निर्धारित करने में बेहतर तालमेल रखने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय के नीति एवं आयोजन प्रभाग को और सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है। एक सलाहकार (नीति एवं आयोजन) नियुक्त करने का विचार है जिसका दर्जा पदेन सचिव का होगा। मंत्रालय का इतिहास प्रभाग इसी से सम्बद्ध होगा तथा मंत्रालय के अन्य प्रभागों के निकट सहयोग से काम करेगा।

टेलीविजन का विस्तार

1251. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक केन्द्रों में टेलीविजन लागू करने का

प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ;

(ग) आगामी पांच वर्षों में देश में टेलीविजन के विस्तार के लिये कुल कितनी रकम नियत की गई है ; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में टेलीविजन पर व्यापारिक विज्ञापन शुरू करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित प्रस्तावों के अनुसार दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र के विस्तार के अतिरिक्त श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

(ग) 6 करोड़ 40 लाख रुपये ।

(घ) जी, हां ।

मंत्रालयों का पुनर्गठन

1252. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को किस सीमा तक लागू करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भावना बढ़ती जा रही है कि सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के उपमन्त्रियों को निश्चित जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विभिन्न उपमन्त्रियों के निर्धारित कर्त्तव्य क्या हैं और उन्होंने नीति निर्धारण और नीति को क्रियान्वित करने में किन-किन क्षेत्रों में भाग लिया है ; और

(घ) क्या उपमन्त्रियों को अधिक उपयोगी काम देने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार के शासन-तन्त्र के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो सिफारिशें कीं उनमें से कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों के

बीच कार्य-विभाजन में परिवर्तन किया है। फिर भी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी होने को है।

(ख) से (घ). यह प्रत्येक मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री पर निर्भर करता है कि अपने सहयोगियों से आवश्यक एवं यथोचित सहायता ले। अपने-अपने मंत्रालयों तथा सम्बद्ध विभागों का कार्य करते हुए उपमंत्रीगण अपने मंत्रियों की अतिउपयोगी सहायता करते हैं।

सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव से सहमत है कि राज्य मंत्रियों एवं उप-मंत्रियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व प्रभारी मंत्री द्वारा विशेष रूप से इंगित कर देना अधिक वांछनीय है।

चौथी योजना के लिये संसाधनों के बारे में मतभेद

1253. **श्री एस० आर० दामानी :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधनों के बारे में योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के बीच भारी मतभेद हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दो संगठनों के वास्तविक प्राक्कलन क्या हैं जो इस योजना को अन्तिम रूप देने में रुकावट पैदा कर रहे हैं; और

(ग) राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में सरकार के इन दो एककों के बीच इन मतभेदों को कैसे दूर किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

टेलीविजन सेवा का विस्तार

1254. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में टेलीविजन के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कितनी प्रगति हुई है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1255. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानीय निर्माताओं द्वारा टेलीविजन सेट बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न पुर्जों की उपलब्धता की स्थिति क्या है और यदि किन्हीं पुर्जों के आयात की आवश्यकता है तो उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि देश में निर्मित टेलीविजन सेट साधारण नागरिक के लिये काफी सस्ते हों, क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) टी० वी० सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रानिक संघटक देश में निर्माण किये जाते हैं। प्रति सेट के आयात संघटकों की कीमत लगभग 250 रुपये है। प्रयास किये जा रहे हैं कि इन संघटकों के लिये भी देशीय उत्पादन स्थापित किया जाये।

(ख) देश में उत्पादित सेटों की कीमत की तुलना आयातित सेटों की कीमत से की जा सकती है। कीमतें भी और नीचे आ जाएंगी जब देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिकी संघटकों का तथा टी० वी० रिसीवरों का निर्माण होने लगेगा।

Albania's Attitude Towards India

1256. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are any indications of a change in Albania's attitude towards India ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Thermal Power Station at Rana Pratap Sagar Dam

1258. **Shri Bhola Nath Master** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the time by which the electricity from the Thermal Power Station generated with atomic power at Rana Pratap Sagar would be made available to Rajasthan ;

(b) whether the construction work of this Power Station is making progress according to the schedule ; and

(c) whether Government propose to step up the progress in the construction work of this Power Station in view of the power shortage in Rajasthan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Rajasthan Atomic Power Station consists of two units with a capacity of 200 MWe each. According to present indications, Unit I of the Station is expected to be completed in early 1971, and Unit II in 1973.

(b) Unit I of the Rajasthan Atomic Power Station is behind scheduled by a few months due to late delivery of some equipment by Canadian as well as Indian suppliers.

(c) All possible steps are being taken to expedite the completion of the Project.

ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

1259. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० की० अमीन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह ने हाल में अपनी भारत यात्रा के दौरान इस तरह का कोई आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के लिये ईरान तीसरी पार्टी नहीं बनेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आश्वासन के अनुसरण में ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को 'नाटो' देशों के कुछ हथियारों की प्रस्तावित सप्लाई अब रुक जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय नेताओं के साथ ईरान के शाह की बातचीत में यह मामला सामने नहीं आया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फारस की खाड़ी से ब्रिटेन द्वारा सेना का हटाया जाना

1260. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक आंग्ल-अमरीकी अध्ययन दल ने हिन्द महासागर से ब्रिटिश सेनाओं के हटाये जाने पर हिन्द महासागर के लिये एक अमरीकी बेड़ा बनाने का सुझाव दिया है क्योंकि अध्ययन दल के अनुसार ब्रिटिश नौसेना दस्तों के हटाये जाने से रूस सरकार हिन्द महासागर में घुसपैठ करेगी ; और

(ख) क्या बिटिश या अमरीकी सरकारों ने भारत सरकार से इस विषय पर कोई औपचारिक लिखा-पढ़ी की है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं । इस रिपोर्ट में जिस अध्ययन की चर्चा की गई है वह जार्जटाउन विश्वविद्यालय

सामरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र की ओर से किया गया अध्ययन है जो कि गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था है।

(ख) इस बारे में न तो ब्रिटेन की सरकार ने और न अमरीकी सरकार ने हमें औपचारिक रूप से सूचित किया है। लेकिन हमने अमरीकी सरकार के साथ इस मामले को उठाया था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस अध्ययन में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे किसी भी तरह इस विषय में अमरीका की सरकार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

इस बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं। हम हिंद महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध हैं।

पाकिस्तानी प्रचार

1261. **श्री बलराज मधोक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार के बारे में पाकिस्तान ने पाकिस्तान में तथा अन्य देशों में भारत के विरुद्ध प्रचार तेज कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के कुछ वक्तव्यों को पाकिस्तान विश्व भर की राजधानियों में भारत को बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के मिथ्या प्रचार का खण्डन करने तथा जनता के ध्यान को हटाने के लिये पाकिस्तान के शासकों के भारत विरोधी अभियान के खतरे का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में जोर-शोर से प्रचार कर रहा है।

(ख) संदर्भ के बाहर भारतीय नेताओं का उदाहरण देना, पाकिस्तान के लिये कोई नई बात नहीं है।

(ग) सरकार सही तथ्यों को प्रकाश में लाकर इस प्रकार का खण्डन कर रही है। सरकार ने, इस प्रकार के प्रचार के विरुद्ध, पाकिस्तान से विरोध भी प्रकट किया है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित भारतीय वायुसेना की क्षमता का समाचार

1262. **श्री न० कु० साल्वे :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जनवरी, 1969 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के

समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक विदेशी प्रकाशन के अनुसार भारतीय वायुसेना में 30 लड़ाकू विमान बेड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की रक्षा के सम्बन्ध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकाशन भारत की सुरक्षा के लिये खतरनाक नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार समाचार-पत्रों में ऐसे समाचारों के प्रकाशन को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, यह यू० एस० डाइजेस्ट आफ एरोस्पेस इन्डस्ट्री में प्रकाशित आगणन पर आधारित है । एरोनाटिकल पत्रिकाओं में विभिन्न देशों की वायुसेना की शक्ति के आगणन प्रकाशित करने की प्रथा बिल्कुल सामान्य है ।

(ग) जी नहीं ।

पाकिस्तान की जेल से श्री त्रिलोक चन्द की रिहाई

1263. **श्री न० कु० साल्वे** :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक लड़के श्री त्रिलोक चन्द को, जो पाकिस्तान के साथ 1965 के संघर्ष के तुरन्त बाद अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में भटक गया था, रिहा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं कि क्या पाकिस्तानी जेलों में उसकी नजरबन्दी के दौरान उसका विचार-परिवर्तन (ब्रेनवाशिंग) करने के प्रयत्न किए गए थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । प्रयत्न किये गये हैं और जहां तक सरकार को पता चला है, पाकिस्तानी जेलों में नजरबन्दी के दौरान उस लड़के पर मतारोपण (ब्रेनवाशिंग) के प्रयत्न नहीं किये गये ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1264. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद के

निर्णय को अब तक कहां तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) क्या इससे विभिन्न राज्यों तथा राज्यों में अनेक स्थलों के अन्दर असंतुलन समाप्त हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति द्वारा तैयार किये गये सूत्र के अनुसार केन्द्रीय सहायता के राज्यवार वितरण का हिसाब लगाया जा रहा है। इस सूत्र में राज्यों की आय की असमानता को ध्यान में रखा गया है। जहां तक राज्य के अन्दर विशेष क्षेत्र की असमानताओं को दूर करने की बात है, आशा है राज्य सरकारें योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सामान्य मार्गदर्शी नीतियों के अनुसार अपनी योजनाओं द्वारा इस बारे में कार्रवाई करेंगी।

सैनिक अधिकारियों को सप्लाई किया जाने वाला 'किट'

1265. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले सैनिक अधिकारियों को अपना 'किट' यूनिट मुख्यालय में भेजना पड़ता था ; और

(ख) क्या यह व्यवस्था अब भी जारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ऐसी कोई आवश्यकता न थी। तदपि, स्थाई सेवा के लिए फील्ड क्षेत्रों में तबदीली किए अफसर यूनिट के मुख्य कार्यालयों—डिपो—केन्द्र में अपना जाती सामान इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुसार जमा करने के अधिकारी थे और हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को समक्ष रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य-सम्पर्क

1266. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य-सम्पर्क रखने के बारे में प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह सम्पर्क किस प्रकार का है तथा इसका क्या उद्देश्य है ; और

(ग) क्या इसका अभिप्राय हिन्द महासागर में किसी क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लाक की स्थापना को अनुप्राणित करना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चौथी योजना में भूमि, श्रम तथा कारखानों में बेकार पड़ी क्षमता

1267 **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी योजना में भूमि, श्रम तथा कारखानों में कितनी बेकार पड़ी क्षमता को रोजगार दिलाने के लिये उचित समझा गया ;

(ख) क्या सरकार तदनुसार अनुमानित तथा ठेकेदारों और बेकार श्रमिकों के कहने पर परियोजनाओं में न्यूनतम मजदूरी पर बेकार श्रमिकों को नियुक्त करने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी योजना के विकास कार्यक्रमों को तैयार करते समय मानवीय और भौतिक साधनों के अधिक पूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है ।

(ख) और (ग). चौथी योजना में परिकल्पित विविध विकास स्कीमों से आशा है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

गणराज्य दिवस के अवसर पर पत्रकारों के लिए लोक-नृत्यों का प्रदर्शन

1268. **श्री भगवान दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गणराज्य दिवस, 1969 के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के लोक-नृत्यों का एक समारोह पत्रकारों के लिये आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपस्थित पत्रकारों को, जिनकी संख्या नगण्य थी, बहुत परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि सम्मानार्थ पास वाले लोग वहां बड़ी संख्या में उपस्थित थे और व्यवस्था भी ठीक नहीं थी ; और

(ग) इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों तथा सम्मानार्थ पासधारियों का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). संवाददाताओं के लिये लोक-नृत्यों का एक पूर्वप्रदर्शन नैशनल स्टेडियम में 23 जनवरी, 1969 को आयोजित किया गया था । इसमें प्रवेश पासों द्वारा नियमित किया गया था, जो झांकियों और लोक-नृत्यों की कमेटी के सदस्यों (और उनकी पत्नियों-पतियों), मान्य सम्वाददताओं और फोटोग्राफरों (और उनकी पत्नियों), कला आलोचकों, कलाकारों, कार्टूनिस्टों, स्थानीय समाचार-पत्रों के सम्पादकीय कर्मचारिगण के कुछ सदस्यों, दिल्ली भ्रमण के लिये आने वाले जर्नलिस्टों, फोटेग्राफरों इत्यादि को वितरित किए गये थे । अन्य उपस्थित व्यक्तियों में शामिल थे लोक-नृत्य दलों के नेता, लोक-नृत्यों के संगठन से संबंधित कार्मिक इत्यादि । समाचार-पत्रों के कई संवाददाताओं ने वह प्रदर्शन देखा ।

संवाददाताओं के बैठने के लिये पर्याप्त प्रबंध किया गया था । किसी संवाददाता को तंग करने की कोई घटना सामने नहीं आई, न ही ऐसी कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है ।

राष्ट्रमंडल के देशों का ब्रिटेन में आप्रवास के बारे में विपक्षीय बातचीत

1269. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हाल में घोषणा की है कि राष्ट्र मंडल के देशों के लोगों के ब्रिटेन में आप्रवास के प्रश्न पर विचार करने के लिये द्विपक्षीय वार्तामाला का आयोजन किया जायेगा ; और

(ख) क्या भारत सरकार को इससे अवगत कराया गया है और क्या इस वार्तामाला के लिये समय और स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ब्रिटिश प्रधान मंत्री, हैरोल्ड विल्सन ने, 21 जनवरी, 1969 को हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य देते हुये कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल प्रवासियों के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार सम्बद्ध राष्ट्रमंडल देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना चाहती है ।

(ख) जी नहीं ।

कलकत्ता में साइक्लोट्रान का निर्माण

1270. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में साइक्लोट्रान बना रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) क्या इसमें कोई विदेशी सहयोग लिया जायेगा और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । परमाणु ऊर्जा विभाग कलकत्ता में एक परिवर्ती ऊर्जा-साइक्लोट्रान बना रहा है ।

(ख) इस परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

(ग) यह साइक्लोट्रान बिना किसी विदेशी सहायता के तथा देशी साधनों से बनाया जायेगा । तथापि, उसके कुछ भागों का आयात करना पड़ेगा ।

गणतन्त्र दिवस, 1969 के समारोह के लिये निमंत्रण-पत्र

1271. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस समारोह

के लिये दर्शकों को पास देने के मामले में बड़ी अव्यवस्था थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय ने कितने पास जारी किये। तथा 1967 तथा 1968 की तुलना में 1969 में इस समारोह पर कितना धन व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गणतन्त्र दिवस परेड 1969 के लिये सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कर्मचारिगण, पुलिस सेवाओं के जूनियर कमीशंड अफसरों-अवर श्रेणियों, बच्चों के संगठित दलों, राज्यों से आने वालों के लिये अभिप्रेत बाणों के अतिरिक्त 68000 सीटों के लिए निमन्त्रण-पत्र जारी किये गये थे।

(वाणिज्य विभागों के अतिरिक्त) केन्द्रीय सरकार द्वारा गणतन्त्र दिवस समारोह 1967 और 1968 पर दिल्ली में किया गया खर्च क्रमशः लगभग 9,24,000 रुपये और 11,42,000 रुपये था। गणतन्त्र दिवस समारोह 1969 का हिसाब अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ और किया गया खर्च दर्शाने वाला एक विवरण, हिसाब सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

Overtime Allowance to Clerical Staff of A. I. R.

1272. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that overtime allowance is paid to the Clerical Staff, Driver etc. working in A. I. R. for their doing overtime work ;

(b) whether it is also a fact that this facility is not extended to the non-Gazetted technical staff there, though their pay-scales are also the same as those of the aforesaid categories of the staff ;

(c) if so, the reasons for this discriminatory treatment ;

(d) whether Government propose to do away with this discrimination and pay overtime allowance to all categories of employees in A. I. R. in case they do overtime work ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes. Sir.

(b) Non-gazetted technical staff are not paid overtime allowance when they are employed on shift duty.

(c) The shift duty personnel, including the non-gazetted technical staff are at present not covered by the general orders for the grant of overtime allowance.

(d) The question of framing separate rules and issuing orders for payment of overtime allowance to all categories of shift duty personnel in AIR including non-gazetted technical staff is under consideration.

(e) Does not arise.

Expenditure on Prime Minister's Latin American Tour

1273. **Shri S. M. Joshi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total amount spent by Government on the Latin American tour of the Prime Minister;

(b) whether it is a fact that an album containing the Prime Ministers photographs since her childhood was published and distributed on this occasion;

(c) if so, the amount spent thereon; and

(d) whether it has helped to increase the understanding about India by these countries in the opinion of Government?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) Rs. 9,82,270.00.

(b) An illustrated brochure and not an album on the Prime Minister was published and distributed.

(c) Rs. 50,508.00

(d) Yes, Sir.

स्वर्गीय श्री अन्नादुरै के बारे में आकाशवाणी से समाचार

1274. **श्री मंगलाथुमाडोम :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1969 के उस आकाशवाणी समाचार बुलेटिन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया था कि मद्रास के मुख्य मंत्री श्री सी० एन० अन्नादुरै की मृत्यु हो गई, और बाद में एक दूसरे समाचार बुलेटिन में कहा गया कि वह जीवित हैं ;

(ख) ऐसे समाचारों के अत्यधिक महत्व और उससे होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने आकाशवाणी को ऐसी त्रुटियों से बचने के लिये कोई निर्देश दिये हैं ; और

(ग) क्या 30 जनवरी, 1969 की इस घटना के बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). पूरी जांच कर ली गई है। समाचार प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की एक रिपोर्ट पर आधारित था। इस समाचार को बाद में इस समाचार एजेन्सी ने वापिस ले लिया था। आकाशवाणी ने बीच में अपने कार्यक्रम को रोक कर तुरन्त सही समाचार प्रसारित कर लिया था।

मणिपुर के दैनिकपत्र के लिये सहायता

1275. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक दैनिक पत्र को, जिसके दैनिक स्तम्भों में 70 प्रतिशत या इससे अधिक विज्ञापन तथा सम्पादकीय सहित 30 प्रतिशत से कम समाचार होते हैं, दो लाख रुपये का वित्तीय अनुदान देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित वित्तीय सहायता के लिये क्या कारण दिये गये हैं तथा इस अनुदान के लिये किस प्रकार की सिफारिश की गई है ; और

(ग) क्या उपरोक्त समाचार इस रूप में पंजीकृत है कि उसमें 70 प्रतिशत के लगभग विज्ञापन हो सकते हैं तथा क्या समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार आवश्यक जांच के बाद समाचारपत्रों को इस रूप में प्रकाशित किये जाने की अनुमति देता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । मणिपुर की सरकार इम्फाल से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक पत्र "प्रजातन्त्र" को दो लाख रुपये ऋण की सिफारिश की है ।

(ख) पत्र के सम्पादक के अनुसार पत्र आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसके कारण उसके आकार और खपत को बढ़ाने में रुकावट आ रही है । केन्द्र प्रशासित सरकार की सिफारिश का आधार यह था कि पत्र अपने स्वतन्त्र राष्ट्रीय चरित्र तथा अच्छी पत्रकारिता के कारण लोकप्रिय है परन्तु धनाभाव के कारण पत्र का विकास नहीं हो सका । केन्द्रीय सरकार ने किसी भी समाचारपत्र को ऋण नहीं दिया है ।

(ग) (क) और (ग) में जो तथ्य बताये गये हैं, उनकी जांच की जा रही है । तथापि, समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापनों का ठीक-ठीक वितरण करने के बारे में बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि एक पत्र को उनके अंश से कम या ज्यादा विज्ञापन न मिलें । समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार प्रत्येक पत्र की जांच करते हैं ।

भारत के मार्ग से पाकिस्तान और नेपाल के बीच व्यापार

1276. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान और नेपाल का विचार भारत और पूर्व पाकिस्तान को जोड़ने वाले राधिकापुर रेलवे स्टेशन के मार्ग से व्यापार करने का है तथा इस उद्देश्य के लिये एक नेपाली दल ने अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण भी किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्ग से पाकिस्तान और नेपाल का यह व्यापार भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों के विरुद्ध है अथवा क्या इससे माल के तस्करी के लिये अन्य मार्ग खुल जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) नेपाल को राधिकापुर रेलवे स्टेशन होकर अपना माल पाकिस्तान भेजने की सुविधाएं दी गयी थीं, किन्तु जहां तक सरकार को मालूम है, उसने इन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया। लेकिन इसी प्रकार की सुविधाएं पाकिस्तान को नहीं दी गयी थीं।

सितम्बर, 1968 में निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिये नेपाल से एक दल पूर्वी पाकिस्तान गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Foreign Technical Assistance for Manufacture of I. A. F. Aircrafts

1277. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri S. S. Kothari :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether U. K., France and Sweden have offered technical assistance to India for manufacturing I. A. F. aircrafts ;

(b) if so, the details of such offers ; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Some offers have been received, but it will not be in public interest to disclose the details.

(c) No decision has been taken.

President Nixon's Policy on Vietnam

1278. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U.S. President, Mr. Nixon, has formulated a new policy to resolve the Vietnam issue ;

(b) if so, whether Government are aware of this ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d). The Government of India have seen the Press Reports of the statements of U. S. President Mr. Nixon on Vietnam. The Government of India is of the view that the people of Vietnam should be left free to decide their destiny without any foreign interference. It believes that a peaceful solution can be found within the broad frame-work of Geneva Agreement of 1954.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर, कानपुर तथा मिग उद्योग समूह के लिए पृथक-पृथक अध्यक्षों की नियुक्ति

1279. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड बंगलौर तथा कानपुर और मिग उद्योग समूह के लिये पृथक-पृथक अध्यक्षों की नियुक्तियां करने में सरकार को कितना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ेगा ;

(ख) क्या पृथक-पृथक अध्यक्ष हो जाने से इसे केवल निदेशकों के बोर्ड तथा अध्यक्ष तक ही सीमित रखने पर समन्वय नहीं हो सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो यथोचित समन्वय स्थापित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कानपुर तथा बंगलौर डिवीजनों की हालत में कोई अतिरिक्त खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है । कानपुर डिवीजन की एक जनरल मैनेजर द्वारा पहले की तरह अध्यक्षता जारी रहेगी । बंगलौर डिवीजन की हालत में जनरल मैनेजर के वर्तमान स्थान को मैनेजिंग डाइरेक्टर के तौर पर पुनः नामकरण किया जायेगा । मिग कम्पलेक्स के संबंध में मैनेजिंग डाइरेक्टर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1967-70 का राजस्व हिसाब में खर्च 7.40 लाख रुपये अनुमानित है, और कैपिटल हिसाब में 1.60 लाख रुपये । कैपिटल व्यय मुख्यतः कार्यालय के सामान, फर्नीचर, परिवहन, छोटे मोटे निर्माण-कार्यों इत्यादि के लिये होता है ।

(ख) और (ग). पुनः संगठन की योजना को कार्यान्वित करने में उचित तालमेल की आवश्यकता को पूरे तौर पर ध्यान में रखा गया है, और यह पूर्ण सामयिक अध्यक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो जायेगा ।

सेना-अध्यक्षों की सेवा-अवधि में वृद्धि

1280. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सेना-अध्यक्षों की सेवावधि में वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि इसलिये की जा रही है कि अन्य अधिकारी अभी इन पदों को सम्भालने योग्य नहीं हुए हैं अथवा अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हैं;

(ग) इस धारणा का क्या आधार है कि वर्तमान अधिकारियों की सेवा वृद्धि की अवधि के बाद अन्य अधिकारी उनका पद सम्भालने योग्य हो जायेंगे;

(घ) क्या सरकार को उन अधिकारियों से, जिनकी पदोन्नति होने वाली है किन्तु सेवा मुक्त होने वाले वर्तमान अधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि के कारण यह पदोन्नति प्राप्त नहीं होगी, कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह वायुसेना अध्यक्ष की सेवावधि 16-1-1969 से 15-7-1969 तक 6 मास के लिए और बढ़ाई गई है। थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया कि उनकी सेवावधि और अधिक बढ़ाई जाएगी या नहीं ।

(ख) वायुसेना अध्यक्ष की सेवावधि उनके उस पद में उच्चकोटि के कृत्य को समक्ष रखते बढ़ाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिये अधिक शक्ति वाला ट्रांसमीटर

1281. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हैदराबाद में, गत जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में हुए, दक्षिण क्षेत्र के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि केरल में आकाशवाणी का एक बड़ी शक्ति वाला ट्रांसमीटर केन्द्र अविलम्ब स्थापित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) अलेप्पी के निकट ट्रांसमीटर के लिये स्थान अधिग्रहण कर लिया गया है। ट्रांसमीटर और स्टुडियो के लिये उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं और भवनों के तैयार होने पर लगा दिये जायेंगे। भवनों के निर्माण की स्वीकृत पहले ही दी जा चुकी है।

Permission to Visit Sadhubela in West Pakistan

1282. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a Memorandum from Sindhu Seva Sangh requesting Government to initiate talks with Pakistan to get them permission for Hindus to visit "Sadhubela" a holy place in Sindh (West Pakistan) ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter was taken up with the Government of Pakistan but they have refused permission to the visit of a party of Sindhu Seva Sangh to "Sadhubela" Shrine in West Pakistan. The Pakistan Government have been reminded of their obligation to provide all facilities to pilgrims from India to visit holy places in Pakistan in accordance with the agreements reached between the two countries.

अध्य सेवा नियमित कमीशन (टैक्नीकल) तथा स्थायी कमीशन (टैक्नीकल) प्रदान करने के लिये अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया

1283. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 और 1964 में सेना में अध्य सेवा नियमित कमीशन (टैक्नीकल) तथा स्थायी कमीशन (टैक्नीकल) प्रदान करने के लिये अधिकारियों के चयन के बारे में सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई;

(ख) क्या यह सच है कि इन्जीनियरिंग डिग्री के अन्तिम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने के कारण अध्य सेवा नियमित कमीशन के लिए चुने गये कुछ अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे दिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि किसी समान नीति के अभाव के कारण उन विश्वविद्यालयों को हानि पहुंची है जिन्होंने सरकार के कहने पर अधिक इन्जीनियर उपलब्ध कराने के लिये अपने इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम को छोटा कर दिया था; और

(घ) उन नवयुवक अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है जो कि अपने करार की अवधि पूरी करने वाले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) (तकनीकी) पी० आर० सी० प्रदान करना 1963 में स्थगित कर दिया गया था और 1964 में पुनः पुरःस्थापित । (तकनीकी) एस० एस० आर०सी० पहली बार 1963 में पुरःस्थापित की गई थी और 1965 से निलम्बित । निर्धारित आयु सीमाओं के इन्जीनियरी डिग्री या समतुल्य अर्हता वाले उम्मीदवार सेवाओं के चयन बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू के लिए बुलाये गए थे, और अर्ह हुए उनका चिकित्सक निरीक्षण किया गया था । अर्ह और चिकित्सा परीक्षण में योग्य घोषित उम्मीदवारों की एक अन्तिम सूची तैयार की गई थी और प्राप्य रिक्त स्थानों के अनुसार व्यक्तियों को पी० आर० सी० (तकनीकी) या एस० एस० आर० सी० (तकनीकी) के लिए कमीशन से पूर्व के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था, जैसे कि मेरिट अनुसार उचित समझा गया । कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अस्थायी एस० एस० आर० सी० प्रदान की गई थी । विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अन्तर्गत इंजीनियरी छात्रों के चयन का भी उपबंध था । अन्तिम श्रेणी में अध्ययन के दौरान भी उन्हें अस्थायी एस० एस० आर० सी० प्रदान कर दी जाती थी; परन्तु उतने तक उन्हें कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण के लिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था, जब तक कि वह अन्तिम वर्ष की इन्जीनियरी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाते ।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई कमीशन से पूर्व के प्रशिक्षण में दाखिल नहीं किया गया था, जो अन्तिम वर्ष की इन्जीनियरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो। इसलिए ऐसे किसी उम्मीदवार को पी० आर० सी० प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालयों को उनके इन्जीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों को सघन बनाने को कहा गया था। तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारत परिषद् की कोआर्डिनेटिंग कमेटी ने आयात स्थिति की घोषणा के बाद जनवरी 1963 में अपनी एक विशिष्ट बैठक में अन्य बातों सहित चुने गिने सुविकसित संस्थानों की हालत में छुट्टियां कम करके और परीक्षाएं पहले आयोजित करके अन्तिम, और 5 वर्षों के इन्ट्रेग्रोटिड कोर्स के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए एक्सेलरेटिड प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी, और राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया गया था।

(घ) एस० एस० सी० (तकनीकी) अफसर, जो योग्य हैं, और स्थायी कमीशन के लिए विचारे जाने के लिए राजी हैं, विषय पर नियमों के अनुसार सेवाओं के चयन बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू किए जा रहे हैं। जो छात्र स्थायी कमीशन दिये जाने के लिए स्वीकार्य श्रेणी में आएंगे उन्हें पी० आर० सी० प्रदान की जाएगी, अगर वह अन्यथा योग्य हुए।

टेलीविजन उपग्रह केन्द्र

1284. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर पर उपग्रह केन्द्र तथा महाराष्ट्र में अरबी में सूचना प्राप्ति केन्द्र चालू हो जाने के बाद अन्य देशों से 'टेलीविजनों' द्वारा किये जाने वाले प्रसारण को भारत में पुनः प्रसारित करने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है। तथापि, 'अरबी अर्थ स्टेशन' के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रमों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण की व्यवस्था की संभावना स्वीकार की जाती है। इस पर बम्बई में टेलीविजन केन्द्र के स्थापित हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

नागालैंड की स्थिति

1285. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के हाल के आम चुनावों से स्पष्टत: यह निष्कर्ष निकला है कि नागालैंड के लोगों में लोकतांत्रिक संस्थायें अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है और विद्रोही तत्वों को लोगों का लोकप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों को देखते हुए क्या सरकार ने नागा समस्या के संबंध में अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है तथा युद्ध विराम की स्थिति को समाप्त करने और वहां विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था को अन्य राज्यों के समान बताने का निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार मे नागालैंड संबंधी मामलों को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन जारी रखने के प्रश्न पर भी पुनर्विचार किया है और इस विषय को गृह कार्य मंत्रालय को सौंपने का निर्णय किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । मोटे तौर पर यह ठीक ही है ।

(ख) और (ग). नागालैंड की स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है । वर्तमान रुख उत्साह वर्धक है लेकिन जिन तरीकों से स्थिति सुधरी है उनमें शीघ्र रियायत करने का अभी औचित्य नहीं है ।

दूसरी राज्य सरकारों की तरह नागालैंड राज्य सरकार भी अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है । इसके अतिरिक्त संविधान में भी नागालैंड के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तब तक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है जब तक कि नागालैंड में उनकी राय में आन्तरिक अव्यवस्था बनी रहे । यह विशेष जिम्मेदारी केवल उस समय खत्म होगी जब स्थिति सामान्य हो जाय ।

नागालैंड में सुरक्षा सेना नागरिक प्रशासन की सहायता के लिये है । कार्रवाई स्थगन संबंधी करार सुरक्षा सेना को कार्रवाई स्थगन संबंधी करार के उल्लंघनों से निपटने और कानून और व्यवस्था बनाये रखने के बारे में वैध कार्रवाई करने से नहीं रोकता । छिपे नागाओं द्वारा बाहर से हथियार लाना करार का स्पष्ट उल्लंघन है और सुरक्षा सेना छिपे नागाओं के ऐसे अड्डों को खोज रही है और उन्हें खत्म कर रही है जहां पर बाहर से लाये गये हथियार रखे गये हैं ।

(घ) दूसरी राज्य सरकारों की तरह नागालैंड की सरकार भी भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों से सीधा पत्र व्यवहार करती है । 1960 में नागा नेताओं के साथ हुई बातचीत के अनुसार ही विदेश मंत्रालय नागालैंड संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार है । इस जिम्मेदारी को गृह मंत्रालय को सौंपने के प्रश्न पर नागालैंड की नई सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

गुजरात में धूबरन परियोजना का विस्तार

1286. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गुजरात राज्य में धूबरन परियोजना के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के लिये 18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देने के लिए कुछ आपत्ति उठायी है, जिसकी स्वीकृति पर्याप्त सोच-विचार करने और काफी विलम्ब के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पृथक-पृथक योजनाओं पर अन्तिम निर्णय करने में योजना आयोग के कर्त्तव्य एवं दायित्व क्या हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार की योजनाविशेष पर निर्णय करने की अन्तिम और सर्वोच्च सत्ता योजना आयोग की है अथवा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). ऐसी परियोजनाओं के बारे में, उनके सभी पक्षों पर और कुल योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए, परामर्श देना योजना आयोग का कार्य है । योजना आयोग के परामर्श का यथोचित ध्यान रखते हुए अन्तिम निर्णय करना सरकार पर निर्भर है ।

Diu Aerodrome

1287. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Virendrakumar Shah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Diu Aerodrome, costing about Rs. 75 lakhs and containing the air-strips of 1,900 and 1,500 metres, repectively, has been lying unutilzed since the liberation of Diu from Portuguese rule ;

(b) whether it is also a fact that its building which was damaged during the last rainy season has not been repaired so far ;

(c) if so, the action proposed to be taken by Government for repairing the building and for full utilization of the aerodrome ; and

(d) the time likely to be taken in making it fit for full utilization and the expenditure proposed to be incurred thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). The cost of the Diu Aerodrome which was constructed by the Portuguese is not known. The airfield has two runways 1,931 and 1,075 metres long. The buildings at the airfield are in a completely damaged condition with only debris lying at the site, and are thus beyond repair. The Airfield is being retained for emergency use.

भारतीय नौसेना द्वारा पौलिएथिलीन आक्साइड का उपयोग

1288. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान पौलिएथिलीन आक्साइड के एक नये उत्तम रसायनिक यौगिक की ओर दिलाया गया है, जिससे जहाजों में ईंधन की खपत 15 प्रतिशत कम हो जाती है और जहाजों की गति बढ़ जाती है;

(ख) क्या किसी भारतीय प्रयोगशाला में ऐसे लाग-चेन पोलिमर्स के स्नेहक प्रभावों का परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इस यौगिक के प्रयोग के लिये भारतीय नौसेना द्वारा कोई परीक्षणात्मक परीक्षण किये गये हैं और यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में आगामी कार्यक्रम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पोतों पर कार्य को कम करने के लिए तथा परिणामस्वरूप ईंधन की खपत में बचत करने के लिये और पोत की गति बढ़ाने के लिए पालीथलीन के आक्साइड प्रयोग के संबंध में हाल में जानकारी प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). इसका अभी तक अध्ययन नहीं किया गया। परन्तु इस पर कार्य शीघ्र ही हस्तगत किया जाएगा।

Memorandum of Indian Migrants in U. K.

1290. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum was submitted to the Prime Minister by the Indian Migrants Society in London in January, 1969, drawing the attention of the Prime Minister towards their difficulties ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken by the Government thereon ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) A memorandum signed by 15 persons, some of whom are representatives of organisations of Immigrants in U. K. was submitted to our Prime Minister as well to the Prime Ministers of other Commonwealth countries attending the Commonwealth Conference.

(b) The memorandum stated that the coloured Commonwealth citizens in U. K. suffer discrimination at the ports of entry, in housing, employment, education, law and order and public places and institutions. It called the Commonwealth Immigrants Act 1968 as racist and demanded that the Commonwealth Immigrants Act, 1968 should be immediately repealed. It also demanded that the British Government should end all discrimination failing which the Commonwealth Governments should treat British people and their interests in their countries on a reciprocal basis.

(c) Our views in regard to the immigration problem in U. K. are well-known. We have repeatedly emphasised to the British Government their full responsibility for all British Government their full responsibility for all British citizens of Asian origin.

Our High Commission in London takes up individual cases as and when necessary.

व्यापारिक प्रसारण के लिये राष्ट्रीय सेवा

1291. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक प्रसारण के लिये एक राष्ट्रीय सेवा बनाने के प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षा की टिप्पणियां । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 134/69]

कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री हाथी की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 48 में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 135/69]

सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री जगजीवन राम

की ओर से देश के भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 136/69]

समाचारपत्र रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं वर्ष 1969 के लिए भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार के भारत में प्रेस सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 137/69]

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उद्घोषणा का निरसन
REVOCATION OF PROCLAMATION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 26 फरवरी, 1969 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उनकी उद्घोषणा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, का प्रतिसंहरण किया गया और जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 502(अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 503 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 138/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौवालीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविद श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन विधेयक)
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION BILL)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : मैं कतिपय स्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्पादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिये विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैं कतिपय स्थापनों में संविद् श्रमिकों के नियोजन को विनियमित

करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्पादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिये विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

संयुक्त समिति के अध्ययन ग्रुपों की टिप्पणियां

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैं कतिपय स्थापनों में संविद् श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्पादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिये विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के अध्ययन ग्रुपों द्वारा किये गये दौरों पर अध्ययन टिप्पणी की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक
MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं यह उपबन्ध करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली के प्रवर्तन का परिणाम सामान्य उपाय करने वाले आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रीकरण न हो, एकाधिकारों के नियन्त्रण के लिये, एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के प्रतिषेध के लिए और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिए, उपबन्ध करने के लिए विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री स० चं० सामन्त : मैं यह उपबन्ध करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली के प्रवर्तन का परिणाम सामान्य उपाय करने वाले आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रीकरण न हो, एकाधिकारों के नियंत्रण के लिए, एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के प्रतिषेध के लिए और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिए, उपबन्ध करने के लिए विधेयक संबंधी समिति संयुक्त के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. STRIKE BY U. P. DEGREE COLLEGE TEACHERS

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 140/69]

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से जिसे 25 फरवरी, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से, जिसे 25 फरवरी, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. STRIKE BY U. P. DEGREE COLLEGE TEACHERS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम उस विशेष वक्तव्य पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस समय पर चर्चा चाहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता। उसे इस समय नहीं लिया जा सकता।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जिसे 20 फरवरी, 1969 को श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्री दशरथ राम रेड्डी द्वारा अनुमोदित किया गया था, और आगे विचार-विमर्श करेगी; अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये" :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1969 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रधान मंत्री अब वाद-विवाद का उत्तर देंगी।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्य रूप से जिन विषयों को उठाया गया उनका सम्बन्ध कृषि तथा उद्योग के विकास से है। थोड़े दिन हुए, मैं इस विषय पर बोली थी

और थोड़े दिन बाद मेरे सहयोगी उप प्रधान मंत्री उन कार्यवाहियों का संकेत देंगे जो हमने मूल्य-वृद्धि रोकने के लिये की हैं। कृषि-क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है जिससे राष्ट्रीय आय गत वर्ष की अपेक्षा 9.1 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 1968 के पहले नौ महीनों का औद्योगिक सूचकांक 159.3 है जो वर्ष 1967 में इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक है। हमारा भुगतान-सन्तुलन भी गत वर्ष की अपेक्षा अच्छा है। हमारे निर्यात बढ़े हैं और आयात कम हुए हैं। यह सच है कि इस वर्ष बारिस काफी अच्छी हुई है लेकिन सरकार की कृषि सम्बन्धी नई नीति तथा नये कार्यक्रमों ने हमारे किसानों को वर्षा का पूरा-पूरा लाभ उठाने में योगदान दिया है। फिर भी यह हमारे किसानों के कठिन परिश्रम तथा लगन का ही फल है कि उन्हें इतनी अच्छी फसल प्राप्त हुई है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले किसी अवसर पर कहा है, यह सब कुछ संभव बनाने में हमारे उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों के कठिन परिश्रम, अध्यवसाय तथा कल्पना का योगदान भी है जो एक्सटेंशन कार्य आदि के सिलसिले में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ ऐसी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जहां इतनी प्रगति नहीं हुई है कि हम उससे सन्तुष्ट हो सकें अथवा जो चिन्ता का विषय बन गई है और जिनसे बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि मशीन निर्माण क्षेत्र में कुछ उद्योगों के उत्पादों की मांग उनकी क्षमता की तुलना में अपर्याप्त रही है। हम इस बात को पूरी तरह महसूस करते हैं और इन मंत्रालयों से सम्बन्धित मेरे सहयोगियों ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही उपक्रमों से सम्बन्धित प्रबन्ध तथा अन्य मामलों में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। हमने इस बात से न तो इन्कार किया है और न ही उसे किसी तरह छिपाने की कोशिश की है। इस स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने, समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कृषि को हमारी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और देश के बहुत से भागों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सबकी राय एक है। इस बारे में राजस्थान, तेलंगना, रायलसीमा आदि का उल्लेख किया गया है। उत्तर मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अन्य क्षेत्र हैं। वास्तव में प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता है। एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग पिछले वर्षों से घट रही घटना को दृष्टि में रखते हुए इन आवश्यकताओं तथा कार्यक्रमों के बारे में विचार करेगा।

जहां तक देश में गरीबी का सम्बन्ध है, मैं मानती हूं कि देश में अब भी गरीबी है लेकिन इतने बड़े देश, इतनी अधिक जनसंख्या और उन समस्याओं को जिनका हमें सामना करना पड़ा है, देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, पर जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य समस्याओं के कारण कठिनाइयां बनी हुई हैं।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम पूरी तरह आत्म-निर्भर नहीं हैं

लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और गेहूं के मामले में हम आत्म-निर्भरता के निकट हैं लेकिन चावल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ दूर हैं। शुष्क खेती का उल्लेख किया गया है। उन क्षेत्रों की ओर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं जहां अभी तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीजों की नई किस्मों तथा और अधिक गहन खेती के अन्य तौर-तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है और शुष्क क्षेत्रों के लिये उपयुक्त बीजों की किस्मों के बारे में अनुसंधान कार्य चल रहा है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है ऐसा अनुमान है कि देश में कुल 1 करोड़ 60 लाख हैक्टेकड़ भूमि बाढ़-ग्रस्त हो सकती है। वर्ष 1953 से 1967 तक की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 60 लाख हैक्टेकड़ भूमि बाढ़-ग्रस्त रही है जिसमें से लगभग 20 लाख हैक्टेकड़ भूमि में फसल थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप 62 लाख हैक्टेकड़ भूमि को बाढ़ों से बचाने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

देश के विभिन्न भागों में कहीं बाढ़-ग्रस्त होने तथा कहीं सूखा-ग्रस्त होने के कारण तथा प्राकृतिक प्रकोपों का साथ-साथ मुकाबला करने में हमें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है लेकिन सरकार ने उनकी ओर यथाशीघ्र ध्यान दिया है और हर संभव रूप से सहायता दी है। पश्चिम बंगाल के लिये कुल 23.73 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है जिसमें से 17.50 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं, इसी प्रकार राजस्थान के मामले में 8.96 करोड़ रुपये की सहायता के लिये सहमति दी जा चुकी है और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये अगले महीने में एक विशेषज्ञ दल वहां जा रहा है जो उसकी आवश्यकताओं के बारे में और आगे सिफारिश करेगा।

इस अवधि में रेलवे ने विभिन्न रियायतें तथा सुविधाएं प्रदान की हैं और खाद्य सामग्री तथा चारे के लाने-ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है और बाढ़-ग्रस्त तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की सराहनीय सेवा की है।

बेरोजगारी सरकार तथा जनता दोनों के लिये भारी चिन्ता का विषय बन गई है। इस समस्या को, जिसका उन्नत देशों को आज तक सामना करना पड़ रहा है, हम केवल आर्थिक प्रगति के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। बड़ा देश होने तथा बहुत तेजी से उसकी बढ़ रही जनसंख्या के कारण, स्वभावतः हमारे सामने विशेष समस्याएं हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की हुई है जो रोजगार, बे-रोजगारी आदि के विभिन्न पहलुओं पर अपना सुझाव देगी। यह प्रतिवेदन इस महीने के मध्य में मिलने की सम्भावना है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार में 1960-61 से लेकर 1965-66 तक लगभग 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की प्रतिशतता में भी काफी वृद्धि हुई है। 1961 और

1968 के बीच व्यापार और वाणिज्य में लगभग 112 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा विद्युत और प्रदाय में भी 53.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी बहुत वृद्धि हुई है। परन्तु हम पढ़े-लिखे लोगों में विशेषकर इंजीनियरों में, बे-रोजगारी की समस्या के बारे में बहुत चिन्तित हैं।

कुछ दिन हुये एक माननीय सदस्य साक्षरता की समस्या की बात कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है और हम इसे महत्व देते भी हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है। परन्तु इस क्षेत्र में हमने जो कुछ सफलता प्राप्त की है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। योजनाबद्ध विकास की पहली शताब्दी में इस देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। इसके अलावा हमारे देश में काफी परिवर्तन आ गया है। चाहे आप गांवों में जाकर देख लें या कहीं और जाकर देख लें हमारे जो लोग पढ़-लिख भी नहीं सकते हैं वे भी अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत रहते हैं। उनका पूर्ण दृष्टि-कोण अब बदलता जा रहा है।

हरिजनों तथा अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्या पर हम निरन्तर रूप से विचार कर रहे हैं। निस्सन्देह यह एक गम्भीर समस्या है। इस सम्बन्ध में हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं तथा भविष्य में इसकी और दशा सुधारने के लिये हम ठोस कार्यवाही कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और दूसरे नीच हैं। परन्तु हम सब जानते हैं कि पिछड़ी जाति आदि नाम की कोई चीज नहीं है। यदि कोई लोग पिछड़ जाते हैं तो इसलिये क्योंकि उन्हें शिक्षा आदि के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं। जहां कहीं भी हरिजनों पर प्रहार किया गया है उससे राष्ट्र के नाम पर धब्बा लगा है। उनकी रक्षा के बारे में संविधान में अवश्य ही व्यवस्था है परन्तु हम लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को नहीं बदल सके हैं। इसलिये हमें लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

शिव सेना के प्रश्न पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सभी दलों ने उनकी कार्यवाही की निन्दा की है। ऐसे संगठनों की गतिविधियों को केवल सरकार ही समाप्त नहीं कर सकती। इसके लिये सभी दलों को सहयोग प्रदान करना चाहिये। आचार्यजी ने कानून और व्यवस्था की बात कही थी। इसमें सन्देह नहीं कि कानून और व्यवस्था बनाये रखना सरकार का काम है परन्तु ये समस्यायें केवल कानून और व्यवस्था से ही सम्बन्धित नहीं हैं। लोग कुछ मामलों के सम्बन्ध में जोश में आ जाते हैं तथा उनके जोश को हमेशा लाठी से नहीं दबाया जा सकता। इसलिये सभी उत्तरदायी व्यक्तियों को यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिये कि चाहे कोई भी समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो और चाहे उनके बारे में उन्हें कितना ही जोश क्यों न आया हो वे हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे और न किन्हीं अन्य व्यक्तियों को करने देंगे।

प्रो० रंगा ने एकीकरण परिषद् का उल्लेख किया था। हम ऐसे परिषद् से तुरन्त परिणामों की आशा नहीं कर सकते। परन्तु फिर भी मैं समझती हूं कि यह बात प्रशंसनीय थी कि

विभिन्न दल इकट्ठे बैठकर कम से कम कुछ बातों पर तो सहमत हो गये थे। मैं समझती हूं कि वह अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे क्योंकि उनके शामिल न होने से कोई सहायता तो मिलती नहीं है।

कुछ सदस्यों ने राज्यों के आपसी विवाद का उल्लेख किया था। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के संसत्सदस्य मेरे पास आये थे तथा उससे पहले महाराष्ट्र के संसत्सदस्य मेरे पास आये थे। यह बात स्वीकार कर ली गई है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया जाये। परन्तु क्षेत्राधिकार तथा निर्देश पदों के सम्बन्ध में अभी आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र सीमा विवाद का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहती। परन्तु हमें इस बात पर अवश्य बल देना चाहिये कि इस मामले पर ठंडे दिल और सहयोग से काम करना चाहिये। सरकार दबाव के आगे कभी झुक नहीं सकती है। मध्यावधि चुनावों के बाद कुछ कार्यवाही करने का विचार किया गया था तथा मैं दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने की आशा बनाये हुई थी परन्तु बम्बई में कुछ घटनाएं हो जाने के कारण यह सारा कार्यक्रम अस्तव्यस्त हो गया। इसलिये यदि निर्णय करने में देरी हो भी जाये तो भी हमें उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमारा बुनियादी उसूल तो मिलकर रहने का है। हमें यह देखना चाहिये कि राज्य आपस में मिल-जुलकर रहें।

मध्यावधि चुनावों के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहती। मैं पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों का स्वागत करती हूं। हम इन राज्यों को पूरा सहयोग देंगे। हम सबको यह महसूस करना चाहिये कि हमारा उद्देश्य सारे राष्ट्र का कल्याण करना और उसके लिये समृद्धि प्राप्त करना है। इसी तरह से प्रत्येक राज्य को, चाहे उसमें किसी दल की सरकार हो, यह समझना चाहिये कि उनका राज्य एक बड़े देश का अंश है। इसलिये राष्ट्र की एकता कायम करना उनका कर्त्तव्य है।

हम सबसे अधिक महत्व युवकों की समस्याओं की ओर देती हैं। युवकों की न केवल यहां बल्कि अन्य देशों में भी नई मांगें होती हैं। उनमें अत्यन्त शक्ति होती है और वे नये रास्ते ढूंढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। सरकार को इन सब बातों का पता है तथा हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय युवक सेवा की ओर विशेष ध्यान दे। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिये न केवल सरकार का बल्कि राजनीतिक नेताओं, अभिभावकों तथा सारे समुदाय का भी उत्तरदायित्व है।

विदेश नीति की कुछ तथाकथित असफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। मैं समझती हूं कि गत बीस वर्षों से हमने जो नीति अपनाई हुई है उसे आम जनता ने स्वीकार किया है। क्योंकि इस बजट अधिवेशन में विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा करने के कई अवसर आयेंगे इसलिये मैं इसके बारे में अधिक न कहती हुई केवल सुरक्षा के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगी। मैं यह अवश्य कहना चाहती हूं कि इस विशाल देश की रक्षा,

जहां 50 करोड़ लोग रहते हैं, तब तक नहीं की जा सकती जब तक लोग अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करने के लिये अपना जीवन बलिदान करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये हमारी सुरक्षा देशभक्ति और लोगों की आत्म-बलिदान करने की भावना पर निर्भर करती है। दूसरे, हमारे देश की सुरक्षा हमारी औद्योगिक और आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। ऐसी शक्ति के बिना हमें दूसरों की शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा तथा दूसरों की शक्ति स्थायी रूप से नहीं मिल सकती। इसके अलावा हमने देखा है कि सैनिक समझौतों से सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती। आज जिन देशों ने सैनिक समझौते किये भी हुये हैं वे भी अपने आपको असुरक्षित समझ रहे हैं। हर एक देश आज यह महसूस कर रहा है कि यदि उसने अपनी सुरक्षा करनी है तो उसे अपनी आर्थिक शक्ति सुदृढ़ करनी चाहिये। हमारी सुरक्षा सैनिकों के मनोबल और उनकी युद्ध करने की कुशलता पर भी निर्भर करती है इसलिये हमें उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। परमाणु शक्ति का भी उल्लेख किया गया था विशेषकर इसलिये क्योंकि हमारे पड़ौसी देशों के पास ऐसी शक्ति है। हमें इस बारे में आतंकित नहीं हो जाना चाहिये। हमें उस ओर अपने साधन जुटाने से अपने आर्थिक विकास को कम नहीं समझना चाहिये।

कुछ लोगों ने आलोचना करते हुये कहा था कि हम अकेले ही हैं और हमारा कोई मित्र नहीं है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि हमारा विश्व में काफी सम्मान होता है और हम महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में योगदान देते हैं। एक समय था जब देशों की अपनी स्थिति बहुत मजबूत होती थी परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। आज देश के सभी भागों में नई स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। केवल देशों का ही झगड़ा नहीं होता बल्कि हर देश के अन्दर झगड़े हो रहे हैं।

अतः जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे उन्हें वापिस ले लें। मैं समझती हूं कि बहुत से संशोधन इस गलतफहमी से प्रस्तुत किये गये हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के प्रत्येक कार्य का उल्लेख होता है। परन्तु उसमें तो सरकार के सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य नीति की बात कही जाती है। इसलिये मैं चाहूंगी कि आलोचना करने की बजाय हमें रचनात्मक काम करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं समझती हूं कि बहुत-सी त्रुटियों को दूर किया जा चुका है तथा अभी बहुत-सी समस्याओं को हल करना शेष है। हमें सही रास्ते पर चलना चाहिये केवल तभी हम देश के लोगों का जीवन अच्छा बना सकेंगे। अतः मुझे आशा है कि सारा सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

अध्यक्ष महोदय : लगभग 558 संशोधन हैं। माननीय सदस्य जिन-जिन संशोधनों पर जोर देना चाहते हैं और उन्हें पृथक् प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उनकी संख्या बता दें।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम्) : हम संशोधन संख्या 544, 545, 548 और 558 पृथक्रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : We want to press Amendment Nos. 1 and 13.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : We press Amendment No. 317 and 351.

श्री नाथपाई (राजापुर) : हम संशोधन संख्या 101 और 105 प्रेस करना चाहते हैं।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : संख्या 395 से 411 तक।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : संख्या 107।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 544, 545, 546 और 558 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 544, 545, 546 and 558 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं चाहूंगा कि सभी दल मुझे बता दें कि वे किन-किन संशोधनों को विभाजन के लिये प्रेस करते हैं।

श्री रंगा : हम धन्यवाद के मुख्य प्रस्ताव पर तो विभाजन कराना चाहते हैं तथा हमारे अन्य संशोधन मौखिक मतदान के लिये रखे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 9 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 1 to 9 were put and negatived

इसके पश्चात् शेष सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All other amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1969 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 159 ; विपक्ष में 106

Ayes 159; Noes 106

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे (म० प०) के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen hours of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 5 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बिहार के सम्बन्ध में उद्घोषणा का प्रतिसंहरण
REVOCATION OF PROCLAMATION IN RELATION TO BIHAR

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 26 फरवरी, 1969 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा बिहार राज्य के सम्बन्ध में 29 जून, 1968 को जारी की गई उनकी उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया और जो दिनांक 26 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी; सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय मेंई रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 139/69]

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा
RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम संख्या 340 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रेलवे मंत्री डाक्टर राम सुभग सिंह रेलवे बजट पर चर्चा आरम्भ करने जा रहे हैं जो कि 10 घंटे तक चलेगी। यद्यपि यह खुशी की बात है कि 1 मार्च, 1969 से राजधानी एक्सप्रेस चालू हो रही हैं परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि वह कानपुर स्टेशन पर केवल दस मिनट ठहरेगी और न तो वहां कोई यात्री उतर सकेगा और न ही वहां से सवार हो सकेगा। कानपुर के ग्यारह लाख लोगों के साथ यह अन्याय है। यह एक गम्भीर बात है तथा मैं चाहता हूं कि सभा की कार्यवाही रोककर पहले इस बारे में विचार किया जाये। क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि कानपुर में सत्याग्रह जारी रहे ? कानपुर के लोगों को यह सुविधा देने में उन्हें क्या आपत्ति है ? यह अविलम्ब महत्व का मामला है जिससे 11 लाख लोग प्रभावित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं समझता था कि वह हमेशा की तरह आज भी कोई बहुत ही महत्व की बात कहेंगे इसीलिये मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी। परन्तु यह मामला ऐसा नहीं है तथा वह इसे मंत्री महोदय से बात-चीत करके तय कर सकते हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस मास की 21 तारीख को दो माननीय सदस्यों श्री बलराज मधोक तथा श्री इब्राहम सुलेमान सेट ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया था तथा इसके मध्य हममें कुछ सदस्यों ने श्री बलराज मधोक के विरुद्ध कुछ शब्द कहे थे। मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था जब श्री बलराज मधोक ने उस कार्यवाही को पढ़कर श्री इब्राहम सुलेमान सेट के विरुद्ध कहे गये अपने शब्द वापस ले लिये थे। मैंने भी श्री बलराज मधोक के विरुद्ध कुछ शब्द कहे थे और मैं भी अपने उन शब्दों को वापस लेता हूं।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी
RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : रेलवे बोर्ड के केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा ही यात्रियों के सामान और बिस्तरों पर 10 प्रतिशत अधिक किराया बढ़ाने के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार ने ऐसा पहले भी कई बार किया है तथा पीढ़ियों से यात्रियों को दी जा रही सामान, पार्सल, बिस्तर आदि में किराये की छूट अब हटा दी गई है। यह सरासर असंवैधानिक है।

दूसरे, सरकार ने रेलवे बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया है। सभा में इस बात को रखने से पूर्व ही उन्होंने उसे स्वीकृत समझ लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे मंत्री को रेलवे बोर्ड ने भ्रम में डाला है। वस्तुस्थिति भी यही है कि वास्तव में बजट तो किसी अन्य मंत्री ने तैयार किया है तथा पेश वर्तमान मंत्री को करना पड़ा है। समय के अभाव में वर्तमान मंत्री कदाचित इसकी जांच नहीं कर पाये।

इस प्रश्न को मैं संसदीय औचित्य के दृष्टिकोण से उठाया है। संसदीय औचित्य तथा संवैधानिक दृष्टि से सरकार की यह कार्यवाही बहुत बुरी है। मंत्री महोदय रेलवे बजट में कर न लगाने की घोषणा करके हमसे तालियां बजवाना चाहते थे मगर इससे पूर्व ही वह यात्रियों के सामान पर किराया बढ़ा चुके हैं। किसी बजट को संसद में इस प्रकार प्रस्तुत करना उचित नहीं है। वह ऐसा भविष्य में न करें। रेलवे बोर्ड को संसद् तथा मंत्री महोदय के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिये।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं इस प्रश्न का उत्तर चर्चा के अन्त में दूंगा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : श्री रंगा ने यहां एक विशिष्ट प्रश्न उठाया है। इस सामान्य चर्चा के साथ मैं उसे मिलाना ठीक नहीं समझता। उचित तो यह होगा कि मंत्री महोदय इसका अभी उत्तर दें'' **(व्यवधान)**। यह सच है कि बजट पहले तैयार किया गया होगा तथा प्रेस को भेजा गया होगा परन्तु इसमें मामूली सा संशोधन किया जा सकता था तथा सभा के समक्ष रखा जा सकता था। मंत्री महोदय ने तो अपने वक्तव्य में कहा है कि किराये और भाड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु वस्तुस्थिति उससे विपरीत है। अतः इस प्रश्न पर एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न के विशिष्ट होने के बारे में मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। और श्री रंगा ने यह भी स्वयं कहा है कि जो कुछ हुआ है उसके लिये मंत्री महोदय उत्तरदायी नहीं हैं। श्री रंगा का यह प्रश्न वास्तव में उचित है तथा इसी कारण मैंने उन्हें यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। परन्तु मंत्री महोदय चर्चा के अन्त में उसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकन्ठा) : मंत्री परिषद् में अभी हाल ही में की गई फेर-बदल के कारण यद्यपि न तो कोई मंत्री हटाया ही गया है और न ही कोई नया मंत्री लिया गया है, परन्तु इस फेर-बदल से इतना अवश्य हुआ है कि प्रत्येक मंत्री अब अपने-अपने योग्य मंत्रालय

में पहुंच गया है। हमारे रेल मंत्री भी इसी प्रकार ठीक मंत्रालय में आये हैं। परन्तु उन्हें एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वह यह है कि हमारे देश के लोग विशेषतः करों के विषय पर हमारी आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था के बारे में इतने उदासीन हो चुके हैं कि वे समझते हैं कि इन उतार-चढ़ावों को बस सह लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यह एक राष्ट्रीय अभिशाप है तथा मंत्री महोदय यह बात किसी प्रकार भी उनके दिल से नहीं निकाल सकेंगे। करों में वृद्धि की बात अब तक इतनी सामान्य बन चुकी है कि आप अपने बजट में करों में वृद्धि भले ही न करें परन्तु लोग फिर भी यह विश्वास रखेंगे कि आप किसी अन्य माध्यम से ऐसा करेंगे। और ऐसा हुआ भी है। आपने अपने बजट में करों की घोषणा तो नहीं की परन्तु उससे पूरी अनावश्यक और असंवैधानिक ढंग से यात्रियों के सामान पर अधिभार बढ़ा दिया। मंत्री-परिषद् में फेर-बदल भी ऐसे समय हुई है कि अब इस बात के लिये अपने ऊपर कोई उत्तर-दायित्व नहीं लेता, अपने से पहले का नाम ले देते हैं।

जहां तक कर के बिना बजट पेश करने का प्रश्न है, इस बारे में वस्तुस्थिति यह है कि एक तो बजट पेश करने से सामान पर भाड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है तथा इससे पूर्व प्रथम नवम्बर, 1968 से कोयला आदि के कुछ भाड़ों की दरों को युक्तिसंगत किया गया था। और यह तो आप जानते ही हैं कि इस युक्तिसंगत करने के कार्य में कर-वृद्धि आदि सभी कुछ किया जा सकता है। इस कार्यवाही के कारण भी 800 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा की दरें ऊंची हो गई थीं। अब रेलवे बोर्ड फिर भाड़ों को युक्तिसंगत करने के लिये भाड़ों में और आगे संशोधन करना चाहता है। इस "युक्तिसंगत" करने की कार्यवाही के पीछे इस मंत्रालय की कुटिल धारणायें निहित हैं। यह एक सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने संसद् के प्राधिकार की अवहेलना करने का साहस किया है विशेष रूप से जबकि रेलवे बजट कुछ ही दिनों पहले पेश किया जाने वाला था। ऐसा भविष्य में कभी नहीं किया जाना चाहिये। आप हर समय सभी लोगों की आंखों में धूल नहीं ओंक सकते।

अब मैं बजट के आंकड़े लेता हूं। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान बजट के हिसाब से, सामान के किराये से आय में 55 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी तथा वर्ष 1967-68 के बजट के हिसाब से यह वृद्धि 100 करोड़ रुपये की होगी। परन्तु इस आशावादी अनुमान का क्या आधार है। क्या इसका आधार यही है कि वर्ष के पहले 9 महीनों में 50 लाख टन माल की ढुलाई की वृद्धि हुई थी जबकि अब आशा की जाती है कि यह वृद्धि 80 लाख टन होगी ? परन्तु बजट की पुस्तकों का सावधानी से अन्वेषण करने पर यह बात सिद्ध नहीं होती कि औद्योगिक पुनरोत्थान के कारण ही रेलवे के राजस्व में यह वृद्धि सम्भव हो सकेगी। पश्चिम बंगाल में तो अब नई सरकार आ गई है। पिछली बार वहां औद्योगिक मन्दी थी जिसका प्रभाव देश के शेष भाग पर भी पड़ा था। पुराने अनुभवों के आधार पर लोग यही समझते हैं कि राज्य में स्थित उद्योगों तथा उनसे सम्बन्धित लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। चाहे यह भय संगत प्रतीत न होता हो परन्तु यह भय अवश्य विद्यमान है और समाचार पत्रों में इसकी अभिव्यक्ति

भी हुई है। अतः मैं समझता हूं कि रेलवे विभाग की इन आशाओं में कोई सार नहीं दिखाई देता। यात्री-किरायों के बारे में रेलवे आय की सूची ठीक है। यात्रा-किराया आय अनुमानित 266 करोड़ रुपये से घटकर 262 करोड़ रुपये हो गई है। इसका स्पष्ट कारण वापसी को घटाने वाले आर्थिक कानून को लागू करने का गलत ढंग है जैसे कि पिछले वर्ष यात्री किराये पर अनावश्यक अधिभार लगाया गया था।

रेलवे विभाग की आय में अपेक्षित वृद्धि करने के लिये हमें अपनी अर्थव्यवस्था के ढांचे पर प्रभाव डालना होगा। दूसरे शब्दों में, वहां की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव वहां के कर्मचारी-वर्ग के माध्यम से डालना होगा। इस मंत्रालय द्वारा ही प्रदत्त पुस्तिकाओं में लिखा है कि जहां वर्ष 1951 में रेलवे 9,14,000 कर्मचारी थे अब चालू वर्ष में 13,63,000 कर्मचारी हैं—अर्थात् 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की यह वृद्धि रेल-सेवा, यात्रा की दूरी, अधिक स्टेशन, आदि सुविधाओं के अनुपात में बहुत अधिक है। इसी दृष्टिकोण से हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर विचार करना चाहिये।

हर वर्ष यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि हम रेलवे का अधिकाधिक मशीनीकरण कर रहे हैं परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ अन्यथा इस विभाग में कर्मचारियों की छटनी भी सम्भवतः होती। वह भी अभी तक नहीं की गई है।

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का हिसाब राजकोष पर पड़ी प्रति व्यक्ति लागत के हिसाब से भी लगाया जाता है। चालू खर्च में कर्मचारियों पर उसका 66 प्रतिशत खर्च दिखाया गया है जबकि इस वर्ष उस खर्च में 11.23 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि सम्भव है महंगाई भत्ता आदि में संशोधन आदि के कारण हुई हो परन्तु इस सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्रायः कर्मचारियों की संख्या से है न कि उनमें से प्रत्येक को दिये जाने वाले वेतन से।

देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 461 रुपये है जबकि रेलवे-विभाग के कर्मचारी की औसतन राष्ट्रीय आय 2732 रुपये प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी अनेक दुर्लभ सुविधायें प्राप्त हैं। इन सभी बातों पर विचार करके रेलवे मंत्री को कोई ठोस और दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिये। वह चाहें तो इस बारे में जांच करने हेतु एक आयोग भी नियुक्त कर सकते हैं।

अब मैं इस विभाग में कार्य कुशलता में सुधार करने के बारे में कुछ कहूंगा। इस संदर्भ में दोहरी लाइन बिछाना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले माल के परिवहन में बड़ी ही सुविधा मिलेगी। इस समय हमारी कुल पटरियों के केवल 17 प्रतिशत को ही दोहरा किया गया है जबकि फ्रांस और जर्मनी व जापान में यह प्रतिशतता 63 और 50 है। अतः इस कार्य को सर्वाधिक वरीयता दी जानी चाहिये। इस तरह वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं का अच्छा उपयोग हो सकेगा। इसमें विदेशी मुद्रा का खर्च भी नहीं आता। यह कार्य डीजल की गाड़ियां चलाने के कार्य से भी अधिक महत्व का है।

ऐसा प्रतीत होता है कि रेल-यात्रा की सभी सुविधायें भारी किराया-भाड़ा देने वाली सामान्य जनता के लिये नहीं प्रत्युत रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये हैं। इस बजट में यात्रियों के लिये सुविधाओं के लिये केवल 4 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये 8.14 करोड़ रुपये नियत किये हैं। सारे राष्ट्र की सुविधा की अपेक्षा केवल तेरह लाख रेलवे कर्मचारियों की सुविधा का अधिक ध्यान रखा गया है। मंत्री महोदय एक बार जरा रेल-यात्रा करके तो देखें कि रेलों में कितनी भारी भीड़ होती है तथा लोग कितने कष्ट से यात्रा करते हैं वहां कितनी गन्दगी, अस्वच्छता होती है तथा समय का यहां कितना पालन किया जाता है। मैं यह बात बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं। यदि मंत्री महोदय ऐसा करके लोगों की वास्तविक कठिनाइयों तथा कष्टों को अनुभव करें तो मुझे विश्वास है कि वह बहुत शीघ्र ही इन कष्टों को दूर भी कर सकेंगे। आज रेल से यात्रा करना केवल खतरनाक ही नहीं बड़ा कष्टप्रद भी हो गया है।

दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए, मैं गुजरात में अभी हाल ही में हुई दुर्घटना की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। वहां रेलवे विभाग ने सत्याग्रहियों के ऊपर से रेलगाड़ी गुजार दी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति वहीं मर गया कई अन्य बाद में मर गये। इस बारे में कोई जांच नहीं की गई।

रेलों के अन्दर चोरी होने की घटनायें भी बड़ी सामान्य बात हो गई है। ये चोरियां लाखों करोड़ों रुपये के मूल्य तक पहुंच गई हैं।

सफाई तथा भोजनालय सम्बन्धी प्रबन्ध तो बहुत ही गन्दे हैं। सरकार ने केवल कांग्रेसी आदमियों को लेकर ही एक समिति बनाई थी। क्या यही लोग इसका उचित प्रबन्ध करने की योग्यता रखते हैं? संसद् की ओर से जो चार या पांच सदस्य इस समिति में शामिल किये गये थे वे भी कांग्रेसी ही थे। क्या इसी आधार पर प्रधान मंत्री खड़ी होकर कहती हैं कि उन्हें विपक्ष का भी पूरा सहयोग चाहिये?

रेलवे बोर्ड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री और रेलवे बोर्ड के मध्य ऐसा सम्पर्क होना चाहिये जैसा कि अन्य विभागों में इस विभाग के मंत्री और सचिव के मध्य है।

इस तरह की प्रक्रिया हर विभाग में चलती है। राज्यों में भी चलती है। जहां मैं सचिव था। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सचिव सिविलियन हुआ करता था। यहां तक कि जब सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई, तब भी सचिव सामान्य प्रशासन के व्यक्ति थे, यह रेलवे बोर्ड के लिये कोई अपमान की बात नहीं है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के प्रति मेरा सम्मान है परन्तु मैं सामान्य प्रशासन की बात कर रहा हूं।

गुजरात के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि तारापुर से भावनगर तक रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव का क्या हुआ? यह चर्चा सन् 1947 से चलती आ रही है। इसके बारे में सर्वेक्षण

किया गया था और यह प्रस्ताव रखा गया था कि रेल का चलाना उचित रहेगा। परन्तु रेलवे का कहना है कि उसके पास धन नहीं है और जो कुछ धन है वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है। तारापुर से भावनगर तक रेल चलाने से रेलवे को आर्थिक रूप से बहुत लाभ होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे इसी प्रकार जासदन और राजकोट के मध्य रेल का चलाना आवश्यक है। हसन-मंगलौर रेलवे का निर्माण 28 करोड़ रुपयों की लागत से हो रहा है परन्तु मैसूर राज्य के मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि यह काम बहुत धीमे-धीमे हो रहा है और यदि ऐसा ही रहा तो इस कार्य के पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे। हमें आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि कार्य को निर्धारित समय में समाप्त किया जाये।

गुजरात की यह मांग है कि अहमदाबाद या बड़ौदा में पश्चिमी रेलवे का प्रधान कार्यालय स्थापित किया जाये। गुजरात उद्योग-धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक राज्य में रेलवे का एक प्रधान कार्यालय होना चाहिए। हमें आशा है कि रेलवे बोर्ड गुजरात की इस उचित मांग पर विचार करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री महोदय गुजरात की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करेंगे और पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय गुजरात में अहमदाबाद या बड़ौदा में स्थापित करेंगे।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भी रेलवे का विस्तार किया जाये। जिस प्रकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रेलवे का विस्तार किया जा रहा है उसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र जैसे त्रिपुरा, मनीपुर और नागालैंड में भी रेलों को प्रवेश करना चाहिये तभी वहां के लोग यह विचार कर सकेंगे कि देश के विकास में उनका भी योगदान है। इस सम्बन्ध में यदि हमें आरम्भ में हानि भी उठानी पड़े तो भी हमारा कर्तव्य यह हो जाता है कि हम जनता को परिवहन की सुविधाएं प्रदान करें। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन लाखों लोग रेलगाड़ियों में इधर-उधर आते-जाते हैं। यदि इनके द्वारा होने वाली आय बन्द हो जाये तो रेलवे को बहुत नुकसान होगा। अतएव यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये। रेलवे के कार्य-संचालन में सुधार लाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि रेलें ठीक समय पर चलें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डा० राम सुभग सिंह आज रेलवे मंत्री के पद पर आसीन हैं।

हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि रेलवे में जो गड़बड़ और घोटाला हो रहा है उससे देश को बहुत हानि होगी। यह ठीक है कि चार वर्ष के बाद रेलवे बजट में बचत दिखाई गई है और किराये तथा माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परन्तु क्या किराया तथा माल भाड़ा को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में ट्रांम्वे के किराये के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के नाम पर गरीबों पर अधिक भार डाला गया है जिससे कलकत्ता की जनता दुःखी है। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में किराये तथा माल-भाड़े को

युक्तिसंगत बनाने के लिये कहा है चाहे इसमें कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि कई मामलों में किराये तथा माल-भाड़े में अनियमितता है और इसको दूर करना आवश्यक है। यह इस प्रकार होना चाहिये जिससे जनता को परेशान न होना पड़े। अगर ऐसा न हुआ तो रेलवे मंत्री को जो सम्मान आज किराये आदि न बढ़ाने पर मिल रहा है, वह फिर कभी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि भूतपूर्व मंत्री श्री पुनाचा रेलवे के कार्य संचालन में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे थे और जनता की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने आय-व्ययक वर्ष की समाप्ति पर यह वचन दिया था कि वे कम से कम एक करोड़ रुपये की बचत का बजट प्रस्तुत करेंगे परन्तु वास्तव में 10 करोड़ रुपये का घाटे का बजट दिखाया गया था। अतएव मेरा यह विश्वास नहीं है कि डा० राम सुभग सिंह एक वर्ष पश्चात बचत का बजट प्रस्तुत करेंगे।

[**श्री रा० डो० भंडारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

पश्चिमी बंगाल में असंतोष, निराशा की भावना फैली हुई है। रेलवे ने देश के राजनैतिक समस्याओं के सन्दर्भ में बहुत कुछ करना है। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्री महोदय वहां की स्थिति से परिचित हो गए हैं। उन्होंने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा है कि कलकत्ता में वृत्ता-कार रेल चलाने के लिये सर्वेक्षण किया जायेगा। यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि कलकत्ता और बम्बई की समस्याओं को प्राथमिकता दी जायेगी और योजना आयोग से परामर्श करके कलकत्ता में सर्वेक्षण कराया जायेगा। इस बात से मुझे प्रसन्नता है। यह अच्छी बात है कि रेलवे मंत्री ने स्थिति को पहचान लिया है और सर्वेक्षण कराने का आश्वासन दिया है। इसके लिये उन्होंने धन का नियतन भी किया है यद्यपि यह हमारी आवश्यकताओं की तुलना में कम है। राजकोषीय नीतियों तथा वित्तीय नियतन के मामले में पश्चिम बंगाल के साथ केन्द्र ने अन्याय किया है। यह प्रशंसनीय है कि डा० राम सुभग सिंह ने पश्चिम बंगाल को वृत्ताकार रेलवे का वचन देकर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है।

मैं एक बार रेलवे बोर्ड को तुरन्त समाप्त कर देने की मांग पर पुनः बल देता हूं। मेरे पास रेलवे बोर्ड के पत्रों के कई बण्डल हैं और उनमें से किसी में भी कोई उपयोगी बात नहीं है। मैंने कुछ त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया किन्तु उन नियमों और विनियमों के कारण, जो अब पुराने पड़ गए हैं तथा जो समाज विरोधी हैं, कोई सफलता नहीं मिली। इन नियमों में अन्तर्निहित कठिनाइयों को स्वयं रेलवे ने भी स्वीकार किया है।

रेलवे बोर्ड अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सर्वथा असमर्थ रहा है। 20 फरवरी को 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में रेलवे बोर्ड के सभापति श्री खण्डेलवाल ने कुछ अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करने के बारे में कहा है। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें जनता की सेवा करनी है या कुछ एक व्यक्तियों के निहित स्वार्थों की ही रक्षा करनी है। मेरा विचार है कि रेलवे केवल लाभ ही को ध्यान में न रखे अपितु जनता की सेवा को भी ध्यान में रखे। हावड़ा-

आम्ला और हावड़ा-शेखला गैर-सरकारी रेलवे लाइनों के कारण हमारी रेलवे व्यवस्था सफल नहीं रही है। अतः इन लाइनों को बहुत पहले ही अधिकार में ले लेना चाहिये था। किन्तु हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सके।

रेलवे बोर्ड की स्थापना एक विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी। किन्तु आज उसका कार्य बदल गया है। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि अब वह निहित-स्वार्थियों का जत्था बन गया है। अतः अब हमें उसे और शक्ति सम्पन्न नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस बोर्ड में नियमों और विनियमों की आड़ में कितना पक्षपात और कितना भाई भतीजा-वाद चल रहा है। इन नियमों का वे अपनी इच्छा से अर्थ निकालते हैं तथा अपनी इच्छा से ही इनको कार्यान्वित करते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सबसे पहले इस बोर्ड को समाप्त कर दें। इस बोर्ड के अधिकारी वर्ग का व्यवहार संसद् सदस्यों के साथ भी बड़ा अशिष्ट और हीनता द्योतक है। यदि उन्हें कोई पत्र लिखा जाये, तो उनका पहला उत्तर यही होगा कि मामला विचाराधीन है। यदि रेलवे मंत्रालय या रेलवे बोर्ड ने कुछ सुधार किया है तो वह है राजधानी एक्सप्रैस का चलाना। पश्चिमी बंगाल के न्यायोचित दावे पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि कई बार वपडल-कटवा लाइन पर विद्युतीकरण करने का वायदा किया गया है किन्तु आज तक नहीं हुआ। सरकारी क्षेत्र में रेलवे ही सबसे पुराना उपक्रम है और यदि वही सफलतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाएंगी तो हम और हमारा देश ही असफल हो जाएगा। यदि मंत्री महोदय अपने दायित्व को सावधानी से नहीं निभाते तो किसी भी प्रांत में स्थिति बिगड़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सदस्य तीसरे दर्जे में सफर करें तो, वे भी हृदय से स्वीकार करेंगे कि रेलों का कार्य असंतोषजनक है।

मेरा विचार है कि हमारा देश कठिनाइयों से गुजर रहा है। तथा इस समय देश को राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता है।

Shri Suraj Bhan (Ambala): I congratulate Dr. Ram Subhag Singh for his presenting surplus Budget for this year. I also congratulate Shri Punacha, who helped to prepare this Budget.

Some Hon. Members have applauded the Hon. Minister when he said that no increase in the fares and freights of the Railways was proposed for this year. In our Railway Budget the income of Railways is estimated to be of the order of Rs. 946 crores but I think the estimated income would go up to Rs. 1 thousand crores. Therefore, I request the Hon. Minister to announce some decrease in the third class fares and that in the transportation charges of the raw material and the essential commodities so that the public may get some consolation.

The Minister has stated at a place that there had also been some diversion of short distance traffic from rail to road due to their having increased the minimum railway fare from 15 to 20 Paise. Frankly speaking, he stated, he was not unhappy over these developments.

He means to say that he is not unhappy over the decrease in short distance rail passengers. Passengers running in third class railway compartments have not been given any travelling facilities. They are not happy, moreover they prefer to travel by bus, because the life and property of third class railway passenger is not safe.

First of all, all fares should be reduced. Provision should be made for light, fans and proper seating arrangement. Whenever attention of Government is drawn to the heavy rush of railway passengers, we are told that new trains can not be introduced and compartments can not be increased. There should be more facilities for third class rail passengers.

In the course of his speech he said that there was shortfall in accidents this year as compared to that of last years. In my opinion this is only to console his own consciousness. There were five thousand and five hundred accidents last year. Are they not enough and is it not a sorry state of affairs. It is true that in order to eliminate Railway accidents Mr. Punacha took some steps after having discussions with Members of Parliament, Representatives of Railway Employees' Federation and other running staff of Railways. I shall request Dr. Ram Subhag Singh also to take steps similar to those steps as were taken by Shri Punacha so that railway employees may discharge their duties wholeheartedly. It has been reported that rail drivers have to work for eighteen hours a day and how can it be expected from a driver that he would discharge his duties efficiently when he is required to work for eighteen hours a day? Therefore, their working and service canditions should be improved so that they may enhance their efficiency and they are not worried about their domestic affairs etc.

Mr. Speaker, I appreciate the Railway Department for its efficiency in carrying wheat from Punjab and Haryana to other States. But I had an opportunity to read a statement of Rajasthan State Chief Minister, where he complained about the non-cooperation of Railways in arranging for wagons to carry fodder for their cattle. They could not send their hungry cattles out of the State. He also complained that instead of the minimum requirement of 50 wagons they could get only five wagons. Mr. Speaker, railways can prove more helpful for famine and drought effected areas of the country after independence and I appeal to you that Railways must rise to the occasion to help fight such natural calamities by arranging more wagons in any part of the country.

Railway Goods traffic earn more income. No doubt they have introduced some new arrangements like container service. collection and delivery service, etc., but they require more attention for development. First of all trader should be satisfied with the railway's goods service. If he is assured that his goods will be safely delivered to him in time, some corrupt Rail Employees will not harass him unnecessarily, he will not feel disturbed and income of Railway Goods traffic will increase, which is now decreasing than that of passenger traffic. Trader is reverting to Road traffic, because he has to face trouble with railway, his goods are stolen, it is not delivered to him in time. The income of Railways can increase manyfold in case these difficulties are eliminated.

Mr. Speaker, the Hon. Minister has pointed out that nine lakh travellers travel without ticket every month. Once when I was not a member of this Parliament, I was travelling in a third class compartment. One ticket checker entered that compartment and asked a man, sitting beside me, for ticket. That man told the ticket checker that his ticket was with the other ticket checker. The ticket checker did not give him ticket, instead he said that he had some travellers' tickets too. As you have said that nine lakh persons travel without ticket, in my opinion the figures are much more than that. When we ask you to give more facilities to Railway Employees at the same time we also persuade them not to indulge in such sort of malpractice which is treachery towards the country. I request you also to take firm steps on these

issues and rigorous punishment should be given to those corrupt employees. I insist you to take some steps to check ticketless travelling.

The other cause in the decrease of Rail travellers is that they are not sure of reaching their destination in time. It is a fact that Rails never reach in time and even they get late from the starting point. This should be checked.

I want to know the action taken in connection with the theft in Railway Workshop at Amritsar last year. One case has been quoted by Estimates Committee that Sheoraphull-Tarakeshwar Line on Howrah-Burdwan Line was to be electrified. In the first instance fittings were carried out for supply of D. C. Supply and afterwards this was converted into A. C. Supply. In this process there was a loss of Rs. 7.5 crores to the Government and who should be held responsible for this loss, fraud and misappropriation, when public is held responsible for ticketless travelling. I request you to stop all this.

I have read in News Papers that tickets are being sold in black in Bombay. This should be stopped immediately so that the evil of black marketing of Railway Tickets may not spread in other parts of the country. People of Haryana and Punjab States want that Jagadhari—Chandigarh and Chandigarh—Ludhiana should be linked with a Railway Line. I request that this should be looked into.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Panipat should be linked with Rohtak.

Shri Suraj Bhan : I am also in favour of linking Panipat with Rohtak. The Railway Line from Delhi to Ambala **via** Karnal should be made double because it is an important Railway line from strategic point of view. Railway Line between Gauhana and Panipat should be restored. The Enquiry Committee on Mohri Rail accident also pointed out this thing. Moreover, it was decided that Delhi Division would be bifurcated and a new division i. e. Ambala Division would be created, but because of the reluctance of the officers of Delhi Division to go out of Delhi this could not be implemented. A separate Division in Ambala should be formed early. Regarding Rajdhani Express, only two categories of travellers have been made. First Class Passenger fare has been fixed @ Rs. 280/- each traveller and Third Class Passenger fare @ Rs. 90/- each traveller. The presumption of Railway Ministry, that only the traders and rich people would travel in it, is wrong. They will prefer to travel by air for Rs. 304/- and would reach Calcutta within two or three hours from Delhi instead of wasting 17 hours in rail. If Government wants to give facilites to people, it should be given to those living in Kanpur because they shall have to purchase ticket for Calcutta when this train stops at Kanpur.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह कानपुर में दस मिनट तक रुकती है परन्तु विचित्र बात यह है कि न तो इससे कोई यात्री उतर सकता है और न कोई इसमें चढ़ सकता है। इसको वायसराय की विशेष गाड़ी कहना चाहिये। इस पर विचार होना चाहिये।

Shri Suraj Bhan : The Hon. Minister in his speech has not said any thing regarding general welfare, and improvement in the service conditions of Railway Employees. A separate Wage Board for Rail Employees should be formed. I am in favour of the demands of my colleague to abolish the Railway Board and a separate autonomous Railway Corporation should be formed and there should be representation of passengers, Railway Employees, Members of Parliament and Business Communities, so that the Railways could run smoothly.

Mr. Speaker, on 8th January, just before Mid-term Elections Government announced that the court cases and suspension orders against those Central Government employees who participated in the strike on 19th September 1968 would be withdrawn, all the effected employees would be reinstated, was a mere Election propaganda ; because uptill now Government have not fulfilled its commitment. I request that victims of the Employees, who participated in the strike on 19th September, '68 should be stopped and they should be taken back on their duties in order to bring normalcy in Railway work. The derecognised Railway Employees Unions should again be recognised.

40 Lakh people working in various institutions in the country have got a right of Bonus. I request Rail Minister that the Railway workers should also be given the right of Bonus. In this connection it is called as profit sharing but on the basis of actual wages, it is below living wages even and as such it is supplementary or deffered wages instead of profit sharing. In these circumstances they should be given a right of Bonus. Some time back we alongwith the speaker had a meeting with Mr. Punacha and informed him about the harassment being given to the Scheduled Caste Railway Employees. One Railway Scheduled Caste Officer has been serving in the rank of first class officer for the last twenty-one years, and inspite of the fact that there is no adverse entry against him he has been superseded by fifty junior persons. Their promotions have been withheld because there is some dispute over their qualifications. The institutions from where they qualified, have stated that they were fully qualified but Railway Board has not accepted this as full qualification and on this basis their promotion has been withheld. So Scheduled Caste Railway Employees should not be subjected to such sort of harassment.

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : सभापति महोदय, हमें बहुत प्रसन्नता है कि डा० राम सुभग सिंह पुनः रेल मंत्री के पद पर आ गए हैं और हमें पूरी आशा है उनके निर्देशन में रेलवे प्रशासन और रेलवे बोर्ड में सुधार होगा। क्योंकि रेलों से लाखों आदमियों का सीधा सम्बन्ध है। मुझे आशा है कि दूसरे आदरणीय सदस्यों के सुझावों पर पालन करने का प्रयास करेंगे। रेल बजट को देखने से पहले अपने क्षेत्र बदरपुर में एक सब्जी बेचने वाले और रेलवे सुरक्षा दल के एक सदस्य के बीच हुए झगड़े के फलस्वरूप मैं इस दुर्घटना की ओर ध्यान दिलाता हूं। दूसरे लोगों ने सब्जी वालों का पक्ष लिया था, परन्तु इन मदान्ध लोगों ने गोली चलाई और दो नवयुवकों की मृत्यु हो गई। मैं और वहां का प्रत्येक युवक इस दुर्घटना से बहुत दुःखी है। अतः इसकी पूर्ण जांच करवाई जाये और उन पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाए।

मैं रेलवे आय-व्ययक का स्वागत करता हूं क्योंकि दूसरे वर्षों की तरह इस वर्ष रेल भाड़ों में वृद्धि नहीं हुई है।

हमें मंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने किसी उपकर का प्रस्ताव नहीं किया है। परन्तु हमें यह भी याद होगा कि गत 20-22 वर्षों में केवल एक-दो बार नहीं बल्कि कम से कम 10 बार रेल के किरायों में वृद्धि की गई है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इसमें और आगे वृद्धि करने का बिल्कुल औचित्य नहीं है।

रेलवे बजट का दूसरा अच्छा पहलू यह है कि इसमें 2 करोड़ रुपये की थोड़ी सी धन-राशि का लाभ दिखाया गया। पिछले वर्ष भी एक करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया था परन्तु

बाद में वह लाभ 10 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया यह बात पुनः नहीं होनी चाहिये। मंत्री महोदय अपने प्रशासन को दृढ़ रखें। जो थोड़ा सा लाभ दिखाया गया है वह बना रहना चाहिए। चौथी योजना की अवधि के लिये मंत्री महोदय ने हमें कुछ आशा की झलक दिखाई थी और कहा था कि औद्योगिक उत्पादन का पुनरोत्थान तथा देश में कृषि सम्बन्धी क्रान्ति होने से पहले के भाड़ा-यातायात में कम से कम 40 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। अच्छी आशा रखना तो बुरा नहीं परन्तु सम्भावना से अधिक अनुमान लगाकर पूंजी लगाना भी उचित नहीं होता।

अतः मेरा सुझाव है कि रेलवे विभाग अपनी प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करके स्थिति पर वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करें और अपने इन सीमित साधनों को विकास कार्यों में लगायें, पिछले कुछ वर्षों से रेलवे की आय बढ़ी है परन्तु खर्च भी अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। केवल कर्मचारियों पर ही इस आय का $\frac{2}{3}$ भाग व्यय किया जाता है जबकि यात्रियों आदि को सुविधायें देने के लिये व्यय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आज भी रेलों में बहुत भीड़ होती है, उनके निश्चित समय में बड़ा विलम्ब होता है, जलपान तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी बड़े घटिया स्तर की है। दुर्भाग्य से ये बुराइयां प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिनसे जनता को बड़ी असुविधा और कष्ट होता है। अच्छे प्रबन्ध तथा देखभाल से ही स्थिति सुधर सकती है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। पहले लोग रेलगाड़ी देखकर अपनी घड़ी मिलाया करते थे परन्तु आज स्थिति तो उसके ठीक विपरीत है। मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करें तथा स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करें।

मेरे चुनाव क्षेत्र में बदरपुर और लुमडिंग रेलवे लाइन पर लगभग 37 टनल हैं। हमारी मांग है कि उस लाइन पर चलने वाली यात्री गाड़ी में डीजल के इंजन लगाये जायें क्योंकि कोयले वाले इंजन से धुआं निकलने पर सुरंगों से गुजरते समय लोगों के दम घुट जाते हैं। परन्तु सरकार कभी तो कहती है कि उसके पास डीजल के इंजन नहीं हैं और कभी कहती है कि वह रास्ता डीजल इंजन योग्य नहीं है। हमारी मांग है कि उस मार्ग पर यानी गाड़ियों में डीजल इंजन की व्यवस्था अवश्य की जाये। हमारी यह भी मांग है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित तथा एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा प्रयुक्त की जा रही है लालाघाट शाखा लाइन को सरकार अपने अधिकार में ले ले क्योंकि इस लाइन पर बने स्टेशनों में से किसी पर भी छत नहीं है। न वहां पानी की सुविधा है न प्रकाश की। बस वही पुराना इंजन उसी पुरानी रेलगाड़ी को खींचा करता है। सरकार का कहना है कि वह लाइन लाभप्रद नहीं। भला इन सुविधाओं के बिना वह लाइन कैसे लाभप्रद हो सकती है।

रेलवे सुविधा की दृष्टि से उत्तर सीमान्त रेलवे खंड जो पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों से जाती है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका विस्तार किया जाना चाहिये ताकि लोगों में एकता की भावना उत्पन्न हो। इस सम्बन्ध में मणिपुर सीमा तक लाइन बिछाने के बारे में एक सर्वे किया गया था परन्तु इसके बाद आगे और कोई कार्यवाही नहीं की गई। दूसरी ओर धर्मनगर तक जाने वाली रेलवे लाइन त्रिपुरा में आगे अगरतला तक बढ़ाई जानी चाहिये। मंत्री महोदय को इन सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

उत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत कुछ जिलों को प्रभागों में परिवर्तित कर दिया गया है, परन्तु असम में वस्तुतः केवल एक प्रभाग ही बना है। उत्तर सीमा रेलवे की दो तिहाई रेलें असम से गुजरती हैं अतः वहां और अधिक प्रभाग गठित किये जाने चाहिये।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली और कलकत्ता के मध्य राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चालू की है। हमें आशा है कि ऐसी ही अच्छी गाड़ियां अन्य दूर वर्ती क्षेत्रों में भी चलाई जायेंगी। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की डाक-गाड़ियां भी 20 किलोमीटर प्रतिघन्टा की गति से तेज नहीं चलतीं। उनकी गति बढ़ाने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : बजट में प्रायः जो घाटा दिखाया जाता है, वास्तव में वह कृत्रिम घाटा होता है तथा किसी उद्देश्य के लिये दिखाया जाता है। मंत्री महोदय ने अपने लम्बे भाषण में "घाटा" शब्द प्रयोग न करके "कमी" अथवा "अन्तर" बताया है। इन परिवर्तनों का मैं स्वागत करता हूं यदि वह इस परिवर्त्तन के साथ ही रेलवे की अर्थ-व्यवस्था, कार्य-प्रणाली तथा हिसाब-किताब में भी परिवर्त्तन लायें।

यह कहना गलत है कि रेलवे की आमदनी बढ़ती नहीं है। मार्च, 1968 में रेलवे को 818 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि मार्च, 1969 के संशोधित अनुमान में यह राशि 902 करोड़ दिखाई गई है। इस प्रकार एक वर्ष में 84 करोड़ रु० की वृद्धि स्पष्ट है। अगले वर्ष अर्थात् मार्च, 1970 तक के लिये यह राशि 947 करोड़ रुपये दिखाई गई है जो कि चालू वर्ष से 45 करोड़ रुपये अधिक है। अब तक रेलवे पर हम 2900 करोड़ रुपये की पूंजी लगा चुके हैं तथा प्रायः 1000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय के स्तर तक पहुंचे हैं। यह सब कुछ बार-बार किराये बढ़ाकर सरकार ने कमाया है। इसी कारण तो हम कहते हैं कि किरायों और भाड़ों में और आगे वृद्धि करना उचित नहीं होगा। यह भी तो एक प्रकार का कर ही हो जाता है। अब की बार तो सरकार ने शायद इसलिये किराये-भाड़े नहीं बढ़ाये परन्तु पिछली बार जब रेलवे बजट में 31 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था तब सरकार ने किराया-भाड़ा बढ़ा दिया था।

यद्यपि अब की बार किराया-भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है परन्तु उनके भाषण के पृष्ठ 11 के पैरा 17 में एक खतरे की झलक मिलती है। उसमें लिखा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा लागत के बारे में किये गये अध्ययन के आधार पर किराये-भाड़ों का औचित्यकरण किया जायेगा और इस प्रकार रेलवे के आय स्रोत बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लागत का अध्ययन करने के बाद सरकार निकास कार्यों तथा सामान्य अर्थ-व्यवस्था हेतु अवश्य ही किरायों और भाड़ों की दरों में वृद्धि करेगी। इसके अतिरिक्त सामान्य-कोष से लिये ऋण तथा उस पर चढ़े ब्याज को लौटाने के लिये भी सरकार को धन-स्रोत ढूंढ़ने हैं। अतः मैं समझता हूं कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये किराये-भाड़ों में अवश्य ही वृद्धि की जायेगी। यदि मंत्री महोदय मुझसे सहमत हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह यह प्रणाली छोड़ दें तथा दरों में वृद्धि करने की बजाये कमी के कारणों को जानने और उन्हें दूर करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करें।

मूल्यह्रास व्यवस्था का मैं विरोधी नहीं हूं परन्तु यह व्यवस्था किसी उचित ढंग से की जानी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

ब्याज की दर जहां वर्ष 1924 में एक प्रतिशत थी अब वह 6 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। प्रथम अभिसमय समिति ने मूल्य-ह्रास हेतु 15 करोड़ रुपये की धनराशि की सिफारिश की थी परन्तु वस्तुतः 30 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया। धीरे-धीरे यह मूल्य-ह्रास की राशि बढ़कर आज 130 करोड़ रुपये हो गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वास्तव में वह 100 करोड़ रुपये की राशि का विनियोजन करना चाहते थे परन्तु धन की कमी के कारण वह केवल 95 करोड़ का ही विनियोजन कर रहे हैं। यह गलत तरीका है। उन्होंने सम्पत्ति के वास्तविक ह्रास-मूल्य का हिसाब नहीं लगाया है। इस धनराशि का नियतन अथवा विनियोजन किसी निर्धारित फार्मूले के हिसाब से मालूम कर ही किया जाना चाहिये।

पिछली रेलवे अभिसमय समिति ने लाभांश की दर 5.5 प्रतिशत स्वीकार की थी। इसमें अभिसमय समिति का दोष नहीं है। इस समिति में वित्त आयुक्त अपनी रिपोर्ट पेश करता है तथा वित्त मंत्रालय यह कहकर कि धन है, वह 5.5 प्रतिशत लाभांश ले जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रेलवे में सारी पूंजी केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई है। इसे ऋण के रूप में माना जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने कैनेडा से ·75 प्रतिशत की दर पर ऋण लेकर रेलवे को 5.5 प्रतिशत की दर पर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि केवल रेलवे के बारे में ही ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया है। और भी तो अनेक सरकारी उद्योग हैं। उनको सरकार एक विशिष्ट दर पर ऋण देती है। रेलवे के साथ ही ऐसा भेद-भाव क्यों हैं? इसका कारण यह है कि सरकार मूल्य-ह्रास लाभांश आदि के रूप में रेलवे का सारा धन ले लेना चाहती है ताकि फिर रेलवे में घाटा दिखाकर लोगों से अधिक किराया-भाड़ा मांग सके। मेरी दृष्टि से यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है। मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करें।

रेलवे बोर्ड में महाप्रबन्धक हैं परन्तु सभी के सभी विशेषज्ञ तथा तकनीकी व्यक्ति हैं। वास्तव में इनको मिलाकर निदेशकों का मण्डल नहीं बनता। अतः रेलवे बोर्ड नये औद्योगिक उपक्रम के रूप में रेलवे की अर्थ-व्यवस्था तथा कार्य-कलापों की दृष्टि से एक कार्यकारी निकाय की तरह कार्य नहीं कर रहा है। वह तो सामान्य कोष से बस मूल्य-ह्रास दे देता है तथा यदि घाटा पड़ता है तो लोगों से और अधिक किराये और भाड़े मांग लेता है। उनके ऊपर रेलवे के कार्य में सुधार अथवा उसकी सारी सम्पत्ति का पूरा उपयोग करने का उत्तरदायित्व नहीं है। अच्छे कार्य करने के बारे में रेलवे बोर्ड को न तो कोई प्रोत्साहन प्राप्त है और न ही उस पर कोई दबाव है। अतः रेलवे बोर्ड की वर्तमान कार्य-प्रणाली द्वारा आप रेलवे पद्धति को विकसित नहीं कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं, आप उनसे तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन

प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इस बोर्ड से नीति सम्बन्धी कार्य नहीं लिया जाना चाहिये और न ही उसे प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये। इस धारणा के लिये एक कारण यह भी है कि पिछली योजना में कार्य-प्रणाली उचित रूप में विकसित नहीं हो। रेलवे विभाग ने अतिरिक्त क्षमता तो स्थापित कर ली परन्तु उसका पूरा उपयोग न हो सका जिसके कारण रेलवे को हानि हो रही है। मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इसे स्वीकार किया है। परन्तु मुसीबत आ जाने के बाद चिल्लाने से क्या लाभ ? आप कहते हैं कि मन्दी समाप्त हो गई है तथा फसल भी अच्छी हुई है। आपकी योजना है कि रेलवे कार्यक्रम भी हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था के साथ समन्वय रख-कर चलें। परन्तु रेलवे बोर्ड आगामी 5 वर्ष के लिये अपने कार्यक्रम तैयार न कर सकेगा। उसके लिये यह कार्य करना सम्भव नहीं है। रेलवे एक बड़ा भारी उपक्रम है तथा सारे देश में फैला है। इस उपक्रम का प्रबन्ध रेलवे बोर्ड में बैठे लोग नहीं कर सकते।

रेलवे में श्रमिक सम्बन्धों के बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ जानता हूं। यहां रेलवे बोर्ड महा-प्रबन्धकों को सूचना-पत्र प्रेषित करता है कि वे अमुक कार्य अमुक ढंग से करें। इस प्रकार महा-प्रबन्धकों के हाथ बन्धे हुये होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे बोर्ड और महाप्रबन्धकों के मध्य उद्देश्य-भेद होता है। ये दोनों पक्ष ही नौकरशाह हैं और मैं नौकरशाही के विरुद्ध हूं। इसके समाप्त हुये बिना देश समृद्धि नहीं पा सकता। परन्तु यह नौकरशाही एक दिन में तो समाप्त नहीं हो सकती। अतः आप इस ढंग से कार्य करें कि यह नौकरशाही विकास में बाधा न बन सके। मंत्री महोदय चाहे जिस भी क्षेत्र के योग्य लोगों को लेकर एक समिति बनाकर इस पर विचार करें। उसकी सहायता से आप नीतियां बना सकते हैं तथा अन्य आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार आप गम्भीर समस्याओं को हल कर सकेंगे।

जहां तक लाभांश और मूल्य-ह्रास का सम्बन्ध है, इस बारे में नई रेलवे अभिसमय समिति की बैठक होने वाली है। मैं भी इसका सदस्य हूं। परन्तु यह समिति केवल तदर्थ निर्णय ही ले सकती है। समिति रेलवे के कार्य पर विचार नहीं करती बल्कि इसके सामने एक रिपोर्ट पेश की जाती है। वहां हम वित्त मंत्रालय की मांग के बारे में कोई निर्णय दे देते हैं। परन्तु आपको तो अपने घाटे अथवा लाभ का लेखा-जोखा तैयार करना चाहिये।

मुझसे अतिरिक्त क्षमता के बारे में पूछा गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रमिक वर्ग क्या सहयोग दे सकता है। आपने मंत्री महोदय का भाषण पढ़ा होगा। वह रेलवे कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि रेलवे कर्मचारी उनके इस निर्णय का समर्थन करें।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वर्ष 1967-68 में कर्मचारियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई और चालू वर्ष में यातायात में अपेक्षित 80 लाख टन से अनुमानतः कम वृद्धि होगी। वह बड़े गर्व से कहते हैं कि एक कर्मचारी भी अधिक भर्ती किये बिना ही उन्होंने 84 करोड़ अधिक की आय की है। मैं उनसे यथाशक्ति अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों में अधिक उत्पादन की भावना को बढ़ावें। उनका कहना है कि और अधिक कर्मचारी भर्ती किये बिना ही

रेलवे इस वर्ष 90 लाख टन अधिक का यातायात सम्भालेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि रेलवे कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा वर्तमान कर्मचारियों को उन्हीं सेवा शर्तों पर अधिक कार्य करना पड़ेगा। जब रेलवे कर्मचारियों को यह मालूम होगा तो क्या वह आपको सहयोग देंगे ?

रेलवे में प्रायः 3 लाख अनियमित श्रमिक हैं, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। एक अनियमित श्रमिक को प्रतिदिन 2.25 रुपये मिलते हैं तथा वह भी मास में केवल 26 दिन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यह धनराशि प्राप्त करने के लिये भी उन्हें प्रशासन के आदमियों को 10 से 15 रुपये तक घूस देनी पड़ती है।

यह कहना गलत है कि रेलवे कर्मचारियों को सर्वाधक वेतन मिलता है। उन्हें भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कितनी तनखा मिलती है। यह बात मैं श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के बारे में कह रहा हूं। श्रेणी I अथवा श्रेणी II के कर्मचारियों के लिए नहीं। कभी समय था कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन मिलना था परन्तु संसार परिवर्तनशील है। अब वह बात नहीं है।

अतः जब तक रेलवे मजदूरों की सेवा-शर्तों में सुधार नहीं होगा उनसे अपेक्षित सहयोग मिलना सम्भव न होगा। आप श्री वांचू समिति का प्रथम भाग पढ़िये। उसमें श्री वांचू ने कहा है कि फायरमैन, चालक तथा अन्य रेल पर चलने वाले कर्मचारियों ने एक-एक दिन में 14-14 घण्टे लगातार कार्य किया है। यह अवधि घटाकर 12 घण्टे की जानी चाहिये। रेलवे में स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा और अन्य पदों के लिये कर्मचारियों की कमी है। अतः जब तक रेलवे में और आदमियों की भर्ती नहीं की जाती, उनका बोझ हल्का नहीं हो सकता। यही बात वांचू समिति ने कही है।

अन्त में, मैं 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वालों के प्रति मंत्री महोदय के व्यवहार के बारे में भी अवश्य कहूंगा। मंत्री महोदय डाक व तार विभाग से अब रेलवे में आये हैं और डाक व तार विभाग तथा रेलवे विभाग—दोनों ने लगभग 10,000 आदमी नौकरी से निकाल दिये हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उन कर्मचारियों को वापस काम पर ले लें तथा इस विभाग में एक नया अध्याय खोलकर आगे बढ़ें। वह कर्मचारियों का शोषण न करें।

मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने के बारे में किसी स्वीकृत फार्मूले के अनुसार कार्य-वाही की जानी चाहिये तथा अमान्य घोषित संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। श्रमिकों के साथ सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय सारी स्थिति पर नये सिरे से विचार करें तथा प्रबन्धकों और कर्मचारियों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित करें। हमें आशा है कि मंत्री के बदलने से इस विभाग की दशा में भी परिवर्तन होगा तथा एक अच्छा भविष्य सामने आयेगा।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर) : मैं नये रेलवे मंत्री महोदय को बचत का बजट पेश करने पर बधाई देता हूं। उन्होंने ऐसे समय जबकि प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि के कारण रेल यातायात में विघ्न पड़ने के अतिरिक्त महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है तथा महंगाई भत्ते के एक भाग का मूल वेतन में मिलाया गया है, जिससे खर्च में वृद्धि हुई है, बचत का बजट पेश करके बहुत सराहनीय काम किया है।

रेलवे दुर्घटना समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि गत कुछ वर्षों में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी आई है। यह एक बहुत अच्छी बात है। मुझे आशा है कि डा० राम सुभग सिंह के रेलवे मंत्री बनने से रेल यात्रा और भी सुरक्षित एवं आरामदेह हो जायेगी।

यदि कुछ उपाय किये जायें, तो रेलवे बजट की फालतू राशि में और भी बहुत अधिक वृद्धि की जा सकती है। प्रायः हर रेलवे जंक्शन पर रेलवे माल की चोरी होती है। यदि इसे रोका जाये, तो रेलवे बजट में अनुमानतः 20 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। हमें पता है कि रेलवे के अधिकांश कर्मचारी ईमानदार तथा कार्यकुशल व्यक्ति हैं, परन्तु कुछ थोड़े से कर्मचारी ऐसे हैं जो चोरी तथा बिना टिकट यात्रा इत्यादि में सहायता करते हैं। यदि उनमें यह भावना पैदा की जाये कि रेलवे सम्पत्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा यह उनकी अपनी सम्पत्ति है तो मुझे विश्वास है कि रेलवे आय में बहुत वृद्धि हो जायेगी।

विगत काल में जबकि रेलगाड़ियां गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती थीं रेल-गाड़ियों की गति उनकी वर्तमान गति से कहीं अधिक थी। उस समय एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 50 मिनट में अरकोनाम से मद्रास पहुंच जाती थी, परन्तु अब एक एक्सप्रेस गाड़ी को यह फासला तय करने में एक घण्टा 10 मिनट का समय लगता है। इससे यह पता चलता है कि इस समय एक रेलगाड़ी को पहले की अपेक्षा 20 मिनट का समय अधिक लगता है। गंटाकुल से गन्नतूर जाने वाली सामान्य रेलगाड़ियों के बारे में भी देखा गया है कि अब वे इस रास्ते को 14 घण्टे में तय करती हैं, जबकि पहले वे इस रास्ते को $11\frac{1}{2}$ घण्टे में तय कर लेती थीं। यह एक अजीब बात थी। सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने के बाद रेलों की गति बढ़ने की बजाय घटी है। हमें बताया गया है कि जापान में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की गति सामान्यतया 100 से 120 मील प्रति घण्टा होती है, परन्तु हमारे देश में राजधानी एक्सप्रेस की गति भी औसतन 50 से 60 मील प्रति घण्टा होगी। अतः अब समय आ गया है जबकि मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि की जानी चाहिये।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तीव्र गति वाली रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थानों पर देर से पहुंचती हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण एक्सप्रेस को लीजिये। मैंने इस गाड़ी से एक दर्जन से अधिक बार यात्रा की है, परन्तु यह कभी भी दिल्ली ठीक समय पर नहीं पहुंची।

यह गाड़ी मथुरा तक ठीक समय पर पहुंचती है और फिर उसके बाद हर स्टेशन पर

रुकने लग जाती है और दिल्ली 2 अथवा 3 घण्टे विलम्ब से पहुंचती है। मैं इसका कारण नहीं समझ सका। मैंने मंत्री महोदय से भी इस बात की शिकायत की थी, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

भारत के रेलवे मानचित्र को देखने से पता चलता है कि विशाखापत्तनम से शोलापुर तक और हैदराबाद से ओंगोल तक केवल एक रेलवे लाइन है और वह भी मीटर गैज/नागार्जुन सागर परियोजना द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। लगभग 40 से 50 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर खेती आरम्भ की जायेगी। अब भी वहां 50 हजार एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। श्रीसेलाम परियोजना के पूरे हो जाने पर वहां अनेक बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किये जायेंगे। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां हैदराबाद को ओंगोल से मिलाने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ नई लाइनें बिछाने की सिफारिश की है। उन सिफारिशों की जांच की जानी चाहिये और उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये। हैदराबाद और सिकन्दराबाद से नागार्जुन सागर और ओंगोल को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन शीघ्रातिशीघ्र बिछाई जानी चाहिये। इस लाइन का बहुत लाभ होगा क्योंकि इससे हैदराबाद तथा मद्रास और मद्रास तथा दिल्ली का अन्तर कम हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस लाइन को शीघ्रातिशीघ्र बिछाया जाना चाहिये।

बरेली और रामदुर्ग के बीच लगभग 30 अथवा 40 वर्ष पुरानी एक रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन पर गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं। इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे को कई अभ्यावेदन दिये गये हैं, परन्तु उनसे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है। इस रेलवे लाइन को चितरालदुर्ग तक बढ़ाया जाना चाहिये।

रायवसीमा विकास बोर्ड पिछले दस वर्षों से एक नई रेलवे लाइन की मांग करता रहा है। दक्षिण रेलवे को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि बंगलौर, रायाचौटी, कुड्डापाह, नीलौर और ओंगोल को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन बिछाना बहुत जरूरी है। कुड्डापाह-करनूल नहर के आने से यह क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है, परन्तु रेल लाइन न होने के कारण यहां यातायात सुविधायें नहीं हैं। इसलिये इस रेलवे लाइन को जरूर बिछाया जाना चाहिये।

दक्षिण-मध्य रेलवे को दो जोनों में बांटा गया है। गुटांकल डिवीजन मध्य रेलवे के अन्तर्गत है, परन्तु इसे दक्षिण रेलवे को दे दिया गया है, जबकि गुंटाकल डिवीजन के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर दक्षिण-मध्य रेलवे है। इस डिवीजन को दक्षिण-मध्य रेलवे को सौंपा जाना चाहिये।

यह एक बहुत अच्छी बात है कि रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये स्कूल चलाये जा रहे हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रेलवे स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। यद्यपि इनमें संसाधनों की कमी नहीं है तथापि इनका स्तर बहुत घटिया है। रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक रेलवे में खान पान की व्यवस्था का प्रश्न है, कई माननीय सदस्यों ने इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत कुछ कहा है। यदि विभागीय जलपानगृहों की गैर-सरकारी जलपानगृहों से तुलना की जाये तो पता चलता है कि गैर-सरकारी जलपानगृहों की सेवा बहुत अच्छी है और वे लाभ कमा रहे हैं, जबकि विभागीय जलपानगृहों की सेवा बहुत खराब है और उनमें हानि हो रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि विभागीय जलपान व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे स्कूलों के शिक्षा स्तर में सुधार किया जाना चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : (विशाखापत्तनम्) : सर्वप्रथम मेरा निवेदन यह है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति दण्डात्मक नीति नहीं अपनानी चाहिये। मेरा आशय उन कर्मचारियों से जिन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लिया था और जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा चुका है तथा कोई अन्य तर्क पेश करने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन तो केवल यह है कि सरकार को अपनी दण्डात्मक नीति को समाप्त कर देना चाहिये।

इसके बाद मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन संघों तथा कार्मिक संघों को पुनः मान्यता प्रदान की जाये, जिनकी मान्यता सजा के तौर पर वापस ले ली गई थी। दण्ड देने के अन्य तरीके हैं तथा सेवा में व्यवधान करना और कर्मचारियों के संपर्क तंत्र को समाप्त करना सजा देने के सही तरीके नहीं हैं। इनसे तो असंतोष और भी अधिक फैलेगा। आज देश की स्थिति विस्फोटक है और ऐसी कार्यवाइयों से गड़बड़ी के और फैलने का खतरा है। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सद्भावना का वातावरण तैयार करने का प्रयास करें।

केन्द्रीय विद्युतीकरण संगठन के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस संगठन के विकेन्द्रीकरण से इस संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, उनकी उपलब्धियों तथा उनकी वरिष्ठता इत्यादि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक रेलवे बोर्ड का प्रश्न है, अनेक विपक्षी सदस्यों ने इसकी समाप्ति की बात कही है, परन्तु ज्यों ज्यों इसकी समाप्ति की बात कही जाती है त्यों त्यों इसे अधिक शक्तियां दी जाती हैं। रेलवे बोर्ड को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसके कृत्यों में सचिवालय, निर्यात, तकनीकी कार्य तथा प्रशासनिक कार्य इत्यादि सभी कृत्य शामिल कर दिये गये हैं। वास्तव में ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है जो रेलवे बोर्ड द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों की स्वतंत्र रूप से जांच कर सके। इसलिये यह परमावश्यक है कि सचिवालय को रेलवे बोर्ड से अलग किया जाये।

राजधानी एक्सप्रेस का प्रदर्शन करके जनता की आंखों में धूल डाली जा रही है। हमारे

क्षेत्र में रेलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कलकत्ता से वालतेयर तथा वालतेयर से मद्रास तक रेल यात्रा बहुत असुविधाजनक है। विजयवाड़ा से हैदराबाद तक रेल गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है। गाड़ियों की संख्या बिल्कुल अपर्याप्त है तथा न उनमें बिजली की व्यवस्था है और न ही पानी का प्रबन्ध है। साधारण गाड़ियों की तो बात ही क्या, मेल अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा करना भी बहुत असुविधाजनक है। गत बीस वर्षों में रेलगाड़ियों की अवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया है।

मैं इस बात को मानता हूं कि रेलगाड़ियों की लम्बाई में वृद्धि की गई है, परन्तु प्लेटफार्मों की सुविधा नहीं है। रेलगाड़ियों के लम्बे होने का कारण यात्रियों को ऐसे स्थानों पर उतरना पड़ता है, जहां प्लेटफार्म नहीं होते। रेलगाड़ियों की लम्बाई में तो वृद्धि की गई है, परन्तु प्लेटफार्मों की लम्बाई में वृद्धि नहीं की गई है। इससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। रेलवे मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कलकत्ता से मद्रास और विजयवाड़ा से हैदराबाद तक चलनेवाली एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है। हजारों की संख्या में यात्री प्लेटफार्मों पर प्रतीक्षा करते रहते हैं, परन्तु वे रेलगाड़ियों में नहीं बैठ पाते हैं। रेलवे प्रशासन शिष्टाचार सप्ताह इत्यादि मनाता रहा है, परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग के व्यक्ति यह सोचने पर बाध्य हो गये हैं कि उनकी स्थिति भिखारियों जैसी है और वे रेलवे-प्रशासन की दया पर निर्भर हैं। इसलिये मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह केवल राजधानी एक्सप्रेस पर ध्यान केन्द्रित न करके इस ओर भी ध्यान दें।

रेलवे में सार्वजनिक धन की बहुत अधिक बरबादी होती है। सीमेंट के खम्भे जिन्हें सामान्यतया 80 से 100 वर्ष तक चलना चाहिये, 3 अथवा 4 वर्ष में खराब हो जाते हैं। प्लेटफार्मों पर देखा गया है कि सीमेन्ट में रेत भरा रहता है और फर्श एक अथवा दो वर्ष में खराब हो जाता है। इस बरबादी को रोका जाना चाहिये।

रेल गाड़ियों के पहुंचने में विलम्ब होना एक सामान्य बात है। साधारणतया रेल गाड़ियां देरी से पहुंचती हैं। जब रेलवे प्रशासन से इसकी शिकायत की जाती है तो रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर दिया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन जनता के लिये है अथवा जनता रेलवे प्रशासन के लिये है। मैं मानता हूं कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर गाड़ी के समय में परिवर्तन करना संभव नहीं है, परन्तु अधिकांश मामलों में ऐसा किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। रेलवे की समय सारणी में मामूली हेर फेर करना, रेलगाड़ियों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करना, बिजली का प्रबन्ध करना तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना मामूली बातें हैं और यदि इन पर 700 से 800 करोड़ रुपये भी खर्च किये जाते हैं, तो भी जनता ऐतराज नहीं करेगी। मंत्री महोदय का कहना है कि समय सारणी समिति है, सुविधा समिति है

तथा जलपान व्यवस्था समिति है और बहुत सी समितियां हैं, परन्तु इनसे कोई लाभप्रद उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है । रेलवे बोर्ड को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सामान्यतया अधिक स्टेशन स्थापित करने की मांग की जाती है । परन्तु विशाखापत्तनम् में क्या हुआ है ? वहां वालतेयर तथा विशाखापत्तनम् दो स्टेशन थे परन्तु विशाखापत्तनम् स्टेशन को समाप्त कर दिया गया है, हालांकि विशाखापत्तनम् की जनसंख्या बढ़ रही है । विशाखापत्तनम् की जनसंख्या कुछ वर्ष पूर्व 60,000 थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है । विशाखापत्तनम् स्टेशन को समाप्त करने का परिणाम यह हुआ है कि मध्य वर्ग के लोगों को तथा गरीब जनता को या तो दो अथवा तीन मील पैदल चलना पड़ता है अथवा उन्हें रिक्शा या स्कूटर वालों को मुंह मांगा किराया देना पड़ता है । कहा गया है कि बचत की दृष्टि से विशाखापत्तनम् स्टेशन को समाप्त किया गया है । परन्तु लोगों की सुविधा की अवहेलना करके बचत करना ठीक नहीं है । रेलवे का ध्येय लोगों की सुविधा तथा बचत दोनों होना चाहिये । रेलवे प्रशासन को एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ।

सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में एक पुराना नियम है कि संसद सदस्यों के व्यक्तिगत मामलों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान नहीं दिलाना चाहिये ऐसा तभी सम्भव है जब सेवा सम्बन्धी मामलों का निबटारा करने के लिये कोई तंत्र हो, परन्तु इस समय कोई ऐसा तंत्र नहीं है । अधिकारी काम नहीं करते हैं । जब उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यदि कोई व्यक्ति दोबारा शिकायत करने का साहस करता है तो उसे बताया जाता है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । कर्मचारी इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि रेलवे के प्रत्येक जोन में सेवा सम्बन्धी मामलों का निबटारा करने के लिये एक तंत्र होना चाहिये और उसका प्रधान एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिये । उस न्यायाधिकरण को सेवा के मामलों अथवा पदोन्नति के मामलों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार होना चाहिये और उसका निर्णय रेलवे अधिकारियों को मान्य होना चाहिये । ऐसा किये जाने पर बहुत से मामले हल हो जायेंगे और उच्चतम स्तर पर प्रशासन का इन मामलों पर जो समय नष्ट होता है वह बच जायेगा । मेरा सुझाव है कि भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में ऐसा तंत्र होना चाहिये ।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Sir, I congratulate the Railway Minister for presenting the Budget without increasing the fares and freights. There was a general fear in the minds of the public that the fares and freights would be increased in order to make up the deficit of the Railway budget. But he deserves our congratulations all the more because he has presented a surplus budget without increasing the fares and freights.

First of all, I would like to draw the attention of the Hon. Railway Minister towards the problem of the Railway doctors. Since long they have been demanding that there status and conditions of service should be equal to the status and conditions of service of the doctors

of C. H. S. This case has been pending since long. My submission is that the Railway doctors should be given the same status as has been given to the doctors of C. H. S. and their condition of service should also be the same.

The Railway lines are laid without outlets. If outlets are provided while constructing the railway lines these could used for irrigational purposes also. There is another draw back in this system. The Railway lines are broken because there are no outlets. My submission is that outlets should be provided where it is possible to do so while constructing the Railway lines, because it will serve double purpose.

I am not against the facilities given to Railway employees. But my submission is that the main source of Railway income are the III class passengers. Sufficient amount has not been allocated for giving amenities to these passengers. My submission is that more money should be provided for passengers' amenities.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the Chair]

Now, I want to say a few words about Railway catering. I understand from the figures given about catering that the income from catering has been only one per cent, which is too low. If you compare departmental catering with private catering, the departmental catering has shown very poor results. Private restaurants are earning a profit of 25 to 30% where as the profit of departmental catering has been only 1%. I fail to understand why railway catering could not show more profits when the facilittes of free accommodation and light are available to the departmental catering. I suggest that an enquiry should be made in this matter in order to find out the reasons as to why Railway catering has failed to show better results. It is necessary to improve the Railway catering service, especially in the case of III class Railway passengers.

A high power committee was constituted under the chairmanship of the present Railway Minister himself. That committee has suggested that certain improvements should be made in the Railways. My submission is that the recommendations of that committee should be implemented.

A complaint has been received from the factories both in private and public sector manufacturing goods like wagons for the Railways that they were unable to work according to their full capacity due to non-availability of raw material. The Government should see that raw material is provided to them in adequate quantity so that they are enable to work according to their full capacity.

There is a long standing demand that there should be a Railway Public Service Commission in Bihar. Bihar is a backward state. The candidates of Bihar have to go to Calcutta and some other places and they are unable to get full justice. It is therefore requested that there should be a Railway Public Service Commission in Bihar.

My next submission is that there should be a broad gauge line up to Naraktiyaganj **via** Muzaffarpur. This line will not be costly, and will serve defence purpose also. This line can be extended up to NEFA.

A deluxe train runs between Delhi and Calcutta. Now the Rajdhani Express has also

been started. There is no deluxe train for Calcutta **via** Patna. There should be a de-luxe train for Calcutta **via** Patna.

Now I would like to say a few words about my area. Telephone facility should be given to the public on the places where there are Railway Stations. Secondly, those railway stations should be provided with electricity this, where power is available.

My submission is that a shed should be provided at Adampur Railway Station and a waiting room should be constructed at Bettiah Railway station. I wish that a railway line should be constrncted from Ragha to Manastol. The Government can have the assistance of State Government for this purpose. A halt station should be provided at Bhitiharwa.

Some Hon. Members have said that Railway Board should be abolished. Though I do not subscribe to this view. Yet I am of the opinion that certain changes should be made in the Railway Board so that it may work efficiently.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): At the very outset, I would iike to convey to the new Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh the good wishes of the people of my constituency who have rejoiced over his new assignment as Railway Minister. Long back, when he was incharge of this Ministry, he had announced during his visit of Kotah and Chittor area that a new Kotah-Chittor railway line would be laid in this area of Rajasthan. Now the people of the area are looking forward with the hope that the announcement which he had made on previous occasion after making a detailed study of the conditions of the area would now definitely be implemented.

The purpose of taking over this biggest industry of the country by the Government is to serve the people and the very purpose of our national approach and democracy is defeated when a public demand placed before the Government by the representatives of the people is rejected outright by the Ministers on the plea that it would not be productive or economic to meet the demand. I feel constrained to observe that the Ministers are not free to take their independent decisions and they have to act on the advice of their officials.

Adequate railway facilities are not avallable in border areas of Nagaland, Tripura and Manipur and these facilities should be extended keeping the security of the country, transport facilities as also the public interest in view. I, therefore, demand that Kohima should be connected with Dimapur. Similarly, we have to face a lot of difficulties and inconvenience while going to Imphal. The Railway Ministry should take decisions in the light of national security and the public interest and not on commercial basis.

During the periods of princely regime in Rajasthan, adequate attention was not paid towards laying of railway lines in the State and it is still backward in this respect. It has a 700-mile long border lines contiguous to Pakistan. It is a matter of regret that the majority of the Adivasi population of particular and big area of the State have not yet seen any trains. They have not been provided with transport facilities so far. I would now like to invite the attention of the Hon. Minister to the demands of my State.

A new railway line from Udaipur to Ahmedabad **via** Himmatnagar is under construction. But due to faulty planning, Kesariya and Sanwla the famous places of pilgrimage of Jainies, and

Vaishnvaas, respectively, as also Jawar mines where the rich deposits of lead and zinc exist are not touched by this line. The stations are also built at long distances with the result that the local people prefer to travel by bus rather than by trains. I, therefore, request the Hon. Minister to reduce the distance between these stations so that the people could take advantage of this facility.

Similarly, enough road facility has not been provided in the Pratapgarh-Banswara area of the State which is entirely inhabitated by Adivasis.

Now coming to the Kotah-Chittor Line, a Survey was conducted for the purpose and Dr. Ram Subhag Singh, who was the then Railway Minister also had admitted that the area had an increase in industrial production and transport facilities as also had electricity and irrigational facilities as a result of the Chambal Project and as such it required a new railway line. He was then pleased to accept the scheme to lay this new railway line there. But later on the scheme was dropped due to the commercial out-look of the bureaucracy. I, therefore, appeal to the Minister as well as the Railway Board to implement this scheme and meet the long standing public demand.

Last year when Bihar and Bengal were facing starvation due to drought and famine, a fairly large quantity of wheat was rotten due to non-availability of wagons. Rajasthan is also passing through the same crisis now. So I fervently appeal to the Hon. Minister to make adequate number of wagons available in time for the movement of fodder to the state so that the starving cows could be saved there.

Regional imbalances in railway facilities should be removed. Efforts should be made to see that adequate facilities are provided in the States such as Madhya Pradesh, Mysore, Andhra Pradesh, Maharashtra and Orissa which deserve extension of such facilities. The Finance Ministry may be asked to allocate adequate funds for the purpose.

It is good that the fare has not been increased this time. But steps should be taken to give more facilities to the passengers particularly in III class compartments which are always overcrowded. It is also necessary to introduce fast trains in rural areas where much time is taken to cover short journeys.

In the last, I have one more submission to make. People would be benefited a lot if a direct train from Ahmedabad to Delhi **via** Himmatnagar, Udaipur, Chittor and Ajmer is introduced on the lines of the one which leaves Ahmedabad for Delhi **via** Marwar junction.

With these words, I support the Railway Budget.

Shri N. N. Patel (Bulsar) : At the very outset, I would like to felicitate the new Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh, who has been in charge of this Ministry once before and has considerable experience thereof. I hope he will pay due attention to our difficulties and try to remove them.

Last year, heavy floods came in Gujrat on August 6, as a result of which the railway line remained close in the area particularly in between Bulsar and Bharaunch and the Railway suffered a loss of about Rs. 3 crores. The whole area where ten parennial rivers flow was inundated and it looked like a sea. The soil under the railway track was eroded and the bridges

were damaged. We requested the former Railway Minister, Shri Punacha to take steps to widen the spans of bridges and culverts. So that the flood waters could pass easily. But the situation has not improved as nothing has been done so far to implement this suggestion.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण काल जारी रख सकते हैं। अब हमें आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करनी है।

कालीमिर्च का निर्यात**
EXPORT OF PEPPER**

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : 18 फरवरी, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि एरणाकुलम स्थित निर्यात संवर्धन परिषद कालीमिर्च का निर्यात करने के लिये हर कदम उठायेगी और इस परिषद् का बुसेल्स स्थित विदेश अधिकारी ऐसा करने के लिये काफी कुछ करेगा। यह वास्तविक समस्या नहीं है। या तो मंत्री जी को कालीमिर्च के निर्यात के बारे में पता नहीं है या फिर अधिकारी लोग तथ्यों को छिपा रहे हैं। कालीमिर्च से हमें प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में कालीमिर्च का कुल वार्षिक उत्पादन 23,000 टन है जिसका अर्थ है केरल 93 प्रतिशत कालीमिर्च पैदा करता है और 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ऐसा उद्योग आज संकट से गुजर रहा है। केरल में 2,46,640 क्षेत्रों में उसकी खेती होती है। इस उद्योग के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई थीं लेकिन उन्हें आज तक क्रियान्वित नहीं कया गया है।

पहली बात यह है कि कालीमिर्च का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग अब तक स्वीकार नहीं की गई है। लाभ का अधिकांश भाग बम्बई के एकाधिकारी व्यापारी ले लेते हैं और वास्तविक उत्पादक को बहुत कम मूल्य मिलता है। खुद केरल में काली मिर्च का निर्यात ब्रिटिश पूंजीवादी फर्मों के हाथ में है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य व्यापार शुरू करना तथा उत्पादकों से कालीमिर्च सीधा प्राप्त करने के लिये एक निगम स्थापित करना जरूरी है। एकाधिकारी व्यापारी इस विचार का विरोध तो अवश्य करेंगे लेकिन इससे उत्पादकों को लाभ होगा और आगामी वर्षों में उत्पादन काफी अधिक बढ़ सकता है। दूसरी समस्या जिसका इस उद्योग को सामना करना पड़ रहा है वह है इस वस्तु पर लगाया गया निर्यात शुल्क जो इस समय 1,250 रुपये तक प्रति टन पड़ता है। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय उत्पादक के हित में कुछ भी नहीं करना चाहता और इस शुल्क का भार अन्ततोगत्वा उत्पादकों पर ही पड़ता है। मद्रास से लाल मिर्च के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लिया जाता। मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ यह मांग भी करता हूं कि कालीमिर्च के निर्यात पर भी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में भी, केरल के प्रति केन्द्रीय सरकार का रवैया बहुत ही भेदभावपूर्ण है।

** आधे घंटे की चर्चा।
** Half-an-Hour Discussion.

द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में जोरदार प्रतिस्पर्धा चली है। अमरीका पहले हमारे उत्पादन का 70 प्रतिशत कालीमिर्च खरीदता था, अब वह केवल 20 प्रतिशत खरीदता है। इस समय हमारे कालीमिर्च के मुख्य क्रेता समाजवादी देश हैं जो हमारे कालीमिर्च को $37\frac{1}{2}$ परसेंट की दर से खरीद रहे हैं जबकि अमरीका उसी किस्म के इन्डोनेशियाई कालीमिर्च के लिये $27\frac{1}{2}$ परसेंट देता है।

वास्तविक उत्पादकों के कष्टों तथा कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से और इस दृष्टि से कि हम कालीमिर्च के निर्यात में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें और उससे अधिक लाभ उठा सकें, मेरा सुझाव है कि—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति क्विन्टल कालीमिर्च का न्यूनतम मूल्य 750 रुपये निश्चित किया जाये, (2) कालीमिर्च पर लगाया गया निर्यात शुल्क हटाया जाये और (3) कालीमिर्च में राज्य व्यापार आरम्भ किया जाये। ये सुझाव केवल मेरे ही नहीं अपितु समूचे केरल राज्य के हैं और वहां के सभी राजनैतिक दलों के हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : यह सच है कि 23,000 टन कालीमिर्च में 21,000 टन कालीमिर्च केरल में पैदा होती है। इस कालीमिर्च के दो बड़े उत्पादक हैं—भारत और इन्डोनेशिया और दो ही महत्वपूर्ण क्रेता भी हैं, एक अमरीका और दूसरा रूस।

किन्तु इन्डोनेशिया का उत्पादन हमारी अपेक्षा कहीं अधिक है इसीलिये हमारी कुछ समस्याएं हैं, फिर भी हमने पूर्व यूरोपीय देशों में अच्छे बाजार स्थापित कर लिये हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा निर्यात कम नहीं हुआ है। वर्ष 1967-68 में हमने 25,000 टन कालीमिर्च का निर्यात किया जब कि 1963-64 में वह केवल 19,000 टन था।

मुख्य समस्या उत्पादन तथा बाजार सम्बन्धी पहलुओं के बारे में है। केरल सरकार विस्तार सेवाओं को उचित रूप से संगठित करवाने की कोशिश कर रही है हाल में एक नई किस्म की कालीमिर्च जिसे पन्नीयूर किस्म संख्या I कहा जाता है, तैयार की गई है जिसका केरल विधान सभा में भी उल्लेख किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस मामले पर विचार किया और हमने अब एक समन्वित अनुसंधान परियोजना स्थापित की है जिससे और अधिक लाभप्रद किस्मों के विकास में मदद मिल सकेगी। नई किस्म पुरानी किस्म की अपेक्षा चार गुना फसल अधिक देती है।

इस समय हमारा उत्पादन केवल 225 किलोग्राम प्रति हैक्टेकड़ है जो बहुत कम है इसलिये इस समस्या का मुख्य समाधान उत्पादनशीलता बढ़ाने में ही है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस व्यापार में कई बिचौलिये हैं जो उत्पादकों का शोषण करते हैं, इसीलिये हमने केरल सरकार से केरल में उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित

करने का सुझाव दिया है। यदि ऐसा किया गया तो हम उनकी सहायता करने को तैयार हैं। जब तक सहकारी समितियां गठित नहीं की जातीं और उत्पादकों की इन समितियों का बाजार पर प्रभाव नहीं जम जाता, मैं नहीं समझता, तब तक इस व्यापार में बिचौलियों के प्रभाव को दूर करने में हम सफल हो सकेंगे।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है भारत सरकार इन सहकारी समितियों को सीधा निर्यात करने में मदद करेगी ताकि निर्यात अथवा आन्तरिक बाजार में बिचौलियों की आवश्यकता ही न पड़े।

इसके अलावा, ऐसी उपज के विपणन के सम्बन्ध में जिसमें काली मिर्च शामिल है, प्रभावी विपणन कानूनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिये हमने केरल को सख्त विपणन कानून बनाने का सुझाव दिया है। इसलिये सहकारी समितियों का संगठन सख्त विपणन कानूनों का प्रवर्तन तथा नये स्ट्रेनों का प्रयोग आवश्यक है, यदि ऐसा किया जाये, तो कुछ समस्याएं जरूर हल हो सकती हैं।

जहां तक निर्यात शुल्क का सम्बन्ध है, अवमूल्यन के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि हुई हैं और यदि सरकार निर्यात शुल्क न लगाती, तो सारा मुनाफा बिचौलियों की जेब में चला जाता।

माननीय सदस्य ने मूल्यों के कम होने की शिकायत की है। लेकिन वर्ष 1952-53 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 1962-63 में निर्यात मूल्य सूचकांक 24.8 था जब कि वह इस समय 41 है। इन्डोनेशिया के साथ जबर्दस्त होड़ होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्ष 1962-63 की अपेक्षा इस समय मूल्य स्थिति में सुधार है। देश में थोक मूल्य के सम्बन्ध में भी सूचकांक जो 1962-63 में 32.4 था अब 40.6 है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1952-53 को आधार वर्ष माना गया है इसीलिये यह कहना गलत है कि मूल्य गिर गये हैं।

यदि केरल सरकार बहुत शक्तिशाली सहकारी समितियां संगठित करने में सफल हो जाती है, तो मुझे यकीन है कि उत्पादकों की बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Hon. Minister has himself stated that the producer does not get remunerative prices for cotton or for ground nuts and that that our productivity must go up. So that the problems of the producers could be solved. Why they are not giving incentive to the producers when it is earning so much of foreign exchange? Besides, a heavy export duty has been levelled on this commodity which is as high as Rs. 1,000 a quintal. I therefore want to know the steps being taken by the Government to give incentive to the farmers of Kerala as also to increase the foreign exchange earnings so that the producers are really benefited thereby.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने मूल्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिये कृषि मूल्य आयोग से पूछा है कि लाल मिर्च का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है अथवा नहीं। हमने खासतौर पर कालीमिर्च का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन लाल मिर्च भी एक मसाला ही है। कृषि

मूल्य आयोग इस बात के पक्ष में नहीं है कि लाल मिर्च तथा अन्य दूसरे मसाले जैसी वस्तुओं के निम्नतम मूल्य निर्धारित किये जायें। लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में मूल्य बढ़ रहे हैं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I want to know whether we have an identical publicity machinery both in U.S.A. and U.S.S.R. and if not, the difference between the two ? May I further know the quantity we exported to U.S.S.R. and U.S.A. separately during the course of annual plan ? What is the target of production fixed for the Fourth Five Year Plan as also the amount of foreign exchange expected thereby during this period.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारा वर्तमान 24,000 टन का उत्पादन बढ़कर लगभग 42,000 टन तक पहुंच जायेगा। केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र नई किस्मों को लोकप्रिय बना रहा है।

जहां तक अमरीका तथा रूस में हमारी बिक्री का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी रुपये में भुगतान के कारण अमरीका के बजाये रूस तथा पूर्व यूरोपीय देशों को हमारा निर्यात अधिक होता है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : क्या केन्द्रीय सरकार कालीमिर्च के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क तथा करों में कुछ छूट देगी ताकि उत्पादकों की हालत में सुधार हो और उन्हें प्रोत्साहन मिले ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अवमूल्यन के बाद सारा मुनाफा निर्यातकों की जेब में न चला जाये, इस बात को ध्यान में रखकर निर्यात शुल्क लगाया गया है और जहां तक मुझे जानकारी है वर्तमान सरकार निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): The volume of our export to east European countries which are soft currency area has, no doubt, increased. But the export of pepper to hard currency area has gone down due to heavy export duty levied on this commodity. I wiil, therefore, request the Hon. Minister to relax duty and take steps to create better conditions for the export of pepper so that producers can get better price and have better conditions as Indonesia and Ceylone have done in the matter.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं कह नहीं सकता कि किन देशों को निर्यात बढ़ा है और किन देशों को घटा है। लेकिन स्पष्ट स्थिति मैं पहले बता चुका हूं कि कुल मिलाकर हमारा निर्यात बढ़ा है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मंत्री महोदय ने जो कुछ सुझाव दिये हैं उन्हें राज्य सरकार अकेले क्रियान्वित नहीं कर सकती। इलायची के लिये तक, जिसके निर्यात से हमें इस समय केवल 5 या 6 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। केन्द्रीय सरकार के अधीन एक इलायची बोर्ड बनाया गया है। काफी, रबड़, चाय जैसी सभी वस्तुओं को, जिनसे विदेशी मुद्रा मिलती है, राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा गया है। केन्द्रीय सरकार सामने आती है। इसलिये

मैं जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार कालीमिर्च के लिये भी ऐसा ही कोई निकाय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक कालीमिर्च के लिये एक बोर्ड बनाने का माननीय सदस्य का सुझाव है, हम यथासम्भव इस प्रश्न को सर्वोच्च वरीयता देंगे और उस पर पूरी तरह विचार करेंगे ।

जहां तक इस मामले में राज्य सरकार को सहायता देने का सम्बन्ध है, एक समन्वित अनुसंधान परियोजना आरम्भ की गई है जिसके अनुसंधान के लिये शत-प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है । केन्द्र अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं रहा है । हम इस वस्तु के निर्यात का महत्व समझते हैं ।

जहां तक विपणन का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि उत्पादकों को लाभ तभी पहुंच सकता है जब कि राज्य सरकार वहां उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित करे ऐसा वही कर सकती है क्योंकि यह कार्य उसी के क्षेत्राधिकार में है । लेकिन हम उसे इस कार्य में मदद देने के लिये तैयार हैं । क्योंकि एक प्रभावी विपणन संगठन के बनने पर वह उत्पादन को इकट्ठा कर सकता है और जमा रख सकता है । इस कार्य के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकती है, गोदाम सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है । ऐसे ही कुछ कदम हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 फरवरी, 1969/8 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 27, 1969/Phalguna 8, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 6-6-69—600.